प्रस्तावना

सरकार ने पिछले दो-तीन वर्षों में महत्वपूर्ण व्यय सुधार शुरू किए हैं। इसमें मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाओं का सरलीकरण ही नहीं अपितु बजट तैयार करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन भी शामिल हैं जैसा कि योजना गैर-योजना भेद का समाप्त किया जाना। इसके परिणामस्वरूप, लागत-केन्द्रों को एकीकृत रूप में, केवल सांविधिक राजस्व पूंजी संरचना के अंदर शामिल माना जा रहा है।

इससे एक और महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार संभव हो सकता है जो कि सार्वजनिक स्कीमों और परियोजनाओं को निगरानी-योग्य निर्गम-परिणाम संरचना के अंतर्गत लाना है। वर्ष 2017-18 से बजट दस्तावेज में दर्शाए जा रहे मंत्रालयों की स्कीमों के वित्तीय परिव्यय के अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्रालय द्वारा स्कीमों के संभावित निर्गम और परिणाम, बजट के रूप में अलग से भी तैयार और प्रस्तुत किए जाते थे। ये परिव्यय, निर्गम और परिणाम, परिमेय रूप में संसद में पेश किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी स्कीमों और परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल एजेंसियों की अधिकाधिक जवाबदेही हो सके।

'परिव्यय' वह धनराशि है जो बजट में किसी विशेष स्कीम या परियोजना के लिए प्रदान की जाती है; जबकि 'निर्गम' का अभिप्राय कार्यक्रम कार्यकलापों के प्रत्यक्ष और परिमेय उत्पाद से है जिसे अक्सर भौतिक रूप में या इकाइयों में अभिव्यक्त किया जाता है। 'परिणाम' का आशय सामूहिक परिणाम या इन सेवाओं की प्रदायगी में किए गए गुणात्मक सुधार से है जिन्हें अक्सर प्रत्याशित या पिछले संकेतकों और लक्ष्यों के मुकाबले सुधार के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है।

पिछले वर्ष के बजट से यह निर्णय लिया गया था कि 68 मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों के निर्गम और परिणाम, बजट दस्तावेजों के भाग के रूप में वित्तीय परिव्ययों के साथ उपलब्ध होंगे ताकि सभी लोग प्रत्येक स्कीम के स्पष्टतः परिभाषित उद्देश्य और लक्ष्य देख सकें। यह परिणाम बजट एक ही समेकित दस्तावेज में (क) वर्ष 2018-19 के वित्तीय परिव्यय और साथ ही (ख) निर्गम और प्रदेय सेवाएं तथा (ग) प्रत्येक स्कीम/परियोजना के लिए अनुमानित मध्यावधि परिणाम प्रस्तुत करता है। इससे पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता में काफी वृद्धि होगी और सरकार की विकास कार्यसूची को समझने में काफी आसानी होगी।

इस कवायद के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य परिव्यय मात्र से आगे बढ़कर परिणामोन्मुखी निर्गमों और परिणामों के जरिए शासन की एक खुली, जवाबदेह, पुरोगामी और उद्देश्यपूर्ण शैली विकसित करना है। इस प्रयास से संबंधित मंत्रालय स्कीम के उद्देश्यों पर निगरानी रख सकेंगे और अपने निर्धारित विकास लक्ष्यों की दिशा में कार्य कर सकेंगे।

इसे आगे बढ़ाने के लिए, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् तैयार की गई स्कीम-वार विस्तृत निर्गम-परिणाम निगरानी रूपरेखा परिणाम बजट 2018-19 के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यह स्कीमों के निर्गम और परिणाम की नियमित आधार पर निगरानी के लिए नीति आयोग द्वारा स्थापित एक सजीव डैशबोर्ड होगा। यह दस्तावेज अथक प्रयासों से और कार्यान्वयन मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श से तैयार किया गया है।

हमारा नियमित रूप से यही प्रयास होगा कि इसमें वर्ष दर वर्ष सुधार किया जाए और अधिकाधिक सूचना प्रदान की जाए तथा राष्ट्रीय विकास कार्यसूची का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अधिकाधिक पारदर्शिता लाई जाए।

निर्गम - परिणाम बजट 2018-19

विषय-सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मांग सं.	पृष्ठ सं.
1	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1	1-4
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2	5-8
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	3	9
4	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5	10-13
5	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	6	14-15
6	उर्वरक विभाग	7	16
7	औषध विभाग	8	17
8	नागर विमानन मंत्रालय	9	18
9	कोयला मंत्रालय	10	19
10	वाणिज्य विभाग	11	20
11	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	12	21-22
12	डाक विभाग	13	23-24
13	दूर संचार विभाग	14	25-26
14	उपभोक्ता कार्य विभाग	15	27-29
15	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	16	30-31
16	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	17	32
17	संस्कृति मंत्रालय	18	33-36
18	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	23	37-42
19	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	24	43
20	पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	25	44-46
21	इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26	47-49
22	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27	50-55
23	विदेश मंत्रालय	28	56-58
24	आर्थिक कार्य विभाग	29	59
25	व्यय विभाग	30	60-61
26	वित्तीय सेवाएं विभाग	31	62-63
27	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	41	64
28	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42	65-68
29	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43	69-70
30	भारी उद्योग विभाग	44	71-72
31	लोक उद्यम विभाग	45	73
32	गृह मंत्रालय	46	74-76
33	पुलिस	48	77-82
34	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	56	83-86
35	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	57	87-88

36	उच्चतर शिक्षा विभाग	58	89-94
37	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	59	95
38	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	60	96-98
39	विधि और न्याय मंत्रालय	61	99
40	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64	100-101
41	खान मंत्रालय	65	102
42	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	66	103-105
43	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	67	106-108
44	पंचायती राज मंत्रालय	68	109-110
45	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72	111
46	योजना मंत्रालय	73	112-113
47	विद्युत मंत्रालय	74	114-116
48	रेल मंत्रालय	80	117-121
49	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81	122-126
50	ग्रामीण विकास विभाग	82	127-128
51	भूमि संसाधन विभाग	83	129
52	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	84	130-131
53	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	85	132-133
54	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	86	134
55	पोत परिवहन मंत्रालय	87	135-137
56	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	88	138-140
57	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	89	141-144
58	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	90	145-147
59	अंतरिक्ष विभाग	91	148
60	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	92	149-150
61	इस्पात मंत्रालय	93	151
62	वस्त्र मंत्रालय	94	152-153
63	पर्यटन मंत्रालय	95	154-156
64	जनजातीय कार्य मंत्रालय	96	157
65	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	97	158-164
66	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	98	165-170
67	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	99	171-179

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19				
मांग सं. 01 - कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग				
				(करोड़ रुपए)
क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	**13014.15**	देश में सकल बुवाई क्षेत्र के 50% का बीमा कवरेज	लगभग 60 मिलियन किसान परिवारों का 60% (50% बुवाई क्षेत्र) तक जोखिम न्यूनीकरण
2	किसानों को लघु अवधि ऋण के लिए ब्याज राजसहायता	**15000.00**	लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 7% वार्षिक ब्याज पर और फसल ऋण की समय पर अदायगी पर 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक फसल ऋण	खाद्यान उत्पादकता में 2% वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर)
3	बाजार हस्तक्षेप स्कीम और मूल्य समर्थन स्कीम	**200.00**	संकट की स्थिति में आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप	किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और मजबूरी में बिक्री की स्थिति से बचना
ख	**केन्द्र प्रायोजित स्कीम**			
4	**हरित क्रान्ति**	**13959.33**		
4.1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3600.00	राज्यों को आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और संसाधनों के अनुसार परियोजनाएं चुनने में पूरी ढील दी गई है।	किसानों की मेहनत को संबल प्रदान करके, जोखिम शमन करके और कृषि-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर खेती को लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना।
4.2	कृषि उन्नति स्कीमें			
4.2.1	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); सीआईएच, नागालैंड, एनएचबी और सीडीबी	2546.30	• 1,55,085 हैक्टेयर क्षेत्र कवरेज • एनएचबी द्वारा कोल्ड चेन/कोल्ड रूम/चैम्बर - 55 नई परियोजनाएं • 4500 हैक्टेयर नया बागानी क्षेत्र • 1,76,488 व्यक्तियों को प्रशिक्षण	बागवानी और सब्जियों के उत्पादन में 5% वृद्धि प्राप्त करना
4.2.2	कृषि गणना और सांख्यिकी संबंधी एकीकृत स्कीम			
4.2.2.1	कृषि गणना स्कीम	250.49	• कृषि गणना 2015-16 • राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में इनपुट डाटा संग्रहण (सर्वेक्षण) 2016-17	• कृषि गणना 2015-16 की अंतिम रिपोर्ट - भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों में खेत और किसानों की हालिया जानकारी • इनपुट सर्वेक्षण 2016-17 के संबंध में अखिल भारतीय रिपोर्ट
4.2.2.2	भारत में मुख्य फसलों की उपज लागत का अध्ययन करने की व्यापक स्कीम		25 फसलों के उपज आकलनों की लागत	• 25 फसलों के उपज लागत आकलनों की अंतिम रिपोर्ट- मूल्य समर्थन के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को अंतिम रूप दिया जाना।
4.2.2.3	कृषि सांख्यिकी स्कीम में सुधार		खरीफ और रबी फसली मौसम की मुख्य फसलों के तहत क्षेत्रफल आकलन	• देश में फसल परिदृश्य और संभावित उत्पादन

4.2.3	कृषि सहकारिता संबंधी एकीकृत स्कीम	130.00	• 20 नई सहकारी समितियों का पंजीकरण • 10000 व्यक्तियों के लाभार्थ आय सृजन कार्यक्रम • 25 स्व-सहायता समूहों को सहकारी समितियों में बदला जाना • 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	सहकारी समितियों के माध्यम से 100000 से अधिक व्यक्तियों का व्यवसाय विविधीकरण
4.2.4	कृषि विपणन संबंधी एकीकृत स्कीम			
4.2.4.1	कृषि बाजार अवसंरचना	1104.50	• 30 लाख टन क्षमता के ग्रामीण गोदाम • 400 अन्य भंडारण अवसंरचना परियोजनाएं	भंडारण क्षमता के अंतर को 8.72% तक कम करना
4.2.4.2	राष्ट्रीय कृषि बाजार		200 थोक बाजारों को ई-मार्केट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना	मंडियों के कुल कारोबार (मान्य औसत) के कम से कम 1% को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लक्ष्य की प्राप्ति
4.2.5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1500.00	• 1.7 मिलियन टन चावल • 1.00 मिलियन टन गेंहूँ • 1.00 मिलियन टन दाल • 0.7 मिलियन टन मोटा अनाज • 4.40 मिलियन टन कुल खाद्यान का अतिरिक्त उत्पादन	• निर्यात/आयात अनेक कारकों पर निर्भर करता है इसलिए लक्ष्य की मात्रा तय नहीं की जा सकती। इसके अलावा, निर्यात/आयात का मामला फसल प्रभाग के अंतर्गत नहीं आता।
4.2.6	राष्ट्रीय तिलहन और ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी)	402.07	• उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के नए बीजों का उपयोग • ऑयलपाम के तहत 45,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाना • नीम, करंजा, जैतून, जजोबा जैसे तैलीय बीज वाले वृक्षों का रोपण	• 2020 तक 36.10 मिलियन टन तिलहन उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति। • खाद्य तेलों के आयात में 5% की कमी लाना।
4.2.6	राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन			
4.2.6.1	राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	75.00	• किसानों के खेतों में 50 लाख वृक्ष लगाया जाना	हरित आवरण में वृद्धि करना और किसानों की क्षमता बढ़ाना।
4.2.6.2	राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना/पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वैल्यू चेन डिवलपमेंट	160.00	• 50,000 किसानों की भागीदारी के साथ 2500 एफआईजी की सहायता से जैविक उत्पादन अपनाया जाना • 50,000 हैक्टेयर पर जैविक खेती	हल्दी, अदरक, अनन्नास, बड़ी इलाइची आदि जैसी बागानी फसलों की जैविक वैल्यू चेन का विकास ।

4.2.6.3	परम्परागत कृषि विकास योजना	360.00	• 10 हैक्टेयर पर जैविक खेती समूह प्रदर्शन अपनाया जाना • सहभागी गारंटी प्रणाली प्रमाणन के लिए 10 लाख किसानों को सहायता	10 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में गुण वृद्धि के साथ जैविक खेती।
4.2.6.4	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य उर्वरता परियोजना (मृदा स्वास्थ्य कार्ड सहित)	407.84	• 127 लाख मृदा नमूनों का संग्रहण और विश्लेषण • 600 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण • 1550 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण • 1.9 लाख हैक्टेयर में प्रदर्शन	• पोषक-तत्वों के अंधाधुंध उपयोग में कमी लाना और 160350 हैक्टेयर पर पोषक-तत्वों के संतुलित अनुप्रयोग की लक्ष्य प्राप्ति • उर्वरक अनुप्रयोग में किफायत
4.2.6.5	एनएमएसए (आरएडीपी)	234.00		
4.2.7	राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन			
4.2.7.1	बीज और रोपण सामग्री संबंधी उप-मिशन (एसएमएसपी)	340.60	• 60,000 गांवों में बीज ग्राम कार्यक्रमों का आयोजन • बीज प्रसंस्करण क्षमता में 13.50 लाख क्विंटल की वृद्धि • 13.50 लाख क्विंटल बीज भंडारण क्षमता का सृजन • आकस्मिक योजनाओं के लिए 3.90 लाख क्विंटल बीज रिजर्व का सृजन	• ग्रहण क्षेत्र में एसआरआर में 3% तक की वृद्धि • ग्रहण क्षेत्र में उत्पादकता में 5**%** तक की वृद्धि
4.2.7.2	कृषि विस्तार संबंधी उप-मिशन	1040.88	• विस्तार कर्मियों के ज्ञानवर्धन के लिए 2864 पाठ्यक्रमों का आयोजन • कृषि-उद्यमिता विकसित करने के लिए 6300 कृषि-उद्यमियों का प्रशिक्षण • 23,40,000 किसानों के लाभार्थ संपर्क कार्यक्रम	प्रौद्योगिकी अंगीकरण की दर में 5% तक वृद्धि
4.2.7.3	कृषि सूचना प्रणाली सुदृढ़/संवर्धित किया जाना	17.00	कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसानों की 30 मिलियन कॉल्स का जवाब देना	लगभग 50% किसान परिवारों से संपर्क - उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए
4.2.7.4	पादप संरक्षण और पादप संगरोध संबंधी उप-मिशन	300.00	• 150 लाख हैक्टेयर में टिड्डियों की निगरानी • देश में 9 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर कीटों के असर की निगरानी • कीटों के जैविकीय नियंत्रण के लिए 3300 मिलियन बायो-एजेंट छोड़ा जाना • 9 लाख हैक्टेयर पर बायो-एजेंट का संवर्धन और संरक्षण • कीटनाशी अपशिष्ट के	कीट महामारी को नियंत्रित करना।

			आकलन के लिए 22500 नमूनों का विश्लेषण	
4.2.7.5	कृषि यांत्रिकीकरण उप मिशन	1200.00	• 15000 किसानों, अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण • 160 पोस्ट-हार्वेस्ट यूनिटों की स्थापना • 5382 चुनिंदा गांवों में कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना • पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2600 बसावटों में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देना	वर्ष 2020 तक कृषि बिजली उपलब्धता को 1.84 किलोवाट/हैक्टेयर से बढ़ाकर 2.2 किलोवाट/हैक्टेयर किया जाना
4.2.7.6	एनईजीपी	**39.00**		
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (प्रति बूंद अधिक फसल)	**4000.00**	माइक्रो सिंचाई के तहत 16 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र और संरक्षित सिंचाई के तहत 1.2 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाना	• 16 लाख हैक्टेयर पर सटीक सिंचाई। उत्पादकता में 20% तक वृद्धि • 15% जल की बचत सूक्ष्म-स्तरीय सिंचाई के कारण
5.1	राष्ट्रीय वर्षा-पोषित क्षेत्र प्राधिकरण	**10.32**	0.80 लाख हैक्टेयर एकीकृत कृषि प्रणाली क्षेत्र का कवरेज	योजना क्षेत्र में बुवाई सघनता में 10 प्रतिशत की वृद्धि योजना क्षेत्र में खेतिहर आय में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि
5.2	भारत का मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण	**25.43**		
5.3	सचिवालय	**166.43**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 2: कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन +एनआईसीआरए	264.24	• 07 ब्लॉकों में मृदा सूची निर्माण और मृदा लक्षणों का वर्णन • पूरक सिंचाई के लिए मृदा एवं जल संरक्षण के 5 उपायों का परीक्षण • प्रणाली आधारित 12 फार्म उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास • 4 जैविक खेती पैकेज विकसित करना • मृदा स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए 6 प्रौद्योगिकियां तैयार और विकसित करना • सिंचाई जल प्रबंधन के लिए 5 प्रौद्योगिकियों की डिजाइनिंग और विकास	परियोजना क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के दक्ष और किफायती लागत प्रबंधन से 2 प्रतिशत उत्पादकता का लाभ
2	फसल विज्ञान	676.86	• 32000 जर्मप्लाज्म और ब्रीडिंग लाइनों का मूल्यांकन • दीर्घावधि भंडारण के लिए 4700 जर्मप्लाज्म का संरक्षण • 250 माइक्रोबियल आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण • 50 जीनोटाइप की पहचान करना और उनके अद्वितीय गुणों को रजिस्टर करना • 12 जीनों के लक्षणों का वर्णन करना और उनकी क्लोनिंग करना • एआईसीआरपी वैराइटल पहचान समितियों द्वारा दलहन और तिलहन सहित 60 किस्मों की पहचान किया जाना • 58000 क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन • 48 नई प्रौद्योगिकियों का विकास और परीक्षण • 10000 फ्रंट लाइन प्रदर्शनों का आयोजन • 240 किसान प्रशिक्षणों का आयोजन • मानव संसाधन विकास - 175 स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान किया जाना।	• परियोजना क्षेत्रों में नई किस्मों के विकास और प्रबंधन प्रौद्योगिकियों से फसलों की संभावित उत्पादकता में 2% तक सुधार अपेक्षित • भिन्न-भिन्न जमीनी फसलों की जारी की जा चुकी किस्मों को अपनाने वाले किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी
3	बागवानी	185.00	• 525 जर्मप्लाज्म का संग्रहण • 605 जर्मप्लाज्म के लक्षणों का वर्णन • 132 प्री-ब्रीडिंग लाइनों का विकास • 128 उदीयमान/उत्कृष्ट वर्ग की ब्रीडिंग लाइनों की पहचान • 41 किस्में/हाईब्रिड जारी करना • 92 उत्पादन प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण • किसानों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकियों का फील्ड प्रदर्शन- 155 • 22.61 टन ब्रीडरों/सच्चे संतुलित बीजों का उत्पादन • ट्यूबर फसलों के 2250 टन ब्रीडर बीजों का उत्पादन • 12.5 लाख की बढ़िया रोपण सामग्री और 5 लाख कलमों (पादप) का उत्पादन	• बागवानी फसलों के सकल संभावित उत्पादन में बढ़ोत्तरी और बागवानी फसलों की नई उन्नत किस्मों के तहत बढ़ा हुआ संभावित कवरेज • प्रवृत्ति विशिष्ट उन्नत किस्में प्रयुक्त करने के कारण विशिष्ट संकटकारी स्थितियों से संभावित फसल क्षति में कमी

4	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष	63.20	• 45 प्रकाशन, • 3 पेटेंट ,और; • 4 संभावित प्रौद्योगिकियां अपनाए जाने की उम्मीद	• प्रकाशनों/पेटेन्टों/ प्रौद्योगिकियों की मात्रा और गुणता में बढ़ोत्तरी
5	पशु विज्ञान	319.37	• 10 पशु आनुवंशिक संसाधनों का मूल्यांकन और लक्षण वर्णन • 20 जीनों का आंशिक/सम्पूर्ण लक्षण वर्णन/ अभिव्यक्ति रूपरेखा वर्णन • 80000 महत्वपूर्ण नस्लों का यथा-स्थान/बाह्य स्थान संरक्षण • 10 पशुधन और कुक्कुट नस्लों के लक्षणों में सुधार • अच्छी किस्म के सांड़ों (बैल और भैंसा) से 4.3 लाख फ्रोजन सीमेन डोज का उत्पादन • 4000 शिशु सुअरों का उत्पादन (8-12 सप्ताह की आयु के) • एक दिन के और 6 सप्ताह की आयु के चूज़ों और चूज़ों वाले अंडों का उत्पादन - 10 लाख • पशुधन तथा कुक्कुट रोग निदान के 10 आनुवंशिक मार्करों की पहचान और अपमिश्रकों और पर्यावरण प्रदूषकों के लिए निदान किट विकसित किया जाना • उत्पादकता में सुधार के लिए 16 संसाधन आधारित, क्षेत्र विशिष्ट चारा मॉड्यूल/चारे में मिलाने की सामग्री विकसित किया जाना • सूअर, याक, भेड़, मिथुन और घोड़े के संबंध में 32000 एआई प्रोटोकॉल का मानकीकरण • प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए 40 नई/ उन्नत पद्धतियां/पहचान के तरीके विकसित किया जाना • पशु उत्पादों/प्रक्रियाओं (दूध, मांस, ऊन) के उत्पादन की 23 पद्धतियों का विकास	• परियोजना क्षेत्रों में पशुधन की उत्पादकता में कुल 1% वृद्धि होने की उम्मीद

6	मत्स्य विज्ञान	140.17	• मत्स्य संसाधन आकलन के लिए 80 अन्वेषण/सर्वेक्षण किया जाना • व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पालन-योग्य समुद्री फिनफिश प्रजातियों के लिए 1 मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी विकसित किया जाना • 4 स्थानों पर खुले समुद्र में केज फार्मिंग के तरीकों का प्रदर्शन • सजावटी मछली प्रजातियों के 1 प्रजनन प्रोटोकॉल का विकास • फिनफिश/घोंघा प्रजातियों के लिए 2 ब्रूडस्टॉक और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास • 1 मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन प्रोटोकॉल विकसित किया जाना • दक्ष और कम लागत का 1 स्वदेशी फीड फॉर्मुलेशन विकसित किया जाना • 4 स्थानों पर अंतर्देशीय खुले जल भंडार के लिए केज और पेन पालन प्रोटोकॉल का विकास और प्रदर्शन • विविध और जिम्मेदार मत्स्याखेट के लिए फिशिंग गियर डिजाइन का विकास - 1 डिजाइन • 3 मूल्य संवर्धित और तैयार खाद्य उत्पादों का विकास • 40 मत्स्य प्रजातियों का आनुवंशिक लक्षण वर्णन • 80 स्नातकोत्तर/डॉक्टोरल उपाधि कार्यक्रमों का संस्थाकरण • 4000 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों का आयोजन	• परियोजना क्षेत्रों में अंतर्देशीय, समुद्री और ब्रेकिश जल संसाधनों से मत्स्य पालन में 4 से 6% तक वृद्धि • बांधों से 180 किग्रा/हैक्टेयर/वर्ष और वैटलैंड से 600 किग्रा/हैक्टेयर/वर्ष का बढ़ा हुआ उत्पादन • जलकृषि प्रौद्योगिकियों का विकास होगा और इसे विस्तारित वाणिज्यीकरण के लिए हस्तांतरित किया जाएगा। • इन प्रौद्योगिकियों पर आधारित हस्तांतरित उत्पादों की संख्या
7	कृषि शिक्षा (कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं)	935.69	• 62 संस्थानों में छात्र सुविधाओं और संकाय सुविधाओं का सृजन • ज्ञान सृजन और क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता के 14 मुख्य क्षेत्र मॉड्यूल विकसित किया जाना • स्नातक पूर्व की शिक्षा ले रहे 15000 छात्रों को लक्ष्य करके छात्र 'आरईडीएवाई' अनुभवजन्य शिक्षा और आरएडब्ल्यूई/इन-प्लांट प्रशिक्षण/ इंटर्नशिप के लिए 20 मॉड्यूल विकसित किया जाना • 4000 छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति (स्नातक पूर्व छात्रों के लिए) • 3500 छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति (स्नातकोत्तर) • 10 पुस्तकालयों का डिजिटीकरण • 15 विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन प्रणालियों का विकास • 01 नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना • कृषि नीति अनुसंधान पर 14 संस्थागत और सहयोगात्मक अनुसंधान अध्ययनों का आयोजन • कृषि अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए 9 सांख्यिकीय पद्धतियों का विकास	• छात्रों के नामांकन में 10 प्रतिशत तक वृद्धि की उम्मीद • प्रति 1,00,000 किसानों पर 0.01 के अनुपात में कृषि शोधकर्ता/वैज्ञानिक होने की उम्मीद • प्रभाव डालने वाले कारक जर्नलों में प्रकाशनों की कुल संख्या • प्रकाशनों की कुल संख्या में से उच्च प्रभावी प्रकाशनों का प्रतिशत

8	कृषि अभियांत्रिकी	56.17	• 10 प्रौद्योगिकियों/मशीनों का विकास • मूल्य-वृद्धि के लिए 03 प्रक्रिया प्रोटोकॉल का विकास • 04 नए मूल्य-संवर्धित उत्पादों का विकास • 50 प्रोटोटाइप वस्तुओं का बहुगुणन करना • 500 मशीनी नमूनों का परीक्षण • 100 किसानों को प्रशिक्षण • 08 कस्टम हायरिंग उद्यमियों का प्रशिक्षण	• परियोजना क्षेत्रों में इनपुट उपयोग दक्षता में 3% तक वृद्धि की उम्मीद
9	कृषि विस्तार (केवीके)	274.07	• 1.38 लाख फार्मों पर मौके पर परीक्षणों और फ्रंटलाइन प्रदर्शनों का आयोजन • 15.1 किसानों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण • 20500 टन बीजों का उत्पादन • 231 लाख रोपण सामग्री का उत्पादन • 118.5 लाख पशुधन नस्लों और छोटी मछलियों का उत्पादन • मिट्टी और पानी के 3.02 लाख नमूनों का परीक्षण	• प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की दर में 10% तक वृद्धि की उम्मीद और उत्पादकता में परिणामी वृद्धि

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 3: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क	**केन्द्र प्रायोजित स्कीमें**			
1	नील क्रांति	612.61	मछली उत्पादन में 11.3 लाख टन तक की वृद्धि	मछली निर्गम में 8.9% वृद्धि
2	श्वेत क्रांति			
(क)	पशु संजीवनी	50.00	दूध देने वाले 40 मिलियन पशुओं का यूआईडी में पंजीकरण; दूध देने वाले 40 मिलियन पुशुओं को स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाना	वर्ष 2020 तक दुग्ध उत्पादन में 20% वृद्धि
ख	विभाग/मंत्रालय की अन्य प्रमुख प्रदेय सेवाएं			
1	स्व-नियोजित डेयरी इकाइयों की स्थापना (एनएलएम और एनपीडीडी सीएसएस) मैत्री (बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन) को प्रशिक्षण (एनपीबीबी) लिंग आधारित सीमेन प्रौद्योगिकी- डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उच्च आनुवंशिक गुण वाली बछियाओं की उपलब्धता बढ़ाना (यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और मवेशियों की असाधारण नस्लों के लिए डेयरी क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों में उपयोग में लाई जा रही है)	200.00	• 20618 स्व-नियोजित डेयरी इकाईयों की स्थापना • 4000 बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को प्रशिक्षण • 1.50 लाख खुराक - डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उच्च आनुवंशिक गुण वाली बछियाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए	1,00,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन; कृत्रिम गर्भाधान में 15% तक वृद्धि दुग्ध उत्पादन में 15000 करोड़ रुपए मूल्य तक की वृद्धि

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 5: आयुष मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	**केन्द्र प्रायोजित स्कीमें**			
1.	राष्ट्रीय आयुष मिशन	504.43	(i) 4000 सह-स्थानी आयुष इकाइयों में आयुष सेवा प्रदायगी बढ़ाना (ii) 140 अतिरिक्त इकाइयों में सह-स्थानी आयुष इकाईयां बढ़ाया जाना (iii) आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए 10000 इकाइयों में आयुष सेवा प्रदायगी बढ़ाना (iv) अंनन्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के लिए 9000 आयुष इकाइयों में आयुष सेवा प्रदायगी बढ़ाना (v) आयुष अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन करके 100 अतिरिक्त आयुष इकाईयां बढ़ाया जाना (vi) 50 तक की बिस्तर सुविधा वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों वाली 15 आयुष इकाईयों में आयुष सेवा प्रदायगी बढ़ाना (vii) 50 तक की बिस्तर सुविधा वाले एकीकृत आयुष अस्पताल स्थापित करने के लिए 40 अतिरिक्त आयुष इकाईयां बढ़ाया जाना	सह-स्थान के माध्यम से सभी के लिए कम लागत की आयुष सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि। आयुष अस्पतालों और औषधालयों में आवश्यक आयुष दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करना।
ख.	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1.	आयुष शिक्षा/ड्रग विकास और अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/ लोक दवा आदि (सीओई) में लगे गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित उत्कृष्ट आयुष केन्द्रों को सहायता	5.00	(i) सीओई के तौर पर उन्नयन के लिए सहायता हेतु अनुमोदित किए जाने वाले संस्थान (ii) 5 संस्थान उन्नयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।	कार्यों और सुविधाओं उत्कृष्ट स्तर तक उन्नत करने के लिए संस्थानों को सहायता देना
2.	आयुष एवं जन स्वास्थ्य	5.00	(i) सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए प्रमाणित आयुष हस्तक्षेप को बढ़ावा देना (ii) संस्थागत रूप से योग्य आयुष प्रैक्टिसकर्ताओं को प्रोत्साहन (iii) स्कूली बच्चों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करके आयुष हस्तक्षेप के माध्यम से स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम और क्षमता निर्माण को सहायता (iv) नई परियोजनाएं शुरू किया जाना- 04 (v) चालू परियोजनाओं को जारी रखा जाना- 19 (vi) पूरी की जाने वाली संभावित परियोजनाएं-07	सरकारी संगठनों और निजी संगठनों दोनों के अभिनव प्रस्तावों को सहायता देना। • नई परियोजनाएं शुरू किया जाना- 02 • चालू परियोजनाओं को जारी रखा जाना-02 • पूरी की जाने वाली संभावित परियोजनाएं-02

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
3.	केन्द्रीय आयुष ड्रग नियंत्रक (सीडीएससीओ)	1.00	(i) सीडीएससीओ में वर्टिकल संरचना के जरिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) का विनियमन (ii) विनिर्माण इकाईयों से एएसयूएंडएच दवाओं के सैम्पल/ बाजार सर्वेक्षण सैम्पल एकत्र करना (iii) एएसयूएंडएच दवा विनिर्माता इकाईयों के परिसर का निरीक्षण करना और केन्द्रीय ड्रग नियंत्रक (आयुष) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना (iv) मुकदमों की जांच करना और दोषी संस्थाओं/विनिर्माण इकाईयों के अभियोजन के लिए न्यायालय में शपथ पत्र दायर करना	
4.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	34.00	(i) राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय आरोग्य मेलों का आयोजन-06 (ii) स्वास्थ्य मेलों में भागीदारी-07 (iii) आयुष व्यवस्था के संबंध में मल्टीमीडिया अभियान और प्रचार सामग्री का वितरण-02 (iv) सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आयुष प्रणाली के हितधारकों के बीच एक मंच प्रदान करना-08 (v) आयुष प्रणाली के महत्वपूर्ण दिवसों का मनाया जाना-03	आरोग्य मेलों का आयोजन, स्वास्थ्य मेलों में भागीदारी और मल्टीमीडिया अभियान के माध्यम से आयुष प्रणाली की क्षमता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना।
5.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना	13.00	औषधि की भारतीय प्रणाली के बढ़ावा देने के इस विशेष उपाय में निम्नलिखित शामिल होंगेः (i) विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति-25 (ii) शोध दस्तावेज-22 (iii) व्यापार मेले-20 (iv) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-18 (v) आयुष चेयर-06 (vi) सूचना प्रकोष्ठ-06 (vii) अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति-75	भारत और विदेशों में भारतीय भेषज पद्धति को बढ़ावा देना और उसका प्रचार-प्रसार
6.	एएसयू दवाओं के लिए फार्माकोविजीलेंस पहल	1.50	(i) राष्ट्रीय समन्वय केन्द्र, माध्यमिक केन्द्र पेरिफैरल केन्द्रों की स्थापना (ii) एएसयूएंडएच चिकित्सकों, राज्य ड्रग नियंत्रक, निरीक्षकों को प्रशिक्षण (iii) एएसयूएंडएच देवाओं के प्रतिकूल ड्रग प्रतिक्रिया का प्रणाली-वार डाटाबेस तैयार करना	एएसयूएंडएच दवाओं और उनके भ्रामक विज्ञापनों की सुरक्षा जांच और बाद में विपणन निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करना
7.	आयुष कार्मिकों/निरंतर चिकित्सा शिक्षा का अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम	3.00	(i) आयुष शिक्षक कार्यक्रमों के लिए 18 सीएमई 6- दिवसीय विषय/विशेषज्ञता विशिष्ट कार्यक्रम	आयुष कार्मिकों के ज्ञान को उन्नत रखना

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
			(ii) गैर-आयुष चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के लिए आयुष प्रणाली का 04 सीएमई 6 दिवसीय ओटीपी (iii) आयुष पैरामेडिक/स्वास्थ्य कर्मियों/अनुदेशकों/थैरेपिस्ट के लिए 05 सीएमई 6 दिवसीय विशिष्ट प्रशिक्षण (iv) आयुष/एलोपैथी चिकित्सकों के लिए 03 सीएमई 6 दिवसीय ओटीपी कार्यक्रम, योग/प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण (v) आयुष चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सकों अथवा स्वतंत्र एवं सह-स्थापित आयुष सुविधाओं में तैनात व्यक्तियों के लिए 10 सीएमई 6 दिवसीय विषय-विशिष्ट कार्यक्रम (vi) विभागों/संस्थाओं के आयुष प्रशासकों/प्रमुखों के लिए प्रबंधन/सूचना प्रौद्योगिकी में 02 सीएमई 3 दिवसीय/5 दिवसीय प्रशिक्षण	
8.	अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से अतिरिक्त मुराल शोध परियोजनाएं	6.00	आयुष दवाएं एवं रोगोपचार के मानकीकरण, वैधीकरण एवं विकास के लिए विभिन्न शोध संस्थाओं को अनुदान सहायता (i) नई परियोजनाएं शुरू करना-15 (ii) चालू परियोजनाओं को जारी रखना-20	निम्लिखित के माध्यम से आयुष दवाओं एवं रोगोपचार की सुरक्षा, क्षमता एवं गुणवत्ता के लिए मानकीरण/वैधीकरण और विकास • परियोजनाओं का पूरा होना-06 • आयुष दवाओं/रोगोपचार का वैधीकरण-12 • दस्तावेजों का प्रकाशन-08
9.	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	62.49	(i) औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास क्षेत्रों की स्थापना-06 (ii) औषधीय पादपों का स्वास्थाने/अन्यत्र संरक्षण, संसाधन विस्तार-2750 हेक्टेयर (iii) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी/बीएमसी/वन पंचायतों) को सहायता-44 जेएफएमसी (iv) औषधीय पादपों का शोध एवं विकास-14 (v) क्षमता निर्माण, आईईसी, नर्सरी, क्यूपीएम आदि-19 (vi) हर्बल उद्यान एवं स्कूल हर्बल उद्यान-09 (vii) कच्ची दवाओं के भंडारों की स्थापना-1	(i) स्थानीक, दुर्लभ, संकटापन्न और संकटग्रस्त एवं अन्य औषधीय पादपों का संरक्षण (ii) समग्र जैव विविधता के लिए औषधीय पापदों का संरक्षण एवं विस्तार तथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी उद्योग की मांग पूरी करना (iii) संरक्षण, किफायती फसल उगाने में और सबसे निचले स्तर के लोगों का सामाजिक-

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
				आर्थिक स्तर सुधारने में समुदाय आधारित संगठनों की भागीदारी (iv) औषधीय पापदों की खेती और गुणता पहलुओं के संरक्षण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास (v) औषधीय पादप क्षेत्र में कार्यरत सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण (vi) अधिक से अधिक लोगों को औषधीय पादपों के महत्व के बारे जागरूक और संवेदनशील बनाना (vii) एएसयू औषध निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल की गुणता सुनिश्चित करना
10.	उद्योग क्लस्टर का विकास	1.00	(i) क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के जरिए विशेषतः मानकीकरण, गुणता आश्वासन और नियंत्रण, उत्पादकता, विपणन, उपसंरचना, क्षमता निर्माण से संबंधित क्षेत्रों में भारी अंतर को पूरा करना (ii) इस क्षेत्र में संगठन के स्तर को प्रोत्साहित करना और उसे सामूहिक प्रयासों की वहनीयता के लिए सामाजिक पूंजी सृजित करना (iii) यह स्कीम आयुष मंत्रालय की सहायता से लागू की जाएगी और यह सहायता एसपीवी के लिए अनुदान के रूप में होगी (iv) लक्ष्य निर्धारित नहीं। (v) चालू स्वीकृत परियोजनाओं/प्रतिबद्धताओं को पूरा करना।	क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के जरिए मानकीकरण, गुणता आश्वासन और नियंत्रण, उत्पादकता, विपणन, उपसंरचना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। • परियोजनाएं पूरी की जानी हैं-03 • चालू परियोजनाएं-02

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 6: रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1	असम गैस क्रैकर परियोजना	0.01	वित्त वर्ष 2018-19 में संयंत्र के 94 प्रतिशत क्षमता पर प्रचालन की अपेक्षा है जिससे 2705 करोड़ रुपए का सकल राजस्व पैदा होगा। अपेक्षा है कि कंपनी 142 करोड़ रुपए का कर पश्चात् लाभ कमाएगी।	मध्यकालिक अवधि में यह अत्याधुनिक पैट्रो-रसायन परिसर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पॉलीमर बाजार में अग्रणी स्थान प्राप्त करने की स्थिति में होगा।
2	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी)	83.64	• 07 नए सीआईपीईटी केन्द्र स्थापित किया जाना • सीआईपीईटी केन्द्रों में छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराना • अनुसंधान और विकास तथा तकनीकी सहायता सेवाओं के लिए मशीनरी का प्रापण और स्थापना	प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छात्रों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना, अनुसंधान और विकास के जरिए प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, उद्योग क्षेत्र को प्रौद्योगिकी सहायता
3	इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नॉलोजी (आईपीएफटी)	7.50	कीटनाशकों और उनके अपशिष्टों के विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक उपस्कर	वाणिज्यीकरण के लिए नए कीटनाशी फॉर्मुलेशन तैयार करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास।
4	रसायन संवर्धन और विकास स्कीम (सीपीडीएस)	3.00	रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए देश भर में संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करने का विचार है। पैट्रो-रसायन में प्रौद्योगिकी नवाचार और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के 9वें संस्करण का आयोजन।	वर्ष 2018-19 से 2020-21 में शिक्षाविदों/उद्योग क्षेत्र को शामिल करके कार्यशालाओं का आयोजन कर जानकारी का प्रसार करना। पॉलीमर और प्लास्टिक से बने रोचक उत्पादों की कार्यक्षमता/गुणता में सुधार। राष्ट्रीय पुरस्कारों से शोध एवं नवाचार को बढ़ावा मिलने की आशा है।
5	पेट्रो-रसायन की नई योजनाएं (55.50)			
5.1	विशिष्ट प्लास्टिक पार्कों की स्थापना	49.50	• मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क की समग्र रूप से 80% भौतिक प्रगति • असम प्लास्टिक पार्क की समग्र रूप से 50% भौतिक प्रगति • ओडिशा प्लास्टिक पार्क की समग्र रूप से 60% प्रगति • तमिलनाडु प्लास्टिक पार्क की समग्र रूप से 40% प्रगति	लगभग 1900 व्यक्तियों को रोजगार
5.2	उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना संबंधी योजना	6.00	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 3 नई उत्कृष्टता केन्द्र परियोजनाएं देश में विद्यमान पैट्रो-रसायन प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान में सुधार और पॉलीमर्स एवं प्लास्टिकों के नए अनुप्रयोगों के विकास में सुधार	इसका परिणाम शिक्षाविदों, अनुसंधान और शैक्षिक उत्कृष्टता को भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा मिलने के रूप में प्राप्त होगा। उन्नत पॉलीमरी सामग्री और टिकाऊ पॉलीमरों में अनुसंधान कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए

			उत्कृष्टता केन्द्र योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों से पॉलीमर साइंस में सम-सामयिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और पॉलीमर उद्योग के सदस्यों तथा शिक्षाविदों के प्रशिक्षण में इसका योगदान होगा।	क्रमश: संसाधन और क्षमताएं मजबूत की जा रही हैं।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 7: उर्वरक विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम**			
1	**पोषण आधारित राजसहायता**			
1.1	स्वदेशी पी एंड के	15820.35	एनबीएस स्कीम के तहत राजसहायता देकर किसानों को किफायती दरों पर लगभग 152.00 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) स्वदेशी पीएंडके उर्वरक उपलब्ध कराया जाना	सुझाए गए अधिकतम खुदरा मूल्य पर किसानों को स्वदेश निर्मित पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता से मिट्टी में पीएंडके पोषकों के अनुप्रयोग में सुधार होगा जिससे उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो सकेगा अर्थात् एनःपीःकेः अनुपात में सुधार होगा
1.2	आयातित पी एंड के	9260.00	राजसहायता देकर किफायती दरों पर 80.00 लाख मीट्रिक टन आयातित पीएंडके उर्वरक उपलब्ध कराया जाना	उर्वरकों का संतुलित उपयोग, जिससे एनःपीःकेः अनुपात में सुधार होगा
1.3	सिटी कम्पोस्ट	10.00	राजसहायता देकर किसानों को किफायती दरों पर 2.00 लाख मीट्रिक टन सिटी कम्पोस्ट उपलब्ध कराया जाना	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और शहरी अपशिष्ट के लाभकारी उपयोग के लिए सिटी कम्पोस्ट का उपयोग; जैव उर्वरकों का अधिक उपयोग और कृषि उत्पादन में वृद्धि
2	**यूरिया राजसहायता**			
2.1	मालभाड़ा राजसहायता के साथ स्वदेशी यूरिया	34989.00	किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित सांविधिक एमआरपी पर लगभग 245.00 लाख मीट्रिक टन स्वदेश निर्मित यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा	किसानों को यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता, इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और देश में अधिकाधिक खाद्य उत्पादन होगा
2.2	आयातित यूरिया	13360.00	लगभग 70.00 लाख टन यूरिया आयात किए जाने की उम्मीद है	यूरिया के आयात से मांग और उत्पादन का अंतर खत्म हो जाएगा। इससे किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित सांविधिक एमआरपी पर यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 8: औषध विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	135.00	550 अतिरिक्त विशेषज्ञ शामिल करके औषध विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि	अधिक से अधिक शोध प्रकाशन, परियोजनाएं और परामर्शी सेवाएं, पेटेंट/ड्रग की खोज; औषध उद्योग के साथ सहयोग।
2	जन औषधि योजना	85.00	देश में 1000 अतिरिक्त जन औषधि स्टोरों का खोला जाना	किफायती एवं अच्छी जेनरिक दवाओं/स्वास्थ्य उपकरणों तक अधिक पहुंच।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 9 - नागर विमानन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
(क) एयर इंडिया लिमिटेड (आई एंड ईबीआर)*				
	अतिरिक्त ईंजनों एवं सिमुलेटरों के लिए भुगतान	238.00	नए विमानों के लिए सहायक अवसंरचना	अधिक संख्या में यात्रियों की ढुलाई के लिए क्षमता में वृद्धि
	अन्य पूंजीगत व्यय	268.00	रखरखाव और प्रशिक्षण, एमआरओ, आईटी प्रणाली जैसी सहायक अवसंरचना का सृजन	प्रचालन दक्षता के लिए अपेक्षित हवाई जहाज रखरखाव, जमीनी उपकरण आदि के लिए अवसंरचना और सहायता प्रणाली
	एयर इंडिया (जीबीएस)			
	कायापलट योजना के अनुसार इक्विटी निवेश	650.00	कायापलट योजना के अनुसार	प्रचालन दक्षता और कंपनी को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कायापलट योजना अनुमोदित की गई है
(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आई एंड आईईबीआर)				
1	विभिन्न हवाई अड्डों पर सुविधाओं का उन्नयन	4086.00	नई सुविधाएं जैसे हैंगर, एटीसी टावर, टर्मिनल भवन, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा अवसंरचना, मार्गनिर्देशन सुविधाएं	इन सुविधाओं से ट्रैफिक संभालने की हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि होगी।
जोड़ ख		4086.00		
(ग) पवन हंस लिमिटेड (आईईबीआर)				
1	अन्य पूंजी व्यय	9.00	कारपोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रों में विविध सिविल/विद्युत कार्य, फर्नीचर एवं फिक्चर और जमीनी सहायता उपकरणों की खरीद	
(घ) क्षेत्रीय संपर्क योजना (पूर्वोत्तर संपर्क)				
1	पूर्वोत्तर संपर्क के लिए अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण	124.00	पूर्वोत्तर संपर्क के लिए अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण	
(ङ) क्षेत्रीय संपर्क योजना (हवाई अड्डों का उन्नयन)				
1	हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार एवं उन्नयन	890.09	क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत 50 हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार	
(च) एसईएसएफ परिचालन के लिए नए विमानों की खरीद				
1	एसईएसएफ परिचालन के लिए 2 नए वीवी आईपी विमानों की खरीद	4469.50	एसईएसएफ परिचालन के लिए 2 नए वीवीआईपी विमानों की खरीद	

*एयर इंडिया और पवन हंस लिमिटेड को वित्त वर्ष 2018-19 में रणनीतिक विनिवेश के लिए चुना गया है और इसलिए उपर्युक्त दोनों का पूंजी व्यय तदनुसार भिन्न हो सकता है।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-2019

मांग सं. 10: कोयला मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-2019	परिव्यय 2018-2019 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	**कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा तथा अवसंरचना विकास**			
क.	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	59.50	2 मैनराइडिंग प्रणाली की स्थापना	कार्य-स्थल पर प्रभावी कार्य-घंटे बढ़ाकर कामगारों का कार्य-निष्पदान में सुधार लाना
ख.	कोयला खान क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	140.00	दो रेल परियोजनाओं और सड़क निर्माण के कार्यों को आंशिक धनराशि मुहैया कराना	इससे कोयला क्षेत्र से कोयले को हटाने में मदद मिलेगी
ग.	पर्यावरण संबंधी उपाय और अवतलन नियंत्रण	0.50	झरिया कोयला क्षेत्रों में खान अग्नि और अवतलन को नियंत्रित करना और झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का पुनर्वास	• 7 कार्य-स्थलों पर आग बुझाने का काम • झरिया में 7000 परिवारों का पुनर्वास
2.	**कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण**			
क.	क्षेत्रीय अन्वेषण	150.00	1.10 लाख मीटर ड्रिलिंग	लगभग 1.5 बिलियन टन नए स्रोत जोड़े जाएंगे
ख.	विस्तृत अन्वेषण	350.00	2.2 लाख मीटर ड्रिलिंग	लगभग 1.2 बिलियन टन कोयला रिजर्व में बढ़ेगा
3.	**अनुसंधान और विकास**	10.00	2 नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और 4 चल रही परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जाएगा।	• गोफ ऐजेज में सपोर्ट प्रणालियों की पारंपरिक तकनीकों के मुकाबले विकसित सेल्फ एडवांसिंग (मोबाइल) गोफ ऐज सपोर्ट का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन। • सीधी गहराई वाले स्ट्रेस क्षेत्रों का मूल्यांकन और कोयला खानों के रूफ हैजर्डस मानचित्रों का विकास • कोयला खान की धूल में मौजूद जैव-लौह से कोयला खानों के कामगारों के फेफड़ों की बीमारी के संभावित खतरे • खुली कोयला खानों में कोयला-धूल दबाने की ऑनलाइन प्रणाली तथा पानी छिड़कर इसे कम करने का तरीका

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 11 - वाणिज्य विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	शिपमेंट पूर्व और शिपमेंट पश्चात् रुपया निर्यात क्रेडिट संबंधी ब्याज समकरण योजना	2500.00	• 100,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शिपमेंट व्यापार के संबंध में ब्याज समकरण कवरेज प्रदान किया जाना	यह स्कीम अभिज्ञात निर्यात क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात निष्पादन का उच्चतर स्तर प्राप्त करने में मदद करेगी।
2	निर्यात क्रेडिट गारंटी कोरपोरेशन में निवेश	500.00	• यह पूंजी निवेश प्रूडेंसियल सीमाओं जारी की गई बीमा सुरक्षा की अधिकतम देयता के संदर्भ में ईसीजीसी की समुद्री बीमा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार यह देयता 86232 करोड़ रुपए थी जो इसके निवल मूल्य का लगभग 24 गुना है।	विनियामक मानकों के अनुपालन से ईसीजीसी निर्यातकों को अपना सहायता सेवा प्रदान करना जारी रख सकेगा।
3	राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा	330.00	• जारी की गई बीमा सुरक्षा की अधिकतम देयता के संदर्भ में राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा की समुद्री बीमा क्षमता बढ़ाकर 17250 करोड़ रुपए करना	राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा, निर्यात क्रेडिट गारंटी कोरपोरेशन की समुद्री बीमा क्षमता से आगे परियोजना निर्यात के लिए बीमा सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है।
4	कॉफी बोर्ड	131.20	• 340,000 मीट्रिक टन कॉफी उत्पादन (लगभग 9% वृद्धि) और 33,0000 मीट्रिक टन कॉफी निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना • श्रमिकों और छोटे कॉफी उत्पादकों को कल्याण सहायता के लिए 2000 लाभार्थी की सहायता करना • परम्परागत क्षेत्र में 500 हेक्टेयर क्षेत्र पुनर्रोपण/विस्तार किया जाना है	• कॉफी का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के ले सहायता
5	रबर बोर्ड	118.92	• 11200 हेक्टेयर में नए रोपण/पुनर्रोपण • शिक्षा कार्यक्रम से 75000 कृषकों को लाभ होगा • श्रम कल्याण उपायों के 30920 लाभार्थी • 4000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण	• रबर का उत्पादन, उत्पादकता बढ़ेगी, विस्तार होगा, विस्तार क्रियाकलापों आदि को बढ़ावा मिलेगा
6	चाय बोर्ड	95.80	• 1250 मिलियन किग्रा चाय का उत्पादन और 230 मिलियन किग्रा. चाय के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना। • 2500 हेक्टेयर पुनर्रोपण किया गया/प्रतिस्थानी रोपण किया गया • ग्रीन टी, परम्परागत चाय, विशेष चाय के उत्पादन के लिए दो नई फैक्ट्रीय स्थापित की जानी है • 22 और एसएचजी की गठन किया जाना है • कल्याण कार्यों के 11479 लाभार्थी	प्रौद्योगिकीय उन्नति और सघन अंगीकरण के माध्यम से भारत में चाय रोपण के उत्पादन एवं उत्पादकता में समग्र सुधार। निर्यात के नए अवसरों के साथ-साथ बाजार तक बेहतर पहुंच; चाय बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 12: औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
1.	निवेश संवर्धन स्कीम स्टार्टअप इंडिया	**281**.00	• "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक" के आधार पर भारत को विश्व में सर्वाधिक वरियता प्राप्त 10 शीर्ष एफडीआई स्थलों में और विश्व बैंक द्वारा देशों की रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में शामिल कराना। • मार्च, 2019 तक नीतिगत सहायता व्यावसाय योजना परामर्श के माध्यम से, वित्तीय अवसरों से जोड़कर 1000 स्टार्टअप की मदद एवं सहायता करना। स्टार्टअप इंडिया हब - स्टार्टअप, निवेशकों, इंक्यूबेटरों, एक्सीलेटरों, सरकारी निकायों, परार्मशदाताओं, उद्यमता में रूचि रखने वाले प्रयोक्ताओं -100,000 प्रयोक्ताओं के लिए एकल खिड़की मंच तक पहुंच सक्षम बनाना। प्राप्त हुए 1,30,000 प्रश्नों का शीघ्र एवं समय से उत्तर प्रदान करना।	निवेश और आर्थिक विकास के लिए निवेशकों के विश्वास में सुधार अभिनव स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ईको सिस्टम में सुधार युवाओं में उद्यमता विकास में मदद करेगा और उन्हें रोजगार तलाशने की बजाय रोजगार सृजन करने में जोखिम उठाने वाले बनाने में प्रोत्साहित करेगा।
2.	औद्योगिक कॉरिडर विकास	**1100**.00	धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, शेन्द्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र, दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, एमएमएलएच, नांगल चौधरी, विक्रम उद्योगपुरी में सड़कों एवं सेवाओं, प्रशासनिक एवं व्यापारिक केन्द्र, जल शोधन संयंत्र, सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र और सीवेज शोधन संयंत्र आदि के साथ-साथ ट्रंक अवसंरचना का विकास काफी हद तक पूरा करना। औद्योगिक इकाईयों के लिए 350 हेक्टेयर के प्लाट मार्च, 2019 तक आबंटित कर दिए जाने की संभावना है।	इस क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं के विकास से हरित औद्योगिक क्षेत्र के विकास के अवसर खुलेगे और क्षेत्र के आगे के विकास को गति मिलेगी।
3.	प्रदर्शनी सम्मेलन केन्द्र, द्वारका, नई दिल्ली	**700.00**	चरण-I में सभी गैर-पीपीपी घटकों के निर्माण के लिए परियोजना चल रही होगी जिसमें 2 प्रदर्शित हॉल शामिल होगे। प्रदर्शनी हॉल के नीचे सम्मेलन केन्द्र, सेवाओं और उपयोगी सुविधाओं तथा सेवा बेसमेंट के साथ ट्रंक अवसंरचना। इन घटकों मार्च, 2019 तक 50% तक पूरा हो जाने की संभावना है।	पूरा होने पर मुख्य ईसीसी सुविधाओं और फुटकर, कार्यालय और आतिथ्य जैसे सहायक भूमि प्रयोगों में इस नई सुविधा से 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
4.	भारतीय चर्म एवं फुट वीयर विकास कार्यक्रम	**500.00**	• फुट वीयर, चर्म और सहायक सामग्री क्षेत्र में 200 इकाइयों का पूर्ण आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन • कम से कम एक विशाल चर्म समूह को चालू करना। • विद्यमान न्यूनतम एफडीडीआई का 'उत्कृष्टता	इस कार्यक्रम के अंतर्गत विचाराधीन सहायता उपायों से औद्योगिक विकास के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण के लाभों के साथ आधुनिक चर्म इकाइयों और 'उत्कृष्टता केन्द्रों' की स्थापना में

			केन्द्रों' के रूप में उन्नयन • 1.44 लाख बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार परक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	मदद मिलेगी जिससे चर्म और फुट वियर क्षेत्र में कुशल रोजगार के सृजन में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी। सीईपीटी के उन्नयन से तैयार चमडे के उत्पादन की हमारी क्षमता बढ़ेगी और यह सुनिश्चित होगा कि ये इकाइयां पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देशों को पूरा कर रही हैं।
5.	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम	**200.00**	चालू 24 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाओं को पूरा किया जाना है	औद्योगिक क्लस्टरों में बेहतर अवसंरचना प्रदान करना जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा
6.	परिवहन सब्सिडी स्कीम/माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम के विलय के साथ 2017 में यथा-नवीकृत पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन स्कीम, 2017	**928.00**	मार्च, 2017 तक स्थापित औद्योगिक इकाईयों के सभी बकाया दावों का निपटान करना तथा नवस्थापित 400 से अधिक औद्योगिक इकाईयों की सहायता करना। ऐसी इकाईयों की वास्तविक संख्या जो दुर्गम क्षेत्र में ऊंची लागत की अदायगी के लिए परिवहन लागत सब्सिडी की मांग करती है, उद्योगों द्वारा पेश की गई मांग पर निर्भर करेगी	इससे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके पर्वतीय, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा जिससे औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन गति आएगी।
7.	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2017 में यथा-नवीकृत प्रोत्साहन स्कीमें	**145.00**	स्थापित औद्योगिक इकाईयों के सभी बकाया दावों को मार्च, 2017 तक निपटाए जाने और 150 से अधिक नवस्थापित औद्योगिक ईकाइयों को सहायता दिए जाने का लक्ष्य है	इससे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके पर्वतीय, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा जिससे औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन गति आएगी।
8.	जीएसटी की वापसी	1500**.00**	सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित लगभग 4200 इकाईयों को सहायता देना	इससे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके पर्वतीय, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा जिससे औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन गति आएगी।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 13: डाक विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	डाक संबंधी परिचालन	**715**.00		
	डाक परिचालन	**200**.00	डाक नेटवर्क इष्टतम उपयोग परियोजना-90 पार्सल हब उन्नयन, 50 पंजीयन केन्द्र उन्नयन सड़क परिवहन नेटवर्क का विकास और वितरण - 35 केन्द्र; 40 मार्ग 6 ई- कॉमर्स पार्सल बुकिंग और व्यापार केन्द्र और 20 स्वचालित पार्सल कीओस्क	उच्चतर राजस्व उत्पादन की अपेक्षा के साथ प्रक्रियाओं और वितरण नेटवर्क की उन्नत उत्पादकता के माध्यम से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं
	डाक परिचालनों और अन्य उत्पादों के प्रचार में सुधार	**115**.00	डाक उत्पाद टिकट संग्रह का विपणन-50 प्रदर्शनियां, 100 मॉई काउंटर स्टैम्प, 50 ब्यूरो का उन्नयन नवप्रर्तन उत्पाद और संबंधित कार्य, 25 डाक बचत बैंक -40 लाख एटीएम कार्ड, डाक जीवन बीमा-प्रचार-प्रसार प्रशिक्षण और संबंधित कार्य	उच्चतर राजस्व उत्पादन की अपेक्षा के साथ ग्राहकों के लिए डाक उत्पादों तक उन्नत पहुंच
	सूचना प्रौद्योगिकी प्रवर्तन और आधुनिकीकरण	375.00	विभाग के लिए डाटा केन्द्र और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का रख-रखाव (वित्तीय प्रणाली समकलक, मूल प्रणाली समकलक, नेटर्वक एकीकरण और दर्पण)	मूल बैंकिंग और अन्य संबंधित कार्यों के लिए एकल व्यापक क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से 1.54 लाख डाकघरों के एकीकृत नेटवर्क का रख-रखाव
	ग्रामीण व्यापार और डाक नेटवर्क तक पहुंच	**25**.00	150 बीओ और 200 बिक्री केन्द्र खोलना, 15000 निर्देशक और पत्र पेटी, 100 नकदी तिजोरी	ग्रामीण डाक नेटवर्क में बेहतर लक्ष्यता अवसंचरना और पहुंच

2.	मानव संसाधन प्रबंधन	60.00	45000 अधिकारियों को प्रशिक्षण, 55 कार्यस्थल प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन और संबंधित कार्य	कंप्यूटरीकृत परिवेश में कार्य करने के लिए अधिकारियों के कौशल का उन्नयन
3	संपदा प्रबंधन	85.00	120 डाकघर परियोजनाएं, नई, पुरानी, धरोहर इमारतें और संबंधित कार्य	उन्नत ग्राहक अनुभव और डाक परिचालन
4	भारतीय डाक भुगतान बैंक	300.00	प्रौद्योगिकी प्रवर्तन रख-रखाव और श्रमशक्ति के लिए इक्विटी संचार	50,000 अभियान स्थानों के साथ 650 शाखाओं का सुचारू परिचालन और बिना खाते वाले व्यक्तियों एवं सुविधा से वंचित व्यक्तियों का वित्तीय समावेशन

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 14: दूरसंचार विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम				
यूएसओएफ योजनाएं				
1	1) भारत नेट चरण-1 2) भारत नेट चरण-2	8000.00	1,50,000 ग्राम पंचायतें	ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकोंऔर संस्थाओं को किफायती ब्रॉडबैण्ड सेवाएं उपलब्ध कराना।
	3) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी	524.00	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 156 अतिरिक्त टॉवर। 302 वीसैट स्थलों पर बैंडविड्थ 512 केबीपीएस से बढ़ाकर 1 एमबीपीएस करना।	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करना।
	4) असम सेवा क्षेत्र में ओएफसी नेटवर्क की बढ़ोत्तरी, सृजन और प्रबंधन	11.68	323 नोड्स में से 319 नोड्स शुरू कर दी गई है। शेष नोड्स 2018-19 में शुरू कर दी जाएंगीं।	ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैण्ड सेवाएं सुधारने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता चाहिए होगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के एक्सेस नेटवर्क से आने वाले वॉइस एवं डेटा ट्रेफिक को समेकित किया जा सके।
	5) एनई-। और एनई-।। (इससे पहले इन्हें असम से इतर सेवा क्षेत्रों में रखा गया था) में ओएफसी नेटवर्क की बढ़ोत्तरी, सृजन और प्रबंधन	38.80	2274 किमी में से 1841 किमी डक्ट बिछा दी गई है। शेष केबल वर्ष 2018-19 के दौरान बिछा दी जाएगी।	ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैण्ड सेवाएं सुधारने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता चाहिए होगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के एक्सेस नेटवर्क से आने वाले वॉइस एवं डेटा ट्रेफिक को समेकित किया जा सके।
	6) ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल के टेलीफोन केन्द्रों की ब्लॉक-स्तरीय अवसंरचना का प्रयोग करते हुए 25000 वाई फाई हॉटस्पॉट की व्यवस्था	450.00	25000 वाई फाई हॉटस्पॉट की व्यवस्था की जाएगी।	इस योजना के परिणामस्वरूप 25000 वाई फाई हॉटस्पॉट की स्थापना और आरंभन हो सकेगा जिससे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि जैसी मूल प्रयोक्ता डिवाइस के प्रयोक्ताओं को सहायता

				मिलेगी।
	7) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिए व्यापक टेलीकॉम विकास योजना	443.29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में ओएफसी केबल बिछाना	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सेवाओं में सुधार
	8) एनईआर के लिए व्यापक टेलीकॉम विकास योजना	400.00	अभिनिर्धारित 4119 असेवित गांवों में 2817 मोबाइल टावर उपलब्ध कराना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सेवाओं में सुधार
	9) एनईआर के लिए व्यापक टेलीकॉम विकास योजना के अंतर्गत ट्रांसमिशन मीडिया की बढ़ोत्तरी	100.00	2122 किमी अंडरग्राउंड तथा 1091 किमी एरियल ओएफसी केबल बिछाना और संबद्ध टर्मिनल उपकरण लगाना	ट्रांसमिशन मीडिया की बढ़ोत्तरी और ट्रांसमिशन नेटवर्क में अप्रचलन को समाप्त करते हुए विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
	10) अन्य यूएसओएफ योजनाएं	33.00	प्रारंभन अवधि चालू है।	ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार
2	रक्षा स्पेक्ट्रम - रक्षा सेवाओं के लिए ऑपटिक्ल फायबर केबल आधारित नेटवर्क)	4500.00	परियोजना के लिए ओएफसी डालना और उपस्कर की खरीद	रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित वैकल्पिक संचार नेटवर्क उपलब्ध करवाना

स्कीमों के लिए निर्गमपरिणाम रूपरेखा- 2018-19

मांग सं. 15: उपभोक्ता कार्य विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**2018-19 परिव्यय के मुकाबले में निर्गमप्रदेय सेवाएं/**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
क	**उपभोक्ता संरक्षण**			
1.	उपभोक्ता मंचों, उपभोक्ता काउँसिलिंग और मध्यस्थता का सुदृढ़ीकरण	13.00	निर्माणधीन 49 भवनों का निर्माण कार्य पूरा करना और आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में उपभोक्ता संरक्षण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। शौचालयों के निर्माण के लिए स्वच्छता कार्य योजना के तहत निधियां भी उपलब्ध कराना।	उपभोक्ता मंच की कार्यप्रणाली में सुधार
2.	कानफोनेट	18.50	मैनुअल सिस्टम की जगह स्थापित करने के लिए केस प्रबंधन की पूर्ण स्वचालित प्रणाली	उपभोक्ता शिकायतों, मध्यस्थता केन्द्रों, ई-सुनवाई, ई-हलफनामा, ई-भुगतान, ई-नोटिस, ई-निर्णय आदि के ऑनलाइन फीडिंग शुरू करना।.
3.	उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	4.00	सेमिनारों, विश्व उपभोक्ता दिवस आदि के सीसीपीसी समारोह की बैठकों का आयोजन	परामर्श के माध्यम से कार्य योजना की योजना तैयार करना और हितधारकों को संपादित कार्यकलापों से अवगत रखना
4.	एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र (आईसीजीआरएस)	6.67	एनसीएच के तहत कई एजेंसियों का एकीकरण और उभरते रुझानों के अनुरूप सभी उपभोक्ता सलाह, उपभोक्ता वकालत और शिक्षा और ऐसे विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त उपभोक्ता हानि को रोकना	इन शिकायतों का निपटान करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रक्रिया का सरलीकरण और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए समान प्रोटोकॉल
5	उपभोक्ता जागरूकता (प्रकाशन और प्रचार)	70.00	• अखबारों में विज्ञापन जारी करना, रेडियो चैनलों में श्रव्य झलकियां, टीवी झलकियां एवं बाहरी प्रचार-प्रसार करना • व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों एवं ग्रामीण मेलों में भाग लेना • सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता	सोशल मीडिया सहित मल्टीमीडिया - अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता; ग्रामीण, पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों सहित समग्र जनसंख्या तक पहुंचने के लिए राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों का / सहयोग लेना

6	मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करना (मूल्य निगरानी ढ़ांचा)	2.00	(i) 3 नए मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों को शामिल करना (ii) केंद्र में एनआईसी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 1 आईटी / तकनीकी पेशेवर को रखना। (iii) मूल्य से संबंधित अध्ययन के लिए कम से कम 1 स्वतंत्र व्यावसायिक संगठन की सेवाएं प्राप्त करना (iv) मूल्य विश्लेषण के लिए 1 सांख्यिकीय पैकेज लेना (v) 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 1 क्षेत्रीय सम्मेलन-सह-प्रशिक्षण और मार्केट विजिट का आयोजन करना (vi) एक डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) की नियुक्ति करके राज्यों के प्रत्येक मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र का समर्थन करना। (vii) प्रत्येक केंद्र में जियोटैगिंग सुविधाओं से युक्त हस्तचलित उपकरण प्रदान करना	• केन्द्र और राज्य स्तरों पर मूल्य निगरानी की वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ करना, डाटा रिपोर्टिंग, निगरानी एवं विश्लेषण की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना, डाटा का प्रमाणीकरण और मूल्य विश्लेषण को सुसाध्य बनाना
ख	**विधिक मापविज्ञान विज्ञान और गुणता आश्वासन**			
7	**विधिक मापविज्ञान एवं प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण**: i) राज्योंसंघ राज्य / क्षेत्रों कीमापविज्ञान अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना ii) क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं तथा भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची का सुदृढ़ीकरण iii) समय का प्रसार	45.00	(क) मानक प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान जारी करना (ख) ब्लड प्रेशर मीटर परीक्षण किटें, टैक्सी मीटर परीक्षण यूनिटें, क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए वाटर बाथ, मानक तुलाओं आदि जैसे मानक उपकरणों का प्रापण/आपूर्ति (ग) विधिक माप अधिकारियों का भारत और विदेश में प्रशिक्षण (क) अधीनस्थ विधिक मापविज्ञान कार्यालयों/प्रयोगशालाओं का पुनरुद्धार/उन्नयन (ख) क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं और आईआईएलएम, रांची के लिए मानक जांच उपकरणों का प्रापण (ग) वाराणसी और नागपुर में नई क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं की स्थापना (घ) भारत और विदेश में विधिक मापविज्ञान अधिकारियों का प्रशिक्षण (क) समय के प्रसार के लिए पांच क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं टाइम सर्वर की स्थापना।	• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाओं में सुधार करना • क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं और नई क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं की स्थापना • आईआईएलएम, रांची में प्रशिक्षण सुविधाएं • विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की क्षमता निर्माण नए मानकों का विकास और इसका प्रसार

8	राष्ट्रीय परीक्षण शाला	29.00	नए भवनों का निर्माण, परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस की शुरूआत तथा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए डिजिटल डाटाबेस सृजित करना।	डिजिटल इंडिया मूवमेंट, परीक्षण समय में कटौती, पेक्ड पेयजल के परीक्षण के लिए नई परीक्षण सुविधाओं, ट्रान्सफ़ॉर्मर्स व एलईडी के ट्रांसफार्मर/इंपल्स वोल्टेज के लिए वॉल्टेज परीक्षण सुविधा सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला का आधुनिकीकरण
9.	स्वर्ण हालमार्किंग का सुदृढ़ीकरण, मानक संबंधी क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं विकास कार्य:- i) भारत में स्वर्ण हालमार्किंगपरख करने / के केन्द्रों की स्थापना करना ii) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली (एनएसएस)	2.00	9 स्वर्ण हालमार्किंगपरख करने के के/न्द्रों की स्थापना करना और मान्यता प्रदान करना कारीगरों के लिए 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। ए एंड एच केंद्रों के कर्मचारियों के लिए 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम और बीआईएस अधिकारियों के लिए ए एंड एच केंद्रों की लेखापरीक्षा के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बीआईएस तकनीकी समिति की बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण बैठकों में भागीदारी को बढ़ाना भारत में तकनीकी समिति के सदस्यों के लिए 28 सेमिनार/कार्यशालाओं, 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 4 आईएसओ एवं आईईसी और अन्य अंतरराष्ट्रीय बैठकें/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करना।	हॉलमार्क जूलरी और कलाकृतियों का देश के 9 अतिरिक्त स्थानों तक विस्तार करना पारदर्शी तरीके से योजना की बेहतर समझ और कार्यान्वयन के लिए संबंधित कार्मिक समूहों की क्षमता निर्माण राष्ट्रीय व्यापार और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानकों (नए मानकों और मौजूदा मानकों का संशोधन) के विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानकों भारत के दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय व्यापार एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के समावेश पर विचार करते हुए सामरिक स्थितियों को लेना। मानक निर्धारण प्रक्रिया, मानकों को लागू करने और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर राय बनाने के संबंध में हितधारकों को संवेदनशील बनाना। आईएसओ / आईईसी तकनीकी और नीति समितियों द्वारा भारत के सरोकारों की बेहतर सराहना के लिए एनएसबी और अन्य देशों के विशेषज्ञों के साथ बातचीत बढ़ाना और अधिकाधिक भागीदारी
10	मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ)	1500.00	1. दालों का गतिशील बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए दालों का प्रापण/ आयात। हालांकि, दालों के बफर स्टॉक के लक्ष्य स्तर का निर्धारण समिति द्वारा सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में किया जाएगा । 2. बाजार में हस्तक्षेप, जब आवश्यक हो, करने के लिए प्याज जैसे कृषि-बागवानी उत्पादों की खरीद। .	पीएसएफ के तहत अधिसूचित कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों की अस्थिरता में सुधार। इस तरह की अस्थिरता को मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ (पीएमसी) द्वारा दी गई कीमतों के संदर्भ में मापा जाएगा।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 16: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
	खाद्य सब्सिडी			
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता	1,38,123.00	राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के तहत 550.00 लाख टन खाद्यान्नों का संवितरण	राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की बिक्री द्वारा समाज के निर्धनतर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के विकेन्द्रीकृत प्रापण के लिए खाद्य राजसहायता	31,000.00		
3	अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सब्सिडी	200.00	अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए राजसहायता प्राप्त दरों पर चीनी का वितरण	समाज के निर्धनतर वर्गों के लिए चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना
4	भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	50,000.00	उसी वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित की जाने वाली नकदी प्रवाह की समस्याओं से निजात पाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया	जनता को अबाधित रूप से खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, के तहत खाद्यान्नों के अंतर-राज्य संचालन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और उचित दर दुकान के डीलर का मार्जिन	4,000.00	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्नों की सुपुर्दगी और वितरण	उचित दर दुकानों के द्वार तक खाद्यान्नों की सुपुर्दगी और उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना
	चीनी उद्योग का विकास			
6	चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/चीनी विकास निधि के अन्य व्यय (चीनी विकास निधि का प्रशासन)	26.00	ऋण आवेदनों का मूल्यांकन और प्रक्रमण, चीनी उद्योग के विकास के लिए कम दरों पर दिए गए ऋण की वसूली और मानीटरिंग करना	चीनी उद्योग का विकास
7	चीनी उपक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देने की स्कीम, 2014 (सीफासू)	200.00	चीनी मिलों द्वारा अनुसूचित बैंकों से लिए गए ऋण के मुकाबले में ब्याज सहायता के रूप में किसानों को गन्ना बकाया मूल्य के भुगतान के लिए चीनी उद्योगों को सहायता	गन्ना किसानों को गन्ना बकाया मूल्य का भुगतान करने में चीनी मिलों को सहायता
8	चीनी मिलों के पुनर्वास/नवीकरण के लिए ऋण	100.00	चीनी मिलों के नवीकरण के लिए सुलभ ऋण के रूप में सहायता और उनकी क्रशिंग क्षमता में लगभग 15,000 टन प्रतिदिन क्रश किए जाने में वृद्धि करना	घरेलू खपत और निर्यात के लिए चीनी उत्पादन की क्षमता में वृद्धि

9	गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	25.00	उच्च उत्पादकता किस्मों के प्रचार के माध्यम से गन्ने की लगभग 10 लाख हेक्टेयर की उपज और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुलभ ऋणों के रूप में सहायता और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल संरक्षण	चीनी के उच्चतर उत्पादन के लिए गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि
10	खोई आधारित सह उत्पादन ऊर्जा परियोजना के लिए चीनी मिलों को ऋण	200.00	खोई कचरे का प्रयोग करते हुए 200 मेगावाट तक ऊर्जा के उत्पादन के लिए सुलभ ऋणों के माध्यम से चीनी मिलों को सहायता	चीनी मिलों की व्यावहारिकता/ द्रवता में सुधार लाना; खोई कचरे का पुनरावर्तन, कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना
11	एलकॉहल से एनहाइड्रस एलकॉहल/ इथेनॉल के उत्पादन के लिए ऋण	60.00	चीनी उत्पादन से प्राप्त शीरे का उपयोग करते हुए 130 किलो लिटर प्रति दिन तक इथेनाल के उत्पादन के लिए सुलभ ऋणों के माध्मय से चीनी मिलों को सहायता	चीनी मिलों की व्यावहारिकता/ द्रवता में सुधार; रसायन उद्योग में उपयोग के लिए और इथेनॉल बलेंडिड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत सम्मिश्रण के लिए इथेनॉल का उत्पादन करना और इस प्रकार शीरे का उपयोग करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करना और विदेशी मुद्रा बचाना
अन्य स्कीमें				
12	भण्डारण एवं गोदाम -			
12.1	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण (निवेश)	35.00	20000 मी. टन की भण्डारण क्षमता का सृजन किया जाना है	नए वैज्ञानिक गोदामों के निर्माण के माध्यम से भण्डारण क्षमता अंतर को पूरा करना,
12.2	राज्य सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण (पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान)	25.00	सहायता अनुदान के तहत राज्य सरकारों द्वारा मध्यवर्ती भण्डारण गोदामों के निर्माण के लिए 15000 मी. टन क्षमता के लक्ष्य को पूरा करना	पूर्वोत्तर राज्यों में
13	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिचालन का सुदृढ़ीकरण	41.00	1.25 लाख अतिरिक्त उचित दर की दुकानों का स्वचलन	लेन-देन का इलेक्ट्रानिक रूप से पता लगाना
14	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	10.00	पीडीएस नेटवर्क सत्यापित करना	राशन कार्ड की राष्ट्रीय स्तर पर द्विरावृत्ति

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19
मांग सं. 17: कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
1	कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) प्रणाली	9.45	• मंत्रालय को आंतरिक डाटा माइनिंग में मदद एवं विश्लेषणपरक सहायता देना ताकि मंत्रालय अपनी कारपोरेट रजिस्ट्री में उपलब्ध व्यापक सूचना भंडार का प्रभावी रूप से उपयोग कर सके। • मंत्रालय को और सरकार के अंदर एवं बाहर नीति निर्माण एवं निर्णय लेने वाली अन्य एजेंसियों को सूचना उपलब्ध करवाना। • डाटा के प्रचार-प्रसार के लिए राजस्व अर्जित करने के मॉडल की अवधारणा एवं डिजाइन।	कारपोरेट क्षेत्र में अधिक प्रभावी नीति निरूपण एवं बेहतर विश्लेषणात्मक अनुसंधान

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19
मांग सं. 18 : संस्कृति मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	अनुमानित निर्गम 2018-19	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
1	शताब्दी और वर्षगांठ समारोह स्कीम	100.00	प्रख्यात व्यक्तियों की जन्म शताब्दी/जयंती मनाए जाने के लिए और लोक उपयोग की स्थायी अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नए स्मरणोत्सवों यथा (i) संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती, (ii) महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और (iii) स्वामी परमहंस योगानंद की 125वीं जयंती स्मरणोत्सवों का अनुमोदन किया गया है। गुरू गोविन्द सिंह की 350वीं जयंती, पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी का शेष कार्य और पिछले वर्षों के अन्य स्मरणोत्सव भी आयोजित किए जाएंगे।	स्मरणीय व्यक्तियों के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना, जिनकी जयंतियां मनायी जा रही हैं।
2	कला संस्कृति विकास योजना	310.00		
i	कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम	98.50	(i) पूरे देश में कला एवं संस्कृति के प्रसार और प्रचार के लिए प्रदर्शन अनुदान के तहत अनुशंसित अनुदानग्राही संगठनों के गुरुओं और कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में कार्यरत सहायक संगठनों के माध्यम से गुरू-शिष्य परम्परा को बढ़ावा देना और गुरू और कलाकारों के लिए रोजगार का सृजन करना। साथ ही पूरे देश में कला एवं संस्कृति का प्रसार और प्रचार करना।
			(ii) पूरे देश में कला एवं संस्कृति के प्रसार और प्रचार के लिए 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	प्रदर्शनों और प्रदर्शनियां के माध्यम से आम जनता में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों में सक्रिय भागीदारी के लिए युवाओं को प्रोत्साहन करना साथ ही पूरे देश में कला एवं संस्कृति का प्रसार और प्रचार करना।
			(iii) पूरे देश में कला एवं संस्कृति के प्रसार और प्रचार के लिए 2018-19 के दौरान सांस्कृतिक समारोह और प्रदर्शन अनुदान के तहत संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना	
			(iv) हिमालय पर्वतमाला की सांस्कृतिक धरोहर के परिरक्षण और विकास के क्षेत्र में कार्यरत अनुशंसित सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	हिमालय पर्वतमाला की सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन, परिरक्षण और विकास।
			(v) बौद्ध/तिब्बती कला एवं संस्कृति के विकास के क्षेत्र में कार्यरत अनुशंसित सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	बौद्ध/तिब्बती कला एवं संस्कृति का संवर्धन और परिरक्षण तथा बौद्ध/तिब्बती संस्कृति, परम्परा के प्रचार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध कर रहे मठों को सहायता देना।

ii	सांस्कृतिक मैपिंग और रोडमैप संबंधी राष्ट्रीय मिशन	30.00	(i) कला के विभिन्न रूपों और कलाकारों सहित सांस्कृतिक परिसंपत्तियों और संसाधनों के व्यापक डाटाबेस का संग्रह।	पूरे देश में कलाकारों के व्यापक डाटाबेस की उपलब्धता जिसका नीतिगत निर्णयों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
			(ii) प्रतिभा खोज के लिए राष्ट्रीय/राज्य संभाग/जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर के मंचों की उपलब्धता/पहुंच और विचारों तथा तकनीकों की भागीदारी और कला के सभी रूपों के संसाधनों को एकत्र करना।	कलाकारों की पहचाना और ग्रेडिंग, जिससे ज्ञात होगा कि कला के कौन-कौन से रूप प्रचलन में हैं या समाप्त हो रहे हैं और तदनुसार संकटापन्न कला रूपों को बचाने और उसके प्रचार के लिए उपाय किया जाना।
			(iii) सभी हितधारकों को उच्च गुणता वाले और व्यापक ई-लर्निंग संसाधनों की उपलब्धता।	देश के विभिन्न कला रूपों के बारे में सूचना का प्रसार करना।
iii	कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और अध्येता वृत्ति	14.24	वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्येता वृतियां/छात्रवृत्तियां दी जानी हैं; टैगोर राष्ट्रीय फेलोशिप दी जानी है; आर.के. मिशन को अनुदान दिए जाने हैं।	कला एवं संस्कृति के क्षेत्रों में नई अनुसंधान तकनीकों, प्रौद्योगिकीय और प्रबंधन सिद्धांतों को बढ़ावा देना।
iv	कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता स्कीम	25.00	कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले वृद्ध और गरीब कलाकारों को मासिक पेंशन और चिकित्सा सहायता के रूप में वित्तीय सहायता।	पेंशन स्कीम के माध्यम से कलाकारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता।
v	अमूर्त संस्कृति धरोहर स्कीम	3.50	अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के परिरक्षण और प्रचार में लगे व्यक्तियों/संगठनों /विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों को प्राप्त हुए और विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों के आधार पर सहायता दी जाएगी।	अमूर्त सांस्कृति धरोहर के परिरक्षण और प्रचार के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों/व्यक्तियों/संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना।
vi	घरेलू उत्सव और मेले	29.70	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, भारत का राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह सहित सांस्कृतिक समारोहों और मेलों आदि का आयोजन किया जाएगा।	देश के भिन्न-भिन्न कला रूपों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
vii	राष्ट्रीय गांधी धरोहर स्थल मिशन और डांडी संबंधी परियोजनाएं	43.50	(i) मिशन द्वारा यथा-निर्णीत परियोजनाएं शुरू की जाएंगीं और पूरी की जाएंगीं। (ii) चालू परियोजनाओं का शेष कार्य पूरा किया जाएगा। (iii) राष्ट्रीय डांडी स्मारक का निर्माण। (iv) डांडी-अहमदाबाद बिटुमिनस मार्ग की रिसर्फेसिंग	गांधी धरोहर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
viii	सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम	37.00	(i) स्टूडियो थिएटरों सहित सांस्कृतिक भवनों के निर्माण और संगीत वाद्यों/सांस्कृतिक उपकरणों की खरीद के लिए स्वैच्छिक, 'लाभ के लिए नहीं' सांस्कृतिक संगठनों और सरकारी सहायता-प्राप्त एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	कलाकारों और युवाओं के लिए, उनमें सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से सांस्कृतिक स्थलों के निर्माण और सांस्कृतिक अवसंरचना (स्टूडियो थिएटरों सभागारों, सांस्कृतिक उपस्करों आदि) में वृद्धि करना।
			(ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्र सरकार की एजेंसियों/निकायों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों आदि को सांस्कृतिक स्थलों/टैगोर सांस्कृतिक परिसरों यथा सभागार, अभ्यास-सह-प्रदर्शन स्थलों, खुले थिएटरों के निर्माण, विद्यमान टैगोर सभागारों की मरम्मत/आधुनिकीकरण के	सांस्कृतिक स्थलों, सांस्कृतिक अवसंरचनाओं में वृद्धि करना और कला एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के बाद युवाओं को प्रोत्साहित करना।

			लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	
ix	प्रदर्शन कला केन्द्रों और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना	25.00	नई दिल्ली में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केन्द्र परिसर में निर्माण कार्य शुरू होना है। (यह स्कीम बनाई जा रही है और सांकेतिक प्रावधान रखा गया है)।	विभिन्न प्रदर्शन कला रूपों को दर्शाने के लिए सांस्कृतिक स्थल, अवसंरचनाएं सृजित करना और सांस्कृतिक कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
x	सांस्कृतिक समरसता के लिए टैगौर पुरस्कार	1.55	रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर भारत सरकार ने सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार स्थापित किया। यह पुरस्कार व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं को दिया जाता है।	सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देना।
xi	गांधी शांति पुरस्कार	1.50	महात्मा गांधी की 125वी जयंती समारोह पर भारत सरकार ने अंहिसा और शांति जैसे गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार स्थापित किया। यह पुरस्कार व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं को दिया जाता है।	अंहिसा और शांति जैसे गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देना।
xii	जलियांवाला बाग स्मारक का विकास	0.01	जलियांवाला बाग में स्थायी आधार पर नवीनतम, हाई-टेक 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग और मल्टीमीडिया प्रदर्शन की शुरूआत (सांकेतिक प्रावधान रखा गया है)	आम जनता को जलियांवाला बाग की घटना के बारे में जानकारी देना, स्थल पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाना।
3	संग्रहालयों का विकास	105.98		
i.	संग्रहालय अनुदान स्कीम	48.08	(i) नएं संग्रहालय और विद्यमान संग्रहालयों का उन्नयन/आधुनिकीकरण। (ii) कला संबंधी वस्तुओं के डिजिटीकरण और उनके चित्र/सूची/वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के संग्रहालयों/गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी। (iii) पूरे देश में संग्रहालय पेशेवरों को विभिन्न स्तरों अर्थात् राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित किया।	अपने देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के बारे में पूरे देश में पर्यटकों में जागरूकता और रूचि उत्पन्न करना। देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के बारे में पूरे विश्व में लाखों लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। संग्रहालयों के प्रदर्शन और स्थान प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक सुधार लाना।
ii	विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कीम	47.90	(i) उत्तराखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक राज्यों में नए विज्ञान शहर/विज्ञान केन्द्र स्थापित करना। (ii) भिन्न-भिन्न विज्ञान केन्द्रों में नवाचार केन्द्र स्थापित करना। (iii) देश में विज्ञान शहरों/विज्ञान ज्ञान केन्द्रों/नवाचार केन्द्रों का उन्नयन।	विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना तथा जनता विशेष रूप से क्षेत्र के युवा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और जागरूकता का सृजन करना। क्षेत्र के युवाओं में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना।
iii	वर्च्युअल एक्सपेरिमेंटल संग्रहालय	5.00	देश में वर्च्युअल एक्सपेरिमेंटल संग्रहालय स्थापित किया जाना। (परियोजना आरंभिक अवस्था में है और सांकेतिक प्रावधान रखा गया है)	देश के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के बारे में पूरे विश्व में जागरूकता उत्पन्न करना।
iv	भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित संग्रहालय	5.00	भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित संग्रहालय के लिए प्रौद्योगियां मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री पर विशेष प्रदर्शनी। शैक्षिक परामर्शदाताओं और अनिवार्य परियोजना स्टाफ को अनुबंधित करना। (परियोजना आरंभिक अवस्था में है और सांकेतिक प्रावधान रखा गया है)	सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन, कार्य, करिश्मा और राष्ट्र निर्माण में योगदान रेखांकित करने के लिए उत्कृष्ट केन्द्र बनाना, भारत के समकालीन इतिहास के क्षेत्र में जनता की भागीदारी और विद्वत्तापूर्ण शोध की परम्परा को बढ़ावा देना।

4	पुस्तकालयों का विकास	99.81		
i	राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन	99.81	(i) एनएमएल मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना। (ii) पुस्तकालयों का गुणात्मक और मात्रात्मक सर्वेक्षण (iii) भारत के वर्च्युअल पुस्तकालय की स्थापना। (iv) पुस्तकालय पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण।	पुस्तकालय अभियान के माध्यम से पुस्तकालयों तक पहुंच बढ़ाना और पढ़ने की आदत बढ़ाना तथा पुस्तकालय पेशेवरों को प्रशिक्षण, शोध विद्वानों के अभिलेखों का अनुरक्षण। एनवीएलआई प्राटोटाइप विकसित करना।
5.	वैश्विक कार्य और अंतर्राष्ट्रीय योगदान	45.21		
i	अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की स्कीम	43.26	(i) विदेशों में भारत महोत्सव आयोजित किया जाना है। (ii) भारत-विदेशी मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटियों को सहायता अनुदान प्रदान करते हुए विदेशों भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ बनाना।	भारतीय कला एवं संस्कृति को लोकप्रिय बनाना और इसमें रूचि पैदा करना।
ii	अंतर्राष्ट्रीय योगदान	0.95	कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अनिवार्य अंशदान।	भारतीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना, भारत और दूसरे देशों के बीच घनिष्ठता और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाना।
iii	भारतीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यात्रा अनुदान	1.00	विदेशों में समारोहों के लिए भारतीय कलाकारों को सहायता देना। (स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सांकेतिक प्रावधान रखा गया है)	विदेशों में भारतीय कला एवं संस्कृति और कलाकारों को बढ़ावा देना।
6	राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण मिशन	15.00	पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और डिजिटीकरण करना। भिन्न-भिन्न जिलों में सर्वेक्षण करवाना। विद्वानों को प्रशिक्षण देना।	पांडुलिपियों के ज्ञान के उद्धरणों का प्रसार करना तथा शोध और प्रकाशन को बढ़ावा देना।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19
मांग सं. 23 : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क. केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
1.1	एनईसी की स्कीमें	19.00	यह प्रावधान उत्तर-पूर्व काउंसिल, शिलांग के सचिवालय के व्यय के लिए है।	
1.2	एनईसी की स्कीमें	321.00		
1.2.1	परिवहन एवं संचार क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	0.02	इंडियन रोड कांग्रेस में एनईसी की भागीदारी के लिए 1.5 लाख रुपए	सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार
1.2.2	तृतीयक स्वास्थ्य चर्या में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	1.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य चर्या और टेलीमेडिसिन सहायता	पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार
1.2.3	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित स्कीमें जिनमें एनईआर सीओआरएमपी के माध्यम से आजीविका परियोजना और सुअर बाड़ों को सहायता	121.09	1. चालू परियोजनाओं का कार्यान्वयन और कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के लिए प्रावधान 2. फ्लोरीकल्चर, सगंध औषधीय पौधों, बागवानी, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प और मधुमक्खी पालन में वैल्यू चेन उत्पादन के लिए सहायता। 3. पिगरी प्रक्रमण और पैकेजिंग इकाइयों का वैल्यू चेन विकास 4. एनईआरसीओआरएमपी-4 में लगभग 10 नए जिले जोड़े जाएंगे जिससे लगभग 100000 लोगों को लाभ होगा।	किसानों की आय में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि इन उपजों/उत्पादों में स्व-रोजगार रत लोगों की संख्या और इनमें लगे युवाओं की संख्या। आधार रेखा से ऊपर के किसानों और कारीगरों की आय प्रतिशत में वृद्धि। सुअर उत्पादन में बढ़ोत्तरी यहां तक कि पड़ोसी राज्यों में निर्यात। लगभग एक लाख लोग एनईआरसीओआरएमपी-4 से लाभान्वित होंगे।
1.2.4	मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	76.30	• उच्चतर शिक्षा, तृतीयक स्वास्थ्य चर्या (चिकित्सा शिक्षा सहित) और पिछड़े क्षेत्रों में विशेष हस्तक्षेप: 1. स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों में अवसंरचना विकास में सहायता जैसे कि भवन,कक्षाएं, पुस्तकालय आदि में और विज्ञान एवं गणित में शिक्षकों का प्रशिक्षण। शैक्षणिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।	शैक्षिक सुविधाओं का विकास और रोजगार के अवसरों का सृजन। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विज्ञान, गणित और सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में जागरूकता पैदा करना। स्वास्थ्य चर्या सेवाओं में सुधार और स्वास्थ्य चर्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जागरूकता। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिकित्सा

				पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
1.2.5	बांस उद्योग सहित उद्योग और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	33.19	चालू 5 परियोजनाओं को पूरा करना क्षेत्रीय केन्द्रों और संस्थाओं की स्थापना करके पूर्वोत्तर में बांस के विकास पर विशेष बल। पर्यटन: पूर्वोत्तर पर्यटन विकास परिषद् के माध्यम से 9 अभिनिर्धारित क्षेत्रीय पर्यटन सर्किटों को पूरा करना और पर्यटन मंत्रालय के तहत पीआईडीडीसी की चालू योजनाओं को पूरा करना।	पूर्वोत्तर में उच्च कोटि के बांस उत्पादों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना में सुधार और पर्यटन में बढ़ोत्तरी।
1.2.6	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	19.20	चालू 10 परियोजनाओं को पूरा करना और सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को लोकप्रिय बनाने, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जागरूकता आदि के क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करना और इसके लिए प्रौद्योगिकी सुविधा केन्द्र, आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली आदि की स्थापना करना।	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को बढ़ावा देना जिसमें नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है।
1.2.7	आईपीआर क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	14.34	पूर्वोत्तर क्षेत्र संवर्धन: पूर्वोत्तर क्षेत्र के संवर्धन, जागरूकता, पैरवी के लिए सहायता।	पूर्वोत्तर क्षेत्र के साहित्य, संस्कृति आदि के अधिगम के संदर्भ में इन केन्द्रों के माध्यम से पूर्वोत्तर के बारे में जागरूकता/पैरवी/ संवर्धन की दिशा में परियोजनाएं चल रही हैं।
1.2.8	ई एंड एम क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	5.86	परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए परिव्यय तथा 25 संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के लिए सहायता	एनईसी समर्थित परियोजनाओं का कारगर कार्यान्वयन
1.2.9	एनईसी की स्कीमें-नई	50.00	जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटने की जरूरत है, उन क्षेत्रों में काम शुरू करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना।	पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों का एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास।
1.3	परिवहन एवं संचार क्षेत्र के तहत एनईसी की स्कीमें	40.00	i. चालू 5 परियोजनाएं नामत: तेजू एअरपोर्ट; उमरोई (बड़ापानी) एअरपोर्ट की सुरक्षा अवसंरचना; डिबरूगढ़ एअरपोर्ट की हवाई-पट्टी का विस्तार, इम्फाल और डिबरूगढ़ में हैंगर और उमरोई (बड़ापानी) एअरपोर्ट की हवाई-पट्टी के विस्तार का कार्यारम्भ ii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई उड़ान प्रशिक्षण संस्थान का काम शुरू करना।	पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हवाई अड्डा अवसंरचना में सुधार बेहतर सड़क संपर्क।

			ii. शिलांग और दिल्ली में विद्यमान 2 अतिथि गृहों और विद्यमान 83 स्टॉफ क्वार्टरों की मरम्मत और अनुरक्षण	
2.	एनईसी की स्कीमें- विशेष विकास परियोजनाएं	505.00		
2.1	परिवहन और संचार क्षेत्र से जुड़ी स्कीमें	158.76	क) 150 किमी सड़क निर्माण को पूरा करना ख) 3 अंतरराज्यीय बस टर्मिनस को पूरा करना। ग) 4 आरसीसी पुलों और 20 सस्पेंशन पैदल पुलों को पूरा करना। घ) डीपीआर तैयार करने के लिए 40 किमी सड़कों का सर्वेक्षण।	540 किमी सड़कों और 6 आईएसबीटी/आईएसटीटी पूरे करना। कुछ महत्वपूर्ण सड़कों और आईएसबीटी/आईएस टीटी परियोजनाएं शुरू करना। पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरस्थ गांवों में सस्पेंशन पैदल पुलों का निर्माण।
2.2	सर्वेक्षण और अन्वेषण सहित ऊर्जा एवं आरआरई क्षेत्र से जुड़ी स्कीमें	60.79	i. विभिन्न प्रस्तावित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण शुरू करना। मिजोरम में एक परियोजना के पूरा होने पर मेगावाट की 1.50 अतिरिक्त क्षमता का सृजन और नई परियोजनाएं शुरू करना। ii. 1000 सर्किट किमी पारेषण लाइनों का आरंभन और क्षेत्र में 300 एमवीए एस/एस क्षमता जोड़ना।	i. चालू 54 परियोजनाओं को पूरा करना और 2019-20 तक 24 नई परियोजनाएं आरंभ करना। ii. चालू परियोजनाओं को पूरा करना ओर क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करना ताकि क्षेत्र में ऊर्जा क्षमता बढ़ सके।
2.3	चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी स्कीमें	19.59	सीएचसी/पीएचसी/अस्पतालों और दुर्घटना एवं अभिघात केन्द्रों के उन्नयन के लिए चालू 27 परियोजनाओं को पूरा करना।	चालू परियोजनाओं को पूरा करने और नई परियोजनाओं को शुरू करने से ग्रामीण/शहरी आबादी के लिए उन्नत स्वास्थ्य चर्या सुविधाएं/ सेवाएं तैयार होंगी और डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्सा जनशक्ति की उपलब्धता में भी सुधार होगा।
2.4	आईएफसी एवं डब्ल्यूएसएम क्षेत्र से संबंधित स्कीमें- सर्वेक्षण और अन्वेषण	52.43	जल-संबंधी परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करना और डीपीआर तैयार करने के लिए सहायता देना। सिंचाई/जलापूर्ति तथा अपर्दन-	दूरस्थ गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना; सिंचाई लाभ; खेतीयोग्य भूमि और गांवों की भू-क्षरण

	सहित		रोधी 33 परियोजनाओं को पूरा करना और नई परियोजनाएं शुरू करना। योजनाओं के दायरे में आने वाली आबादी की संख्या 27,26,308 है। इन योजनाओं के अंतर्गत कवरेज इस प्रकार है- (i)सिंचाई- 7315 हैक्टेयर जिसमें 2184167 की आबादी,14 गांव और 120 परिवार शामिल हैं (ii) जलापूर्ति- 24 परियोजनाएं जिसमें 542141 की आबादी शामिल है (iii) अपर्दनरोधी- 661958 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र का संरक्षण।	से सुरक्षा।
2.5	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	64.93	33 परियोजनाओं को पूरा करना और चालू 53 परियोजनाओं के लिए सहायता। रेशम, मछली, मांस, अंडे, दूध और कृषि-बागवानी के उत्पादन के लिए इकाइयों की संख्या में बढ़ोत्तरी का अनुमान। सुअरबाड़ा- सुअरबाड़ों के विकास में और उत्पादन में सहायता। 1) आजीविका परियोजनाएं- (1) चालू परियोजनाओं का कार्यान्वयन और कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का प्रावधान। (2) फ्लोरीकल्चर, सगंध औषधीय पौधों, बागवानी, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प और मधुमक्खी पालन में वेल्यू चेन उत्पादन में सहायता।	किसानों की आय में वृद्धि। कृषि-बागवानी उत्पादों, मांस, अण्डे, मछली, दूध, रेशम आदि के उत्पादन में वृद्धि।
2.6	मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	54.34	शैक्षणिक संस्थानों, खेल-कूद अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र अवसंरचना की चालू 28 परियोजनाओं को पूरा करना। 20 स्कूलों, 6 कॉलेजों और 2 शिक्षक आवासों को भी पूरा करना।	शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा तक पहुंच, खेल कौशल का विकास और युवाओं की नियोज्यता में सुधार।
2.7	उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	69.41	I. चालू 19 परियोजनाओं को पूरा करना। II. बांस क्षेत्र: पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस को बढ़ावा देने के लिए एनईबीडीसी तथा सीबीटीसी को सहायता। III. क्षेत्रीय पर्यटन: पूर्वोत्तर क्षेत्र में विषय आधारित पर्यटन सर्किट के	पर्यटक अवसंरचना में सुधार के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

			लिए सहायता।	
2.8	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	16.57	चालू 8 परियोजनाओं को पूरा करने और अन्य चालू परियोजनाओं हेतु जारी किए जाने के लिए परिव्यय मौजूद है। प्रकाशित होने वाले शोधपत्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी- 50 से अधिक शोधपत्र शोध-उद्धरणों की संख्या में बढ़ोत्तरी- 260 से अधिक उद्धरण।	सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा अवसंरचना का विकास और विज्ञान के प्रति जागरूकता का प्रसार एवं विज्ञान में रूचि का विकास।
2.9	आईपीआर क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	8.18	चालू 3 परियोजनाओं को पूरा करना। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 सम्मेलन केन्द्रों का काम जिला स्तर पर शुरू किया जाएगा।	पूर्वोत्तर क्षेत्र के कला और संस्कृति को प्रोत्साहन। स्थानीय जनजातियों और उनकी संस्कृति का प्रलेखन।
3.1	अ-समाप्य केन्द्रीय संसाधन पूल - राज्य	702.00	• शिक्षा अवसंरचना का उन्नयन • जल आपूर्ति परियोजनाएं • ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं • पर्यटन	• शैक्षिक अवसंरचना में बढ़ोत्तरी • जलापूर्ति में सुधार • सामान्य स्वच्छता में सुधार • पर्यटन सुविधाओं में सुधार
3.2	अ-समाप्य संसाधन पूल - केन्द्रीय	310.00	• अखौरा-अगरतला (इंडिया) रेल लिंक • माजूली द्वीप की बाढ़ आदि से सुरक्षा • कृषि महाविद्यालयों/प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना • पावर स्टेशन (जेनरेटर) नए सब स्टेशन की स्थापना	• पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर रेल संपर्क • बाढ़ आदि से प्रतिरोध में सुधार • शिक्षा तक पहुंच में सुधार • बिजली की उपलब्धता में सुधार
4.1	पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना	120.00	• पर्यटन संवर्धन से जुड़ी परियोजनाएं • प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अवसंरचना • प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य क्षेत्र अवसंरचना	• पर्यटन सुविधाओं में सुधार • शैक्षिक अवसंरचना में बढ़ोत्तरी • बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
4.2	पूर्वोत्तर क्षेत्र में गवर्नेंस के लिए क्षमता वृद्धि और पैरवी एवं प्रचार	20.00	1. घटक: पैरवी एवं प्रचार- सक्रिय प्रचार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेषताओं का प्रदर्शन और कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ज्ञान के प्रसार/पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय सहायता। 2. घटक: पूर्वोत्तर क्षेत्र में गवर्नेंस के	1. पूर्वोत्तर क्षेत्र से उत्पादों की खरीद में बढ़ोत्तरी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन में बढ़ोत्तरी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश में बढ़ोत्तरी। 2. जिस क्षेत्र विशेष में कार्मिक को प्रशिक्षित किया गया है, उसमें बेहतर

			लिए क्षमता वृद्धि- सरकारी कार्मिकों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	निष्पादन की अपेक्षा है।
4.3	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	30.00	• शिक्षकों और डॉक्टरों के लिए सिविल एनक्लेव/स्टाफ क्वार्टर बनाना • भौतिक अवसंरचना/सड़कों और पुलों का निर्माण • अवसंरचना सृजन और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का संवर्धन	• स्वास्थ्य परिणामों में सुधार • भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में बढ़ोत्तरी • आजीविका में बढ़ोत्तरी
5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना	180.00	1. गरीब परिवारों का सामाजिक उत्थान और संस्था निर्माण 2. स्वयंसेवी समूहों का वित्तीय समावेशन	गरीबों की टिकाऊ आजीविकाओं में सुधार। ग्रामीण आजीविका की परियोजनाएं 15.03.2019 तक पूरी की जानी हैं।
6.1	पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना-ईएपी	334.27	पूर्वोत्तर क्षेत्र के छह राज्यों में सड़क अवसंरचना में 433.7 किमी का उन्नयन/सुधार	पूर्वोत्तर क्षेत्र में गांवों/पहाड़ी कस्बों के सड़क संपर्क में सुधार
6.2	आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार - बीआरओ	40.00	सड़कों और पुलों का निर्माण/उन्नयन	गांवों/पहाड़ी कस्बों के सड़क संपर्क में सुधार
6.3	पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना- कार्यक्रम घटक	250.00	अंतरराज्यीय सड़कों और पुलों का निर्माण/उन्नयन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक जाने वाली सड़कों का निर्माण/उन्नयन	गांवों/पहाड़ी कस्बों के सड़क संपर्क में सुधार
7.	बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष विकास पैकेज	20.00	सड़कों और पुलों की तथा अन्य सेक्टरों की लगभग 6 परियोजनाएं	बीटीसी में सड़क संपर्क में सुधार (लगभग 35 किमी में)
8.	कारबी आंगलौंग क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष विकास पैकेज	40.00	सड़क और पुल सेक्टर की लगभग 5 परियोजनाएं	केएएटीसी में सड़क संपर्क में सुधार (लगभग 129 किमी में)
9.	दीमा हसाओ क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष विकास पैकेज	20.00	चालू परियोजनाओं पर काम किया जाएगा	सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गृहों को पूरा करने की परियोजनाओं से सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
10.	सामाजिक एवं अवसंरचना विकास स्कीम	60.00	भौतिक परिणामों में शामिल हैं- 130 किमी सड़क निर्माण, 80 रोपवे/सस्पेंशन पुल और अन्य अवसंरचनाएं जैसे संपर्क सड़कों, विद्युत वितरण, स्वास्थ्य आदि में सुधार।	पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क संयोज्यता, विद्युत वितरण, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 24: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम				
1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	6050.00	• 59,770 आंशिक रूप से आवृत्त बस्तियों को शामिल करना • 9,000 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को आवृत्त करना	• आंशिक रूप से आवृत्त बस्तियों का प्रतिशत 18.90% से घटाकर 15.40% पर लाना • गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का प्रतिशत 4% से घटाकर 3.3% करना
2	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	13948.27	• अलग-अलग घरों में 170 लाख शौचालयों का निर्माण	• खुले में मलत्याग का प्रतिशत 39.96% से घटाकर 30.59% पर लाना • ग्राम पंचायतों के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार
	जोड़	**19998.27**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 25: पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र . .सं	स्कीमोंउप-स्कीमों / का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 20181-9 के मुकाबले में निर्गमप्रदेय /	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग परीक्षण प्रणालियां और सेवाएं (एकरॉस)	375.00	• जिला कृषि मौसम-विज्ञान फील्ड इकाइयों की स्थापना। कुल 400 जिला कृषि मौसम-विज्ञान फील्ड इकाइयों की स्थापना की जाएगी। • 10 राडार और 10 एडब्लयूओएस की की शुरूआत करके पर्यवेक्षण प्रणाली नेटवर्क में वृद्धि • ग्लोबल एनसैम्बल वैदर फोरकास्टिंग सिस्टम का विस्तार। प्रोबोबिलिस्टिक फोरकास्ट के सृजन के लिए ग्लोबल एनसैम्बल वैदर फोरकास्टिंग सिस्टम के रेज़लूशन में 35 किमी से 12 किमी वृद्धि • डब्ल्यूसीआरपी के सीएमआईपी प्रोजेक्ट के तहत समन्वित जलवायु मॉडल परीक्षणों की संख्या 600 से बढ़ाकर 2000 करके अर्थ सिस्टम का विकास • विद्यमान 1.12 प्लॉप्स के स्थान पर 0.8 प्लॉट की उच्च निष्पादन संगणना प्रणाली की शुरूआत करते हुए उच्च निष्पादन संगणना प्रणाली का प्रापण	• मौसम, जलवायु और कृषि मौसम विज्ञान एडवायजरी जारी किया जाना। पिछली 40 मिलियन से बढ़ा कर 22 मिलियन की जाएंगी। • विमान सुरक्षा के लिए देश के नागरिक हवाई अड्डों पर एडब्लयूओएस और उन्नत पूर्वानुमान यंत्रों के साथ नवीनतम सपोर्ट सिस्टम। मौसम एडवायजरी जारी करने का समय 5 घंटे से बढ़ कर प्रति 3 घंटे हो जाएगा। • बढ़े हुए हॉरिज़ान्टल रेज़लूशन के साथ ग्लोबल एनसैम्बल प्रिडिक्शन सिस्टम। प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट की एटमॉस्फियर और टोपोग्राफी की बेहतर प्रस्तुति के साथ एनसैम्बल प्रिडिक्शन सिस्टम से 35 किमी के कॉर्स रेज़लूशन से बेहतर प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट प्राप्त होंगे। • सीएमआईपी मॉडल सिम्युलेशनस का आकलन आईपीसीसी जलवायु अनुदान रिपोर्ट और विभिन्न राष्ट्रीय अनुमानों के भाग के रूप मे किया जाता है। मार्च 2019 के अंत तक सीएसआईपी-डीईसी के सिम्युलेशन और मॉडल इन्टेग्रेशन के लगभग 2000 वर्ष पूर्ण होना। • विद्यमान उच्च निष्पादन संगणना प्रणाली का विस्तार। एचपीसी सिस्टम की क्षमता में इस वृद्धि से बेहतर मौसम सेवाएं प्राप्त होगीं।
2	समुद्री सेवाएं प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षण संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान (ओ-स्टॉर्म्स	399.00	• विद्यमान शून्य से 4 तटीय क्षेत्र मॉनिटरिंग ब्यूओस तैनात करके समुद्र और तटीय क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा • मल्टी-हाजार्ड वार्निंग सिस्टम के भाग के रूप में पर्यवेक्षण प्रणालियों की संख्या में वृद्धि। सुनामी मूरड आदि की संख्या 16 से बढ़ा कर काम कर रहे सुनामी ब्यूओस की संख्या 19 किया जाना	• तटीय जल गुणता निगरानी प्रणालियों के तहत हॉट स्पॉट्स में वृद्धि करके कवरेज विस्तार में वृद्धि और तटीय जल निगरानी में सुधार। • डाटा में वृद्धि से समुद्री आपदाओं के बेहतर पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। आपात एडवायजरी पर

			• रियल-टाइम इननडेशन मॉडल को रेज़लूशन विद्यमान 5.0 किमी. से बढ़ा कर 2.25 किमी. • तटीय प्रदूषण की निगरानी के स्थानों की संख्या 20 से बढ़ कर 24 • विभिन्न राज्यों में तटीय क्षरण का अनुमान विद्यमान 4 से बढ़ कर 6 तटीय राज्यों में किए जाने के लिए। • व्यापक मछलीपालन क्षेत्र अनुमान सेवाओं के साथ मछुआरों के लिए विद्यमान एक प्रजाति के स्थान पर 3 प्रजातियों के लिए प्रजाति-विशिष्ट एडवायजरी जारी करने के लिए नयी प्रणाली की स्थापना • (क) पानी के नीचे जीवित संसाधनों समुद्री प्रजातियों (ख) पानी के नीचे-निर्जीव प्रजातियों-उदाहरण के लिए खनिज के अन्वेषण और उपयोग के तहत भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) में बाथीमैट्रिक डाटा अभिग्रहण के तहत व्दाप्ति क्षेत्र को वर्तमान 12 लाख वर्ग किमी. से बढ़ा कर 12.50 लाख वर्ग किमी किया जाना प्रस्तावित है। • तटीय अनुसंधान जलयानों के निर्माण के साथ-साथ अपनी निर्धारित कालावधि पार कर चुके या जिन्हें बदल दिए जाने की आवश्यकता है (2/5), ऐसे समुद्री अनुसंधान जलयानों के बदले दूसरे समुद्री अनुसंधान जलयानों का अभिग्रहण • ओईटीसी सशक्त विलवणीकरण संयंत्रों की शुरूआत, इसमें लक्षद्वीप द्वीपसमूह में ओईटीसी सशक्त विलवणीकरण संयंत्र शामिल हैं।	समय पर उपाय करने के लिए अधिक समय। चक्रवातों के सही समय का बेहतर अनुमान। सुनामी की पूर्व चेतावनी जारी करने में लगने वाले समय (औसत/उच्चतम/न्यूनतम) में कमी। • इसके भारत की तटीय जल की स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी। • यह भारतीय तटीय क्षेत्रों में परिवर्तन के आकलन के माध्यम से तटीय राज्यों में विभिन्न विकास कार्यों की आयोजना और समन्वय के लिए उपयोगी होगा। • मछलीपालन उद्योग की सहायता के लिए मौसम और मछलीपालन एडवायजरी जारी किए जाने की बारंबारता में वृद्धि। इससे मछुआरा समुदाय के पंजीकृत मोबाइल प्रयोक्ताओं की संख्या 1.8 लाख से बढ़ कर 2.4 लाख हो जाएगी। • भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (वर्ग किमी.) में बाथीमैट्रिक डाटा अभिग्रहण के तहत व्याप्ति क्षेत्र 60% से बढ़ कर 62.5% • समुद्री अनुसंधान जलदानों की संख्या में हुई इस वृद्धि(2/5) से सर्वेक्षण, समुद्री अनुसंधान को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। • इसके लक्षद्वीप की जनता की सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था में सुधार होगा और इस प्रकार जीवन गुणवत्ता में सुधार करना।
3	ध्रुवीय और हिमांकमंडल अनुसंधान (पेसर)	225.00	• हिमालय के लिए तीसरे वैज्ञानिक अभियान सहित आर्कटिक के लिए 12वें वैज्ञानिक अभियान और 38वें वैज्ञानिक अभियान की शुरूआत। • उष्णकटीबंधीय हिन्द महासागर सहित दक्षिणी सागर को 11वें बहु-आयामी अंतर-संस्थागत वैज्ञानिक अभियान की शुरूआत। • ध्रुवीय अनुसंधान जलयानों का अभिग्रहण, शिपयार्ड का अनुमोदन और अंतिम रूप दिया जाना	• इससे हिमांकमंडलीय, वायुमण्डलीय और भू-विज्ञानी क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं के निष्कर्षों के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनों, प्रकाशित शोध-पत्रों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी आदि में वृद्धि करके अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के योगदान में सुधार होगा। • इसके परिणामस्वरूप दक्षिणी सागर का सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा, जो संसाधनों के आकलन और मानसून तथा दक्षिणी हिन्द महासागर की परिवर्तनशीलता के बीच दूर-संपर्क को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। • यह अधिकाधिक जानकारी प्राप्त

				करने के उद्देश्य से ध्रुवीय क्षेत्र में व्यवस्थित और नियमित अभियानों में मदद करेगा
4	भूकंप विज्ञान और भू-विज्ञान (सेज)	110.00	• भूकंप विज्ञानी पर्यवेक्षणों के लिए क्षमता में वृद्धि।यह प्रस्ताव है कि भूकंप विज्ञान पर्यवेक्षणों की संख्या को 84 से बढ़ा कर 116 किया जाए। • हिमालयी अध्ययनों के भाग के रूप में, 5 भूकंपीय स्टेशन और 10 जीपीएस स्टेशन स्थापित करके गहरी क्रस्टल संरचनाओं के चित्रांकन के लिए गढ़वाल-कुमाऊं हिमालय में भूकंपीय पर्यवेक्षणशालाएं स्थापित की जाएंगी। • भू-कालक्रम विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना। • 3 किमी गहराई तक खोदे गए पायलट बोरहोल से प्राप्त भू-भौतिकी डाटा का प्रसंस्करण, विश्लेषण और व्याख्या।	• इससे अधिक सटीक भूकंप मानदण्डों के साथ भूकंप आने का पता लगाने की क्षमताओं में सुधार होगा और भूकंप विज्ञान अध्ययनों के शोध आधार में भी वृद्धि होगी। • इससे देश के अंदर भूकंप आने की सूचना देने में लगने वाला औसत समय 10 मिनट तक लाने में भी मदद मिलेगी। • एसएमएस सेवा ऐप के पंजीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या 500 से बढ़कर 600 हो जाएगी और पंजीकृत मोबाइल प्रयोक्ताओं की संख्या जो इस समय शून्य है, 5000 हो जाएगी। • इससे शोध पत्रों/प्रकाशनों/पर्यवेक्षणों के कारण जारी निष्कर्षों/नई स्थापित पर्यवेक्षणशालाओं से निकले अध्ययनों की संख्या सहित भूंकप विज्ञानी अध्ययनों के अनुसंधान आधार में वृद्धि होगी। • देश में भू-विज्ञानी और भू-भौतिकी डाटा के विश्लेषण के लिए क्षमता निर्माण में वृद्धि। • भूकंप प्रक्रिया को समझने में सरलता।
5	अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच (रीचआउट)	74.23	• देश के विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप शुरू करने के लिए वित्तपोषित 45 प्रस्तावों को बाहरी वित्तपोषण प्रदान करना। • मंत्रालय द्वारा दी गई विभिन्न सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए 50 से अधिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों/परिर्चचाओं का आयोजन किया जाएगा। • नौएडा में बिम्सटैक केन्द्र और हैदराबाद में यूनेस्को केटेगरी-2 सेन्टर ऑफ आईटीओ ओशन की स्थापना और कार्यारंभ।	• केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्था में पृथ्वी-विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता निर्माण अनुसंधान को बढ़ावा देना। • सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। • हिन्द महासागरीय देशों और भारत के पड़ोसी देशों में पृथ्वी- विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यों को बढ़ावा देना।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 26: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	डिजिटल इंडिया	3073.00		भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना 3 आयामों में समावेशी विकास अर्थात नागरिकों को उपयोगी सेवाओं के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग पर गवर्नेंस एवं सेवाएं तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण
1.1	जनशक्ति विकास	300.00	• पीएच-डी. योजनाएं-1200 • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसीटी अकादमी- 10000 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण • ईएसडीएम में कौशल विकास- 1 लाख • आईएसईए- 15000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना है • चिप टु सिस्टम- 15000 को प्रशिक्षित किया जाना है • एनआईईएलआईटी- केन्द्रों (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) को सहायता- 4.85 लाख अभ्यर्थी	अनुसंधान एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता
1.2	इलैक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (ईएपी सहित)	425.00	• कॉमन सर्विस सेंटर- 70000 सीएससी और खोले जाएंगे। • डिजिटल लॉकर- 25 लाख नए प्रयोक्ताओं को जोड़ने और 400 करोड़ दस्तावेज जारी किए जाने का लक्ष्य • अतिरिक्त 20 जीआईएस अनुप्रयोग विकसित किए जाने हैं। • मेघराज क्लाउड- 100 अन्य अनुप्रयोग तथा 1500 वर्चुअल सर्वर • अतिरिक्त 2 करोड़ ई-सिग्नेचर जारी किए जाने हैं ∃ 20 लाख नए माई-गॉव प्रयोक्ता • एसडब्ल्यूएएन, एसडीसी, ई-डिस्ट्रिक्ट, एसएसडीजी जैसी एनईजीपी परियोजनाओं को लगातार वित्तीय सहायता। • क्षमता निर्माण	शासकीय सेवाओं तक निर्बाध पहुंच की दिशा में कदम
1.3	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	150.00	• 50 अतिरिक्त संस्थाओं से लिंक • 100 अतिरिक्त जिलों से लिंक	• ज्ञान आधारित संस्थाओं में संसाधन सहभाजन और सहयोगपूर्ण एवं अंतर-विषयी अनुसंधान को सुकर बनाना

				• भारत को ज्ञान आधारित समाज के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में कदम
1.4	इलैक्ट्रॉनिक्स/ आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन	864.22	• एम-एसआईपीएस स्कीम- 245 परियोजनाएं प्रक्रमण में हैं • इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संकुल (ईएमसी)- 22 परियोजनाओं को सहायता जारी रखी जाएगी • इलैक्ट्रॉनिक्स विकास कोष: डॉटर फंड्स द्वारा 910 करोड़ रुपए का निवेश। लेन-देन/निवेशों की संख्या- 180 • 29 इन्क्यूबेटरों को सहायता जारी रखी जाएगी • इलेक्ट्रोप्रेन्यूर पार्कों को वित्तीय सहायता- 4	मेक इन इंडिया, आर्थिक संपदा के सृजन और रोजगार सृजन के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश आकर्षित कर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना।
1.5	सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योगों का संवर्धन	50.00	• इंडिया बीपीओ संवर्धन योजना- सफल निविदादाताओं को 48300 सीटों का आबंटन किया जाना है। • नॉर्थ ईस्ट बीपीओ संवर्धन योजना- सफल निविदादाताओं को 5000 सीटों का आबंटन किया जाना है।	मेट्रो से इतर अवस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन।
1.6	सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/सीसीबीटी में शोध एवं विकास	178.00	• माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम • इंडियन नेनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर प्रोग्राम- आईआईटी मुंबई और आईआईएससी, बंगलुरू में 300 प्रयोक्ता • पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम • आईआईटी, गुवाहाटी में थेरेसनोस्टिक डिवाइस विकसित करने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र- अवधारणा के 2 प्रूफ • लगभग 20 शोध एवं विकास परियोजनाओं को सहायता जारी रखी जाएगी • कनवर्ज्ड क्लाउड कम्यूनिकेशन नेटवर्क • नई पीढ़ी के संचार के लिए 5जी शोध परियोजना।	माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, नेनो-इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में पुर्जों/उप-प्रणालियों/प्रणालियों/युक्तियों के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में शोध एवं विकास
1.7	साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी एवं अन्य)	110.00	• एनसीसीसी चरण-।। का कार्यान्वयन • एनसीसीसी के लिए चालू तीन शोध एवं विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता • 20 चालू परियोजनाओं को वित्तीय सहायता जारी रखी जाएगी।	तत्समय खतरे के आकलन और स्थितिजन्य जागरूकता ताकि भारतीय साइबरस्पेस को सुरक्षित बनाया जा सके। साइबर स्पेस के परिरक्षण के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास।
1.8	डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना	595.78	• डिजिटल लेन-देन- अप्रैल, 2018 तक 2500 करोड़ • एमडीआर प्रतिपूर्ति • 'भीम' योजनाओं नामत: व्यापारी को	नए डिजिटल भुगतान उत्पादों, प्लेटफॉर्मों और सेवाओं के विकास में शोध एवं नवाचार सहित गतिशील,

			प्रोत्साहन, भीम प्रयोक्ता के लिए कैशबैक और भीम आधार के लिए प्रोत्साहन- को बढ़ावा देना- 3	सुरक्षित एवं समावेशी राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था का संवर्धन और वृद्धि।
1.9	पीएमजीडीआई एसएचए	400.00	• प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान- 5 करोड़ अतिरिक्त नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना।	ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षर लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 27: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (सीएसएस)	210.00		
1.1	हरित भारत मिशन - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	160.00	• 6163.8 हैक्टेयर वन/गैर-वन भूमि पर वनरोपण/वृक्षारोपण में बढ़ोत्तरी • 6126.4 हैक्टेयर वन/गैर-वन भूमि पर वनरोपण/वृक्षारोपण की गुणवत्ता में सुधार • राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के तहत वनरोपण - 50,000 हैक्टेयर	• वनावरण/वृक्षावरण में वृद्धि • वनावरण/वृक्षावरण की गुणवत्ता में सुधार • वनावरण में वृद्धि और विद्यमान वनों की गुणता में सुधार
1.2	वन अग्निक की रोकथाम और प्रबंधन	50.00	• वन अग्नि रेखाओं का सृजन/अनुरक्षण और नियंत्रित रूप से जलावन - 50,000 किमी • अग्नि शमन उपकरणों की खरीद- 500 की संख्या में • संसाधनों के परिवहन के लिए फील्ड वाहन-30 की संख्या में Γ जल भंडारण ढांचे- 150 की संख्या में • आग पर नजर रखने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति- 800,000 मानव-दिवस • प्रशिक्षण और फायर सीजन से पहले कायर्शालाएं- 800 की संख्या • वन अग्निक से बचाव के लिए गांवों/जेएफएमसी को जागरूक बनाना-500 की संख्या	• वनाग्नि की घटनाओं में कमी • वनाग्नि से प्रभावित वन क्षेत्रों में कमी • वनाग्नि से वनों और इसके संसाधनों को होने वाली क्षति में कमी • वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण में वन विभागों, जीएफएमसी और अन्य ग्रामीण समुदायों की क्षमता में वृद्धि • वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण में जीएफएमसी और अन्य ग्रामीण समुदायों की भागीदारी में वृद्धि
2	वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक वास का एकीकृत विकास (सीएसएस)	555.00		
2.1	बाघ परियोजना	350.00	50 बाघ रिजर्व को वित्तीय सहायता	• बाघों, हाथियों और अन्य जंगली जानवरों/पोधों के लिए बेहतर वास
2.2	हाथी परियोजना	30.00	29 हाथी रिजर्व को वित्तीय सहायता	
2.3	वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक वास का विकास	175.00	400 संरक्षित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता	
3	प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण (सीएसएस)	80.50		

3.1	जैव विविधता संरक्षण	14.50	• देश में नए जीवमंडल रिजर्व का नामकरण • विद्यमान जीवमंडल रिजर्व में जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण • बेहतरीन विधियों का प्रलेखन/प्रचार • जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका के लिए उपाय	• जीवमंडल रिजर्व में जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण • पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण भूदृश्यों में जैव विविधता का संरक्षण • अनुसंधान अध्ययनों से प्राप्त जानकारी का प्रसार • जीवमंडल और सतत विकास के मत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुसंधान परियोजनाएं जिनसे एसडीजी प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा
3.2	जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण	66.00	• 4 झीलों में संरक्षण व प्रबंधन कार्य पूरे किए जाने हैं • 25 अभिनिर्धारित नम भूमि का संरक्षण और प्रबंधन	• झीलों और नम भूमि का संरक्षण
4	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सीएसएस)	173.50		
4.1	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	173.50	• सीवेज शोधन संयत्र का सृजन (क्षमता 187.0 एमएलडी)	• नदियों के प्रदूषण भार में कमी
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
1	पर्यावरण ज्ञान और क्षमता	82.50		
1.1	वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन	15.00	1. आईएफएस अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स का प्रशिक्षण 1.1 एक सप्ताह अथवा दो दिन का प्रशिक्षण 1.2 अन्य स्टेकहोल्डर्स और अन्य सेवाओं के कार्मिकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए 1.3 वानिकी कार्मिकों के लिए कई प्रशिक्षण 2. डीएफई के तहत एसएफटी और सीएएसएफओएस का पुनर्वास/निर्माण	• सभी स्तर के वन अधिकारियों का कौशल उन्न्यन
1.2	ईको टास्क फोर्स	67.50	• लगभग 3400 है. दुर्गम/कठिन क्षेत्रों को वृक्षारोपण के तहत लाए जाने का प्रस्ताव है	• दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों/मरुस्थलों का पारिस्थितिकीय दृष्टि से सुधार/पुनरूद्धार • वनावरण में वृद्धि और मौजूदा वनों के गुणवत्ता में सुधार
2	राष्ट्रीय तट प्रबंधन कार्यक्रम	165.00		
2.1	राष्ट्रीय तट मिशन	165.00	• खतरा लाइनों और पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण, रेखा-चित्रण और सीमांकन • भारत के संपूर्ण तट के लिए तटीय तलछट क्षेत्र का चित्रण • तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में बीचों की	• सतत तटीय प्रबंधन

			सफाई और प्रदूषण में कमी • परियोजना के चरण-2 हेतु 13 तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए डीपीआर • गुजरात में समुद्री अनुसंधान और संरक्षण केन्द्र • ओडिशा के परादीप में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा • गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अभिनिर्धारित हिस्सों का आईसीजेडएम प्लान • 4 डेटा सेंटर की स्थापना	
3	पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास	235.00		
3.1	प्रदूषण उपशमन	20.00	• प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता के अंतर्गत चल रही और नई परियोजनाओं हेतु 5 एसपीसीबी का वित्त पोषण • चल रही 3 सीईटीपी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण • चल रही 7 सीटी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण • 3-4 प्रायोगिक/प्रदर्शन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण • पर्यावरण स्वास्थ्य के तहत 2-3 नई परियोजनाएं	• राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सदृढ़ीकरण • निर्धारित मानकों का पालन और जल की गुणवत्ता में सुधार तथा जल प्रदूषण में कमी
3.2	घातक पदार्थ प्रबंधन	15.00	• नगरीय ठोस कचरे के पृथक्करण, प्रबंधन और शोधन के अभिनव समाधानों के लिए वित्तीय सहायता • रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम पर एसपीसीबी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम • रासायनिक और कचरा प्रबंधन में अभिनव प्रौद्योगिकियों के लिए संवर्धन और सहायता परियोजनाएं (प्रायोगिक परियोजनाएं/लैब से फील्ड अध्ययन) • प्रबंध सूचना प्रणालियों (रासायनिक डाटाबेस/ अपशिष्ट आदि) का विकास • बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन हेतु सुविधाओं की स्थापना और घातक अपशिष्ट का शोधन, भंडारण और निस्तारण	• नगरीय ठोस कचरे का प्रबंधन • अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता वर्धन • अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में नियमों, विनियमों के संबंध में हितधारकों को जागरूक बनाना • पर्यावरण की दृष्टि से रसायनों और अपशिष्टों (नगरीय ठोस अपशिष्ट को छोड़कर) के लिए अभिनव प्रौद्योगिकियों के संबंध में प्रायोगिक परियोजनाएं • बायोमेडिकल और लैंडफिल वाले घातक अपशिष्टों का प्रबंधन

3.3	जलवायु परिवर्तन कार्य योजना	40.00	-**राष्ट्रीय कारबोनेसियस एयरोसोल कार्यक्रम** 1. स्रोत का वर्गीकरण और आवासीय ऊर्जा, कृषि अवशेषों के जलावन, सड़क पर चल रहे वाहनों और ईंट उत्पादन में उत्सर्जन की सूची 2. फील्ड सैंपलिंग और स्रोत पर पृथक्करण **दीर्घकालिक इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम** 1. आठ जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थलों का चयन 2. मौसम केन्द्रों की स्थापना	• संस्थागत व्यवस्थाओं सहित जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में केन्द्र और राज्यों के स्तर पर क्षमता में वृद्धि
3.4	राष्ट्रीय अनुकूलन कोष	110.00	• परियोजना संकल्पना नोट्स और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन • जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता का प्रावधान	• राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा वित्तीय अनुकूलन कार्यकलाप चलाकर जलवायु परिवर्तन प्रभावों के विरुद्ध कमजोर समुदायों और पारि-प्रणालियों को सक्षम और अनुकूल बनाना
3.5	राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन	50.00	• 3डी डाटा विश्लेषण और विजुएलाइजेशन लैब (3डी-डीएवीएल) के साथ पीएमयू डाटा केन्द्र का सुदृढ़ीकरण • सभी 12 राज्यों में मांग आधारित कार्य अनुसंधान परियोजना जारी रखना और 15 नई बहु-राज्य समन्वित परियोजनाएं शुरू करना • 30 स्प्रिंग रिवाइवल मॉडल्स का विकास • प्रशिक्षित अनुसंधान-कर्ताओं का सृजन (119) • चार आईएचआर राज्यों में 4 नए नेचर इंटरप्रिटेशन केन्द्रों के लिए पहल करना	• आईएचआर में सुविचारित नीति तैयार करने की सूचना रणनीति में सुधार • समयबद्ध अध्ययनों से आईएचआर को जारी रखने की नेचुरल कैपिटल का सुदृढ़ीकरण • आईएचआर में ह्यूमन कैपिटल ऑफ इंस्टीट्यूट्स के सृजन से अनुसंधान और विकास सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण • संरक्षण कौशल को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना • हिमालयी राज्यों में प्रशिक्षित स्थानीय हितधारकों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमों का सृजन
4	पर्यावरण नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली	120.70		
4.1	पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	67.00	• (स्कूल और कॉलेज के) छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना	• छात्रों में पर्यावरण जागरूकता पैदा करना और उन्हें पर्यावरण हितैषी कार्यों में लगाकर पर्यावरण और इसके संरक्षण के प्रति उचित सोच

				पैदा करना
4.2	पर्यावरण सूचना प्रणाली	24.00	1(क). न्यूज़लैटर्स, पुस्तकें, विषय आधारित विशेष प्रकाशन, ई-पुस्तकें, ई-बुलेटिन्स, बुकलेट्स, शिक्षाप्रद किट्स आदि जैसे ईएनवीआईएस ज्ञान उत्पादों का विकास 1(ख). थीमैटिक मानचित्रों का विकास 1(ग). ईएनवीआईएस मोबाइल ऐप्स का विकास 2 नए ईएनवीआईएस हब्स/संसाधन पार्टनर्स की स्थापना। 3. भारतीय आधारभूत पर्यावरण सूचना डेटाबेस (आईएसबीईआईडी): आईएसबीईआईडीके 17 के टाइम सिरीज डेटा का विकास और विश्लेषण 4. हरित कौशल विकास कार्यक्रम: युवाओं को प्रदूषण निगरानी (वायु/जल/शोर), बहिस्राव शोधन संयंत्र संचालन, अपशिष्ट प्रबंधन, पारि-प्रणाली सेवाओं के मूल्यांकन, वनाग्नि का प्रबंधन, जल बजटिंग व ऑडिटिंग आदि जैसे विभिन्न हरित कौशल कार्यों में दक्ष बनाना 5. प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए ग्रिड आधारित निर्णय सहायता प्रणाली- देश में विभिन्न पर्यावरणीय पैरामीटरों यथा, वायु, जल, शोर, मृदा गुणवत्ता, ठोस, घातक व ई-अपशिष्ट, वन व वन्यजीव, पेड़-पौधों, नमभूमि, झीलों, नदियों और अन्य जल निकायों, जन स्वास्थ्य आदि का ग्रिड आधारित दृष्टिकोण को लेकर पर्यावरणीय सर्वेक्षण 6. समुदाय आधारित पर्यावरणीय सतत ग्राम कार्यक्रम: पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में समुदायों को एकत्र करना, विकास के विकेन्द्रीकृत मॉडल सृजित करना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और गांवों में उचित माहौल बनाना ताकि सामुदायिक स्तर पर पर्यावरणीय सतत परिपाटियों को अपनाया जा सके 7. राज्य पर्यावरण रिपोर्ट/राज्य पर्यावरण एटलस तैयार करना	• मूल्य-वर्धित सूचना उत्पादों के भंडार तैयार करना जैसे, शिक्षाप्रद किट मोबाइल ऐप्स, पर्यावरण संबंधी वीडियो, फोटोबैंक, अनुसंधान पेपर्स/ प्रकाशन, विषयगत मानचित्र, राज्य/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर की सूचना की डायरेक्रीज, सीडी, एटलस, विषयगत डाटाबेस आदि। • जिन राज्यों में ईएनवीआईएस सेंटर नहीं हैं, वहां 'पर्यावरण और इससे जुड़े मुद्दों की स्थिति' के बारे में ईएनवीआईएस हब्स की स्थापना। पर्यावरण से जुड़े विषयगत क्षेत्रों में कमियों को दूर करने के लिए ईएनवीआईएस रिसोर्स पार्टनर्स की स्थापना। • 17 मॉड्यूलों और 48 उप-मॉड्यूलों के अनुसार पर्यावरण और इससे जुड़े पैरामीटर्स में डाटा कमियों को सामने लाना। • पर्यावरण गतिविधियों में युवाओं का कौशल बढ़ाना और उनके लिए लाभप्रद रोजगार/स्व-रोजगार दिलाने के अवसर पैदा करना। • विभिन्न पर्यावरणीय पैरामीटर्स के बारे में ग्रिड-वार सूचना की उपलब्धता में सुधार से जिला, राज्य और केन्द्र के स्तरों पर पर्यावरणीय प्रस्तावों के महत्वपूर्ण मूल्यांकन में मदद मिलेगी। इसके अलावा केन्द्र और राज्यों को नीति तैयार करने, निर्णय लेने और आयोजना बनाने, राज्य पर्यावरण रिपोर्ट/राज्य पर्यावरण एटलस तैयार करने, पारि-प्रणाली सेवाओं का मूलयांकन करने और राज्य/जिला स्तर पर हरित जीडीपी का अनुमान लगाने में भी सहायता मिलेगी।

				• एसएजीवाई और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत आदर्श ग्रामों के निवासियों द्वारा सतत विकास की पद्धतियों को अपनाना और पर्यावरण विकास एजेंडा हासिल करना • पर्यावरण की स्थिति पर राज्यवार जानकारी की उपब्धता से नीतिगत निर्णय लेने और उचित प्रतिक्रियाएं देने में मदद मिलेगी
4.3	उत्कृष्टता केन्द्र	20.00	• कम से कम 5 उत्कृष्टता केन्द्रों को मान्यता • निम्निलिखित योजनाओं के तहत अभिनिर्धारित प्रत्येक विषयगत क्षेत्रों में से कम से कम एक:- - सतत विकास - जलवायु परिवर्तन - प्रदूषण - जैवविविधता संरक्षण - भू-दृश्यावली संरक्षण और सतत आजीविका - पर्यावरणीय आर्थिकी	• पूर्ण हो चुकी परियोजना के परिणामों का बैठक/संगोष्ठी/कार्यशाला आदि में प्रशिक्षण के जरिए कार्यान्वयन
4.4	संरक्षण एवं विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास	9.70	• अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण जिससे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, अवक्रमित क्षेत्रों का संरक्षण और पुनरूद्धार, संसाधन और ऊर्जा संरक्षण हेतु स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, जैवविविधा संरक्षण के डाटा तैयार करने में मदद मिलेगी; देश में उपकरणों और वैज्ञानिक मानव-शक्ति की क्षमता बढ़ेगी।	प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिए उनकी उपलब्धता से संबंधित डाटा

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 28: विदेश मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	विदेश सेवा संस्थान	14.61	विदेश मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों और विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण	विदेश मंत्रालय के जुलाई 2013 में अपनाए गए प्रशिक्षण ढांचे के अनुसार
2.	दूतावास और मिशन	2701.00	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	विशेष राजनयिक व्यय	2400.01	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	पासपोर्ट और उत्प्रवास	1058.75	भारत में पासपोर्ट कार्यालयों और विदेशों में स्थित मिशनों/पोस्टों द्वारा कौंसुलर पासपोर्ट और वीजा सेवाएं	प्रत्येक वर्ष 1.5 करोड़ पासपोर्ट जारी करने का लक्ष्य है
5.	मनोरंजन प्रभार	70.50	विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरे	
6.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	337.10	संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल, सार्क, एससीओ आदि को अनिवार्य योगदान	
7.	दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय	375.00	अवसंरचना का निर्माण	सार्क देशों के छात्रों को प्रशिक्षित करना
8.	नालंदा विश्वविद्यालय	200.00	अवसंरचना का निर्माण	विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालय का निर्माण
9.	आईसीसीआर	255.00	विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना और विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना	विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना
10.	आईसीडब्ल्यूए	16.70	अनुसंधान और सूचना एवं विचारों के आदानप्रदान के - माध्यम से विदेशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देना	अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना
11.	आरआईएस	12.00	विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंध एवं विकास सहयोग, नीतिगत संवाद को बढ़ावा देने पर केन्द्रित स्वायत्त थिंक टैंक	आर्थिक संबंधों का विकास
12.	आईटीईसी, एसीएएपी और कोलम्बो योजना	280.00	लगभग 47 नागरिक और 83 रक्षा संस्थाओं में 142 विकासशील देशों से विदेशी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधों का निर्माण
13.	बांग्लादेश को सहायता	175.00	बंगला देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
14.	भूटान को सहायता	2650.00	भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं के माध्यम	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत

			से तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	बनाना
15.	नेपाल को सहायता	375.00	नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
16.	श्रीलंका को सहायता	**150**.00	श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
17.	मालदीव को सहायता	**125**.00	मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
18.	म्यांमार को सहायता	**280**.00	म्यांमार के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
19.	अन्य विकासशील देशों को सहायता	115.00	विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	सह विकासशीस देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना
20.	आपदा राहत के लिए सहायता	20.00	विदेशों में भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य	विदेशों को मानवीय सहायता
21.	सार्क कार्यक्रम	10.00	सार्क स्तरीय पहलें	सार्क देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना
22.	अफ्रीकी देशों को सहायता	200.00	अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक सहयोग	अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना
23.	बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	30.00	एक बहुपक्षीय ढांचे में विदेशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना	विदेशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना
24.	निवेश प्रोत्साहन और प्रचार कार्यक्रम	75.00	भारत में प्रचार और निवेश के अवसरों का विदेशों में प्रचार एवं प्रोत्साहन	विदेशों के साथ
25.	यूरेशियाई देशों को सहायता	30.00	यूरेशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	यूरेशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना
26.	लेटिन अमरीकी देशों को सहायता	20.00	लेटिन अमरीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	लेटिन, अमेरिकन और कैरेबियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना
27.	अफगानिस्तान को सहायता	325.00	अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
28.	चाबहार पत्तन	150.00	सामरिक परियोजना	भारत के हितों की सुरक्षा के लिए

29.	मॉरिशस को सहायता	350.00	द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
30.	सेशल्स को सहायता	300.00	द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
31.	आसियान बहुपक्षीय	45.00	आसियान देशों के साथ भारत के संबंध	आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना
32.	प्रवासी कौशल विकास योजना	5.00	पहले इसे स्वर्णप्रवास योजना के नाम से जानी जाती थी।	कौशल विकास के लिए
33.	अन्य	344.69	विविध योजनाएं	
34.	पूंजी परिव्यय	800.00	विदेश मंत्रालय का वैश्विक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन पर व्यय	

स्कीमों के लिए निर्गम परिणाम रूपरेखा-2018-19

मांग सं. 29 - आर्थिक कार्य विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीमउप-/ स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2017-18**	**परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम				
1	अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण	240.69	• अवसंरचना को वित्तीय सहायता/अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण प्रदान करना • पारदर्शी और प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता	• निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी और अवसंरचना विकास • ऐसी अवसंरचना परियोजनाएं जो आर्थिक रूप उपयुक्त है लेकिन जिनमें व्यवसायिक अर्धक्षमता की कमी है, उन्हें सहायता प्रदान करने के माध्यम से घटा हुआ वित्तीय अर्थक्षमता अंतर
2	ब्याज समकरण सहायता			
2.1	ब्याज समकरण सहायता - भारत के एग्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	629.11	• भारत सरकार एग्जिम बैंक को रियायती शर्तों पर विकासशील क्षेत्रों को उधार देने में सक्षम बनाने के लिए ब्याज समकरण सहायता प्रदान करती है	• विदेशों में भारत को एक उभरती हुई शक्ति, निवेशक देश और विकासशील देशों के लिए साझीदार के रूप में दर्शाते हुए भारत के सामरिक राजनीतिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना। • अन्य देशों के साथ सद्भावना पैदा करना और दीर्घकालिक भागीदारी बनाना
2.2	ब्याज समकरण सहायता - भारतीय कंपनियों के लिए ब्याज समकरण सहायता	44.40	किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले किसी निकाय को रियायती वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक्जिम बैंक को 2% का ब्याज समकरण निम्नलिखित शर्त पर देना: यदि किसी निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कोई भारतीय कंपनी जो घरेलू स्तर पर उत्पादन कर रही है, ऐसी विदेशी संस्था द्वारा निविदाकृत किसी परियोजना के निष्पादन के लिए संविदा प्राप्त करने में सफल हो जाती है और यदि वह परियोजना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है।	• सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अवरंसरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय कंपनियों का समर्थन करना • विदेशों में भारत के सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना है।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 30: व्यय विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली	240.00	• बढाए जाने के लिए डीबीटी स्कीमों का विस्तार किया जाना। डीबीटी स्कीम कोड के लिए स्कीमों का विस्तार किया जाना। विभिन्न हितधारकों के लिए विकसित विशेष रूप से तैयार रिपोर्ट के लिए डीबीटी स्कीम कोड/प्रत्येक सप्ताह 75 लाख लेन-देन संसाधित किया जाना। • नए लेखा चार्ट को समायोजित करने के लिए पीएफएमएस का पुनर्विन्यास और लगभग 6 राज्यों में लेखा के संशोधित चार्ट का संचालन करना • अवशेष इंटरफेसिंग, यदि कोई हो, को पूरा किया जाना। प्रयोक्ता सहायता और हेंडहोल्डिंग • सभी भुगतान और लेखा कार्यलयों और 50% संवितरण अधिकारियों को पीएफएमएस के तहत लाया जाना। पीएफएमएस का उपयोग करते हुए वार्षिक लेखाओं को पूर्ण रूप से तैयार करना। • पीएफएमएस के नए संस्करण का विकास शुरू करना। • जानने की आवश्यकता के बारे में डीबीटी रिपोर्ट सहित नागरिकों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित रिपोर्ट। सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना साझा करने के लिए नयाचार स्वीकार किया जाना	• सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में नागरिकों का बेहतर अनुभव • लोक वित्त का एक 'समग्र सरकार' दृष्टिकोण सक्षम बनाना • लाभार्थी तक धनराशि के उपयोग का पता लगाना • धनराशि के उपयोग का पता लगाना और संवितरण एजेंसी की उपयोग संबंधी सूचना वापस भेजना • धनराशि के समय पर अंतरण और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए त्वरित भुगतान तंत्र के लिए समर्थ बनाना • केन्द्र सरकार की भुगतान और लेखांकन प्रणाली का डिजिटीकरण • प्रौद्योगिकीय प्रगति और प्रयोक्ताओं की बढ़ी हुई अपेक्षाओं के अनुरूप पीएफएमएस को अद्यतन रखना • सरकारी कार्यक्रमों के वित्तीय प्रशासन में नागरिक इंटरफेस में सुधार करना
2	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (एनआईएफएम) शिक्षा और राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र/राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकारियों के प्रशिक्षण	5.00	केन्द्र/राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के 120 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और कक्षा शिक्षण एवं परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्तीय प्रबंधकीय कौशल में तथा वाणिज्यिक एवं शासकीय लेखांकन, लोक वित्त, बजट निर्माण, वित्तीय नीति निर्माण/निर्णय निर्धारण तथा परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण

	के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम			
3	लोक प्रापण में अधिकारियों को प्रशिक्षण (एनआईएफएम)	6.00	लोक प्रापण में लगभग 2000 अधिकारियों को प्रशिक्षण	लोक प्रापण में दक्षता के लिए

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19
मांग सं. 31 - वित्तीय सेवाएं विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
1.	सरकार की प्रतिभूतियां जारी करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	65000.01	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपना टियर1 सीआरएआर सुविधाजनक स्तर पर कायम रखने में समर्थ बनाता है और बेस III के तहत पूंजी-पर्याप्तता के नियामक मानकों का अनुपालन करता है	ऋण ऑपरेशनों के लिए नकदी सहायता प्रदान करना, बैंकों को बाजार से धन जुटाने में समर्थ बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेस III के तहत पूंजी-पर्याप्तता के नियामक मानकों का अनुपालन करने में समर्थ बनाना
2.	**नाबार्ड** की अंश पूंजी में अभिदान	3500.00	नाबार्ड की उधार लेने की शक्ति को प्रदत्त इक्विटी के 10 गुना तक बढ़ाना	नाबार्ड की उधार लेने की बढ़ी हुई शक्ति और दीर्घावधि के सिंचाई कोष और नाबार्ड द्वारा शुरू की गई भारत सरकार की अन्य स्कीमों के तहत परिचालनों के लिए अपेक्षित धन जुटाने में उसकी सहायता करना
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	13.00	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपना सीआरएआर अनुपात कम से कम 9% पर कायम रखने के लिए समर्थ बनाना	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरआरबी अधिनियम में यथा परिकल्पित अपने कार्यों को करने में समर्थ बनाना
4.	भारत के निर्यात-आयात बैंक की अंश पूंजी में अभिदान	500.00	एक्जिम बैंक की ऋण देने की क्षमता में 5000 करोड़ रुपए तक वृद्धि करना और पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखना	भारत सरकार द्वारा पूंजी निवेश का उपयोग राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता एवं रियायती वित्तपोषण स्कीम के तहत स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा के माध्यम से विदेश नीति और सामरिक पहलों को सहायता देने के लिए किया जाएगा।
5.	इक्विटी कैपिटल टू माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)	600.00	पुनर्वित्तपोषण क्षमता को 4200 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाता है।	एकल पक्ष के प्रदर्शन को बढ़ाना और अभिनव उत्पादों के विकास में सहायता करना।
6.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता	100.00	पूंजीगत निवेश से 700 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त उधारी हेडरूप उपलब्ध होगा और पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।	कंपनी को अपने लोन पोर्टफोलियो का विस्तार करने और प्रतिबद्ध संवितरण को पूरा करने, कम लागत वाले फंड जुटाने हेतु क्रेडिट रेटिंग क्रेडिंशियल्स को कायम रखने और दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण में अंतर को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना।

7.	विश्व बैंक सहायताप्राप्त माइक्रोफाइनेंस प्रोजेक्ट के तहत नेशलन हाउसिंग बैंक को भारत में "निम्न आय आवास वित्तपोषण" संबंधी विश्व बैंक सहायताप्राप्त परियोजना	125.00	लगभग 1250 आवासीय इकाईयों के निर्माण में सहायता करना	किफायती आवास की उपलब्धता को बढ़ाना
8.	स्टेंड अप इंडिया की स्थापना करने के लिए एनसीजीटीसी को सहायता	500.00	सदस्य ऋण संस्थाओं के ऋण जोखिम को कम करना और 6200 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देकर पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त निशुल्क ऋण उपलब्ध कराना।	भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला समूहों के बीच उद्यमशीलता बढ़ाने में मदद करना
9.	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए ऋणों के लिए गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड	500.00	सदस्य ऋण संस्थानों के क्रेडिट जोखिम को कम करके कवरेज में वृद्धि और 30,000 करोड़ रुपए की ऋणा सहायता देकर पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त निशुल्क ऋण उपलब्ध कराना	अल्पसेवा प्राप्त और सेवा वंचित क्षेत्रों को ऋण के अधिक प्रवाह में मदद करना और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत त्वरित, सतत और व्यापक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करना। पात्र उधार लेने वालों को अतिरिक्त निशुल्क औपचरिक ऋण देने में सहायता करना।
10.	भारतीय जीवन बीमा निगम को वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए भुगतान	224.28	• वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना स्कीम के 100% अभिदाताओं को समय पर संवितरण • इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को 9% का वार्षिक लाभ प्राप्त होता है	कमी की स्थिति में एलआईसी की सहायता करके सभी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अभिदाताओं के लिए 100% गारंटीशुदा लाभ सुनिश्चित करना। गारंटीशुदा लाभ तथा एलआईसी द्वारा फंड में सृजित लाभ में किसी भी अंतर को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाता है
11.	अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	155.00	अटल पेंशन योजना में अभिदान से अभिदाताओं को वृद्धावस्था आय सुरक्षा मिलेगी।	अभिदाताओं को वृद्धावस्था में सुनिश्चित आय सुरक्षा मिलेगी
12.	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	20.00	प्रधानमंती जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के बारे में जागरूकता पैदा करना।	प्रधानमंती जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत अभिदाता आधार का विस्तार।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 41 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	**प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना**	**1313.00**		• 10.51 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना • फलों और सब्जियों की वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता को 2.1% से बढ़ाकर 9% तक करना। • 5,33,600 व्यक्तियों को रोजगार • 80,189 करोड़ रुपए के मूल्य के 267.29 लाख मीट्रीक टन कृषि उत्पादों का प्रबंधन • भोजन की गुणता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का सृजन करना • खाद्य उत्पादों के परिरक्षण और पैकेजिंग के लिए नए उत्पादों और नई किफायती प्रौद्योगिकियों का विकास में सहायता के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना • मूल्य श्रृंखला अदक्षताओं को न्यूनतम करना, उपभोक्ताओं के लिए लागत में कमी करना और किसानों के लिए अधिक लाभकारी मूल्य • 4, 229 करोड़ रूपए के मूल्य के 3.52 लाख मीट्रीक टन मांस उत्पादों का उत्पादन
1.1	मेगा फूड पार्क के लिए स्कीम	390.00	12 मेगा फूड पार्कों का परिचालन	
1.2	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों हेतु अवसंरचना सृजन के लिए स्कीम	20.00	100 क्लस्टरों की स्वीकृति	
1.3	कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के लिए स्कीम	400.00	85 कोल्ड चेन परियोजनाओं का काम पूरा करना	
1.4	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण के सृजन/विस्तार के लिए स्कीम (पुरानी स्कीम की बची हुई देयताओं के साथ)	395.00	• 75 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का काम पूरा करना • 200 नई इकाईयों को मंजूरी प्रदान करना	
1.5	बैकवर्ड और फार्वर्ड लिकेंज के सृजन के लिए स्कीम	20.00	20 नई परियोजनाओं को अनुमोदन	
1.6	खाद्य सुरक्षा और गुणत्ता आश्वासन के लिए स्कीम	25.00	• 17 एफटीएल और एनएबीएल का काम पूरा करना 12 एफटीएल एचएसीसीपी/आईएसओ का प्रत्यायन 21 इकाईयों का प्रमाणन	
1.7	मानव संसाधन और संस्थाओं के लिए स्कीम	33.00	22 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को अनुमोदन/75 उन्नति संबंधी कार्यों को पूरा करना	
1.8	अवसंरचना स्कीमों के तहत प्रतिबद्ध देयताएं	30.00	5 बूचड़खाना परियोजनाओं को पूरा करना	

निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 42 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
<u>केंद्र प्रयोजित स्कीम</u>				
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)				
1.	एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल	15006.33		
1.1.1	एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य तंत्र का सुदृढ़ीकरण	9752.82	• 11,000 स्वास्थ्य केंदों द्वारा प्राथमिक देखभाल सेवाओं की बढ़ी हुई बास्केट प्रदान की जानी है। • एफआरयू की संख्या बढा कर 50 किया जाना • पीएच केंद्रों पर नि:शुल्क दवाइयों की व्यवस्था के लिए आईटी प्रणाली आधारित प्रापण प्रबंधन और लॉजिस्टिक लागू किया जाना - राज्यों की संख्या में 5% वृद्धि। • जन स्वास्थ्य केंद्रों पर डायलिसिस सत्रों की संख्या में 10% वृद्धि। • ओपीडी और आईपीडी के लिए जन स्वास्थ्य केंद्रों के उपयोग में 10% वृद्धि। • आईपीएचएस मानको वाले पीएचसी की संख्या में 5 % वृद्धि। • एनक्यूएएस प्रमाणित जन स्वास्थ्य केंद्रों में 50% वृद्धि • एनएचएम नि:शुल्क नैदानिक पहल लागू किया जान - राज्यों की संख्या में 15%. वृद्धि।	• जन स्वास्थ्य केंद्रों के उपयोग में वृद्धि • एमएमआर और आईएमआर में कमी । • एनसीडी की संवीक्षा और प्रबंधन को केंद्र में रखते हुए प्राथमिक देखभाल सेवाओं के उपयोग में सुधार लाना। • स्वास्थ्य देखभाल पर अत्याधिक व्यय में कमी। • बेहतर देखभाल गुणता और रोगी संतुष्टि।

1.1.2	आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल जिसमें नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीस आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि शामिल हैं	5253.51	• 4 एएनसी प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या में वर्ष 2017-18 के स्तर से कम से कम 2 **%** वृद्धि। • कुशल प्रसव परिचर की देखरेख में प्रसवों की संख्या में 2016-17 के स्तर से प्रतिवर्ष कम से कम 2% वृद्धि **-** (67%) • पूर्ण प्रतिरक्षण व्याप्ति में **90%** तक वृद्धि। • आधुनिक गर्भनिरोधक पद्दति प्रचलन दर (एमसीपीआर) में वृद्धि - आधार रेखा से 0.5% वृद्धि (आधार रेखा- एमसीपीआर = 47.8 एनएफएचएस (IV)). • देश में पर्याप्त रूप से आयोडीन वाले नमक की उपलब्धता (उत्पादन स्तर पर >30 पीपीएम, उपभोग स्तर पर >15 पीपीएम) - 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।	• 2022 तक एमएमआर को घटाकर 90 किया जाना । • पूर्ण प्रतिरक्षण व्याप्ति को बढ़ाकर 90% किया जाना। • 2020 तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 तक लाया जाना। • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से आयोडीन वाले नमक की उपलब्धता और समाज में इसका उपभोग बढ़ाना।
1.2	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लेक्सिबल पूल	875.00	• शहरी भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बेहतर बनाया जाना - न्युनतम स्टॉफ और सेवा पैकेज के साथ तथा व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं सहित अतिरिक्त 200 यूपीएचसी/यूसीएचसी शुरू किए जाने हैं। • शहरी भारत में जन स्वास्थ्य केंद्रों पर कराए गए प्रसवों की संख्या - 2% वृद्धि। • सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर कम से कम 4 एएनसी प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या - 2% वृद्धि। • सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर पूर्ण प्रतिरक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या - 2% वृद्धि।	शहरी भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बेहतर बनाया जाना।
1.3	संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल	1928.00		
1.3.1	संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम		कुल अधिसूचित (सार्वजनिक और निजी) क्षय रोग मामलों की संख्या 17,45,000 (2016) से बढ़कर 20,00,000	अधिसूचित औषधि संवेदी क्षयरोग मामलों की बेहतर उपचार सफलता दर (80%) ।

1.3.2	राष्ट्रीय कुष्ट रोग उन्मूलन कार्यक्रम		कुष्ट रोग मामला पता लगाने के अभियान के दौरान पहचान की गई 80% आबादी की शारीरिक जांच।	ग्रेड II निशक्तता को घटाकर 1 प्रति मिलियन जनसंख्या तक लाया जाना।
1.3.3	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम		• सभी राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर 'सिन्ड्रोमिक (एस)' फार्म की ≥ 77% पूर्णता । • सभी राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर 'प्रकल्पित (पी)' फार्म की ≥ 87% पूर्णता ।	• रोग का समय पर पता लगाया जाना और शुरुआती चेतावनी संकेतों के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया। • मामलों पर प्रतिशत जिनकी 48 घंटों के अंदर जांच की जाती है।
2.	गैर-संक्रामक रोगों, चोट और आघात के लिए फ्लेक्सिबल पूल	1004.67		
2.1	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।		• प्राथमिक, माध्यमिक और जिला स्तर पर एनपीसीबी एंड वीआई के तहत नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान की गई। • 66,00,000 सफेद मोतियाबिंद सर्जरी।	• उपयुक्त पहलों के माध्यम से काले मोतियाबिंद सहित सफेद मोतियाबिंद, अपवर्तक दोषों और अन्य नेत्र रोगों के कारण अंधेपन के मामलों में कमी। • 2020 तक अंधेपन के फैलाव को कम करके 0.3% तक लाया जाना।
2.2	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी)		• मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक विकारों से युक्त लोगों के पंजीकरण की संख्या में 10% वृद्धि।	मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि।
2.3	कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और सदमे की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)		• व्यक्तियों की संख्या जिनकी उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की गई - 10 % वृद्धि	हृदय रोग,कैंसर, मधुमेह या पुराने श्वास रोगों से होने वाली समय से पहले मृत्यु और रुग्णता की दर में कमी।
2.4	वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम		• सरकारी केंद्रों पर उपचार करा रहे वृद्ध रोगियों की संख्या में 10% वृद्धि	वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच
3.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	4225.00		
3.1	जिला अस्पताल - राज्य के सरकारी मेडीकल कॉलेजों का उन्नयन (स्नातकोत्तर सीटें)	452.25	1058 स्नातकोत्तर सीटें	विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता में वृद्धि किया जाना
3.2	सरकारी मेडीकल कॉलेजो (स्नातक से नीचे स्तर की सीटें) और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	794.07	10 ए के तहत 600 एमबीबीएस सीटें	चिकित्सकों की उपलब्धता में वृद्धि किया जाना

3.3	नर्सिंग सेवाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण (एएनएम/ जीएनएम)	66.00	40 एएनएम/जीएनएम स्कूलों की शुरुआत (एएनएम/ जीएनएम स्कूलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना)	स्वास्थ्य देखभाल के लिए नर्सों की संख्या में वृद्धि किया जाना
4	राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	206.00	जांच किए जाने के लिए दवाइयों के नमूनों की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 (विद्यमान संख्या 57,000).	जांचे गए नमूनों की संख्या में वृद्धि और विनियामक तंत्र का बेहतर अनुपालन ताकि रोगियों के लिए उपलब्ध दवाइयों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणता में सुधार किया जा सके।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 43: स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
1.	महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना	70.00	30 नए वायरल नैदानिक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना (वीआरडीएल)	• लगभग 75,000 नमूने प्रति वर्ष की जांच करना और प्रकोपों की जांच करना। • संक्रमण जैसे जेई, चिकुनगुनिया, डेंगी, एच1एन, हेपेटाइटिस, जिका, क्रिमियन-कोगों रक्तस्त्रावी बुखार आदि जैसे का समय पर निदान करना ताकि प्रभावी स्वास्थ्य बीच बचाव के लिए पूर्वानुमान की जांच की जा सके। • अज्ञात वायरसों/विदेशी वायरसों के निदान के लिए प्रवर्तन काल को कम करके 48 से 72 घंटे तक करना। • व्यापक लोक स्वास्थ्य मामलों वाले वायरस जैसे जीका पर देश के सरकारी मेडिकल महाविद्यालयों में बहु-केन्द्रीय परियोजनाएं; विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 2020 तक खसरा उन्मूलन और रूबेला नियंत्रण कार्यक्रम।
2.	स्वास्थ्य अनुसंधानि के प्रचार के लिए अवसंरचना विकास	63.00		
(i)	राज्यों में आदर्शग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना (एमआरएचआरयू)		• अनुसंधान कार्यों/परियोजानाओं के लिए 12 आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों का परिचालन। • 4 नए आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाईयों की स्थापना।	• ग्रामीण परिवेश में नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से फील्ड तक ले जाना। ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए पीएचसी और सीएचसी स्तर पर डायग्नोस्टिक किट का विकास, ग्रामीण आबादी के स्थानीय रोगों जैसे कुपोषण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कुष्ठ रोग, तपेदिक के बोझ को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
(ii)	सरकारी मेडिकल महाविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थाओं में बहु-विवयक अनुसंधान इकाईयों की स्थापना		• अनुसंधन कार्यों/परियोजनाओं के लिए 35 बहु-विषयक अनुसंधान इकाईयों का परिचालन।	• सरकारी मेडिकल महाविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थाओं में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए अवसंरचना का सृजन करना और वातावरण सक्षम करना। • लोक स्वास्थ्य प्रणाली में समावेशन के लिए डायग्नोस्टिक किट/प्रोद्गिकियों का विकास।

			• सरकारी मेडिकल महाविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं में 10 नए बहु विषयक अनुसंधान इकाईयों की स्थापना।	• प्रमाण आधारित निदान विधि/प्रक्रियाओं उपचार के तरीकों पर आधारित जनसंख्या का समग्र स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।
3.	मानव संसाधन और क्षमता निर्माण	72.00	अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सरकारी मेडिकल महाविद्यालयों के संकाय के लिए भारत और विदेश में प्रशिक्षण के लिए लगभग 50 अध्येतावृत्ति प्रदान करना और जन स्वास्थ्य महत्व के क्षेत्रों में लगभग 40 अनुसंधान परियोजनाओं का वित्तपोषण	• नए नैदानिक जन स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के संबंध में लगभग 23 अनुसंधान दस्तावेजों का प्रकाशन। प्रस्तुतीकरण। अध्येतावृत्ति प्राप्त स्टार्ट। • जन स्वास्थ्य प्रणाली में उपयोग के लिए कम से कम 3 अग्रणियों का पेटेंट/उत्पादों/प्रक्रियों में परिवर्तन। • 35**%** अध्येतावृत्ति प्राप्त स्टार्ट-अप परियोजना शुरू करेगें।
4.	अनुसंधान गवर्नेंस		भारत में उपलब्ध और नई स्वास्थ्य तकनीकों की उपयुक्तता और मूल्य प्रभाविता के मूल्यांकन के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रमाण आधारित निर्णय लेने के लिए स्वास्थ्य तकनीक मूल्यांकन करना ताकि देश में अधिकतम लोग न्यूनतम मूल्य पर गुणत्ता स्वास्थ्य देखभाल का उपयोग कर सकें।	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वास्थ्य सेवाओं/कार्यक्रमों में धारण करने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेप के लिए नैदानिक और मूल्य प्रभाविता के संबंध में न्यूनतम 4 तकनीकों का मूल्यांकन।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 44: भारी उद्योग विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1.	भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना	120.00	• प्रौद्योगिकी विकास के लिए सीएमटीआई बंगलौर, आईआईटी मद्रास, पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, एचईसी रांची और आईआईएससी बंगलौर में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की 8 परियोजनाओं में औसतन 90% संपादन पूरा होने की संभावना है जिनमें से 3 परियोजनाओं को 100% पूरा करने का लक्ष्य है। • विनिर्माताओं को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए किर्लोस्कर और कोरस इंडस्ट्रीज द्वारा एआरएआई चाकन/पुणे, एचईसी रांची, बारदौली, सूरत, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बंगलौर, सीएमटीआई बंगलौर में 9 साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्रों को काफी हद तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।	साझा भौतिक अवसंरचना के निर्माण से भारतीय पूंजीगत माल उद्योग का प्रौद्योगिकी अवशोषण, आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
2.	इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का तेजी से अपनाया जाना और उनका विनिर्माण	260.00	• हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायक बाजार विकास तथा ई-वाहनों की खरीद, चार्जिंग अवसंरचना के लिए सब्सिडी का प्रावधान करके ईको-सिस्टम का विनिर्माण और ई-वाहनों के महत्वपूर्ण पुर्जों के स्वदेशी विकास के लिए सहायक अनुसंधान एवं विकास • 11 शहरों में सार्वजनिक परिवहन (बस, टैक्सी और तिपहिया) में चार्जिंग अवसंरचना के साथ 1000 से अधिक ई-वाहन शुरू करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना	हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण/बाजार ईको-सिस्टम को तेजी से अपनाए जाने से पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाई जा सकेगी और साथ ही जीवाश्व ईंधन पर देश की निर्भरता भी घटेगी।
3.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंड**डी** इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपी)	378.88	• अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में शोर, कंपन एवं कर्णकटुता प्रयोगशाला और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) मानेसर में परीक्षण ट्रैक पूरा हो जाने के साथ ही आईसीएटी पूरी तरह कार्य करने लगेगा। • ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर	• सभी सुविधाएं पूरी हो जाने पर इंडियन ऑटोमोटिव उद्योग की प्रमाणन जरूरतें ऑटोमोटिव उद्योग, ओईएम तथा उनके उत्पाद विकास जरूरतों के लिए घटकों हेतु विकास परीक्षण की बड़ी हुई सहायता से पूरा होगा।

			(जीएआरसी) चेन्नै में पावर ट्रेन, पेस्सिव सेफ्टी, इलेक्ट्रोमेग्नेटिक कंपेटिबिलिटी (ईएमसी), प्रयोशालाओं को पूरा करना। • एनएटीआरएक्स इंदौर में टेस्ट ट्रैक्स का आंशिक कार्य पूरा किया जाना।	
4.	ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजना	100.00	• इस परियोजना में 800 मेगावाट एयूएससी ताप विद्युत सयंत्र की डिजाइन एवं परीक्षण तथा संबंधित बॉयलर एवं पाइपिंग की विनिर्माण प्रौद्योगिकी शामिल है। • इस वर्ष के लक्ष्यों में टरबाइन डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाना, बॉयलर एवं वाल्व के लिए विस्तृत डिजाइन का पूरा किया जाना और टरबाइन रोटर टेस्ट रिग सुविधा को चालू किया जाना शामिल है।	इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने से विद्युत सयंत्र की कुशलता सुधरेगी और इस प्रकार सयंत्र का कार्बन फुटप्रिंट घटेगा।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 45: लोक उद्यम विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	सीपीएसई के पृथक हुए कर्मचारियों के लिए परामर्श सेवा, पुनर्प्रशिक्षण और पुन: तैनाती स्कीम	6.00	सीपीएसई के 2000 पूर्व कर्मचारियों जिन्होंने वीआरएस/वीएसएस लिया था, अथवा उनके आश्रितों को लगभग 60% पुनर्तैनाती उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ पुनः प्रशिक्षण	सीपीएसई का आकार सही किए जाने अथवा बंदी से प्रभावित वीआरएस चयनकर्ताओं और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनकी पुन:रोजगार जरूरतों को पूरा करना और परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना।
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के उदयमों से संबंधित सामान्य मुद्दों के लिए अनुसंधान, विकास एवं परामर्श स्कीम	4.30	• सीपीएसई एवं एसएलपीएस के कार्यपालकों के लिए 14 आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम • सीपीएसई के निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए 6 अभिमुखीकरण कार्यक्रम • सीपीएसई एवं एसएलपीएस के कार्यपालकों के लिए 13 कार्यशालाएं	सीपीएसई/एसएलपीई/डीपीई के अधिकारियों के 350-400 कार्यपालकों का प्रतिवर्ष क्षमता निर्माण और कौशल विकास

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 46: गृह मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	प्रवासी और प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास	786.81	वापस आए 225 परिवारों के लिए पक्के घरों का निर्माण। इन घरों का निर्माण कार्य, तत्कालीन बंगलादेशी अंतः क्षेत्रों में पूलों, बस टर्मिनलों का निर्माण, राजमार्गों के उन्नयन और अस्पतालों के निर्माण जैसी अवसंरचना विकास के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। देहरादून, उत्तराखंड में तिब्बती शरणार्थियों के लिए 266 आवासीय इकाईयों का निर्माण जम्मू एवं कश्मीर और छम्ब के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 36384 विस्थापित परिवारों जो जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे हैं, के लिए वित्तीय सहायता। तमिलनाडु और ओडिशा में शिविरों में रह रहे 63050 शरणार्थियों को राहत सहायता मिजोरम सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली कार्य योजना के अनुसार 5407 ब्रू परिवारों का पुनर्वास	अंत क्षेत्रों से लौटने वालों का पुनर्वास शरणार्थियों को आवास प्रदान करना पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर और छम्ब के विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना विस्थापित परिवारों का पुनर्वास विस्थापित परिवारों को नकद सहायता एवं उनका पुनर्वास
2.	स्वतंत्रता सेनानी (पेंशन एवं अन्य लाभ)	775.15	निम्नलिखित समूहों को पेंशनः स्वतंत्रता सेनानी- 12657 विधुर/विधवाएं- 23117 अविवाहित पुत्रियां- 1572	स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को पेंशन का समय से भुगतान
3	हेलिकॉप्टर सेवाएं			
3.1	पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवाएं	90.00	इस स्कीम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के दुर्गम और सुदूर क्षेत्रों के लिए संपर्क में सुधार होगा	पूर्वोत्तर क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क के सुधार के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने हेतु सब्सिडी प्रदान करना
3.2	जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हेलिकॉप्टर सेवाएं	15.00	जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में हवाई संपर्क प्रदान करने, लोगों की आपात निकासी, चिकित्सा सेवा प्रदान करना	जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क के सुधार के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने हेतु सब्सिडी प्रदान करना
4.	आपदा प्रबंधन	240.02	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 12	यह स्कीम विभिन्न स्थलों पर राष्ट्रीय आपदा

	अवसंरचना		बटालियनों में से 8 बटालियनों में कार्यालय भवन के निर्माण का लगभग 80% कार्य पूरा करना 12 बटालियनों में से 6 बटालियनों में आवासीय भवन के निर्माण का लगभग 70% कार्य पूरा कर लिया जाएगा	मोचन बल की सभी बटालियनों के लिए अवसंरचना के सृजन के लिए है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की बटालियनों को बहु-विषयक, बहु-कौशल युक्त, उच्च तकनीकी बल, सभी प्रकार की आपदाओं में कारगार रूप से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बल के रूप में जाना जाता है। ये बल क्षेत्रफल और आबादी के असुरक्षित प्रोफाइल के आधार पर देश के विभिन्न स्थानों में अवस्थित है ताकि उनकी तैनाती का प्रतिक्रिया समय न्यूनतम हो सके।
5.	आपदा प्रबंधनः राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना	603.94	आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रसारण व्यवस्था का चालू किया जाना सभी 120 निर्धारित स्थलों पर वीएसएटी और उच्च फ्रीक्वेंसी के रेडियों सेट स्थापित करना 75 चक्रवात आश्रम स्थल, 90 कि.मी. सड़कें, 4 पूल, 35 कि.मी. लवणीय तटबंध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या -06 प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या-180	इस स्कीम के फलस्वरूप चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में जन-धन की हानि अपेक्षाकृत कम होगी।
6.	अन्य आपदा प्रबंधन की स्कीमें	117.00	इस स्कीम के अंतर्गत आईआईटी हैदराबाद की सहायता से 50 शहरों के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक और एक आदर्श जिले का विकास किया जाना। असुरक्षित जिलों में जीआईएस सरवर और आपदा रेसपोंडर लगाना सभी प्रमुख शहरों में लगभग 930 थानों के निगरानी वाहनों को कुछ रेडियो एक्टिव प्रणाली से सुसज्जित किया जाना	भारत सरकार आपदा प्रबंधन के राहत केन्द्रित दृष्टिकोण से जहां आपदा प्रबंधन के सक्रिय दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ रही है जहां जोखिम में कमी लाना महत्वपूर्ण है। ओडीएमएस यह स्कीम आपदा जोखिम हटाने में मदद करेगी और आपदा जोखिम कमी के लिए सेन्डै रूपरेखा के उद्देश्य की दिशा में कार्य करेगी। यह स्कीम राज्य और जिला स्तरों पर समन्वय तंत्र विकसित करने में, भूकंप और बाढ़ जोखिम प्रसम्न के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने तथा आपदा जोखिम प्रबंधन में संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग में मदद करेगी
7.	जम्मू एवं कश्मीर में विशेष उद्योग पहल उड़ान	100.00	14000 अतिरिक्त उम्मीदवारों के चयन, प्रशिक्षण और उन्हें दिसम्बर, 2018 तक रोजगार योग्य बनाने तथा 12000 अन्य उम्मीदवारों दिसम्बर, 2018 तक नौकरी का प्रस्ताव देने की योजना	जम्मू एवं कश्मीर के स्नातकों और स्नातकोत्तरों को कारपोरेट इंडिया के सर्वाधिक अनुकूल जानकारी देना। जम्मू एवं कश्मीर में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा से कारपोरेट इंडिया को परिचित करना। उड़ान जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं को प्रशिक्षित करने और उनकी

				रोजगार क्षमता बढ़ाने की एक कौशल विकास योजना है और यह उन्हें विकास के नए अवसर देने और उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है।
8.	सिविक कार्य एवं मीडिया योजना	21.00	चिकित्सा शिविरों के आयोजन, स्वच्छता अभियानों, खेलकूद, बच्चों को अध्ययन सामग्री के वितरण, स्कूल भवनों, सड़कों, पूलों की छोटी-मोटी मरम्मत जैसे विभिन्न कल्याण और विकास कार्य किए जाएंगे।	इस स्कीम से मल्टी-मीडिया के माध्यम से लोगों में सरकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा जिससे देश में स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। यह स्कीम आम जनता में सशस्त्र बलों की छवि को बढ़ावा देने में मदद करेगी तथा स्थानीय जनता को विश्वास में लेने में भी मदद करेगी जब उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवाद/आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 48: पुलिस

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
1.	आप्रवास वीजा एवं विदेशियों का पंजीकरण एवं उनका पता लगाना	72.60	विदेशों में स्थिति 23 मिशनों में सी-वीजा का कार्यान्वयन। विदेशों में स्थित शेष 63 भारतीय मिशनों में 10 सीआईएस मिशन को सी-वीजा बायोमीट्रिक कार्यान्वयन में परिवर्तित करना	एक सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदायगी रूपरेखा जो सुरक्षा को मजबूत करते हुए वैध यात्रियों को मदद करे, प्रदान करने के लिए केन्द्रीयकृत डाटा संग्रहण और इस स्कीम का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों में उसका वितरण
2.	बीएसएफ एयर विंग, एयर क्राफ्ट, रिवरबोट और हेलीबेस	175.06	i) 06 एमआई 017-IV हेलिकॉप्टरों की मरम्मत के लिए भुगतान; ii) 8 एमआई 17-V5 हेलिकॉप्टरों, 6 एमआई 17-IV हेलिकॉप्टरों, 06 एएलएच ध्रुव हेलिकॉप्टरों और 3 विमानों के लिए मशीनरी पुर्जो, जमीनी सहायता एवं हैंडलिंग उपकरणों की खरीद; iii) बीएसएफ एयर विंग के हेलिकॉप्टरों के सुधार और उन्हें उड़ान योग्य बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर अनुरक्षण निरक्षण और मरम्मत।	बॉर्डर की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न ड्यूटियों के लिए सभी सीमा सुरक्षा बलों को पर्याप्त उड़ानें प्रदान करना
3.	सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन			
3.1	भारत-चीन सीमा पर अवसंरचना का विकास (चरण-I एवं II सड़क)	218.32	चरण-I : 97.40 किमी. सड़क का निर्माण चरण-II : 100 किमी. सड़क का निर्माण	यह स्कीम सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की प्रचालन क्षमता बढ़ाएगी और इससे सीमा पार घुसपैठ और अपराधों के विरुद्ध कारगर सीमा प्रबंधन किया जा सकेगा।
3.2	भारत-नेपाल सीमा पर सड़कों का विकास	100.00	378.11 किमी. सड़क का निर्माण	
3.3	भारत-भूटान सीमा पर सड़कों का विकास	0.67	70 किमी. सड़क का निर्माण	
3.4	भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य			
3.4.1	आईबीबी कांटेदार तार की बाड़	269.23	बाड़ 53.65 किमी.	
3.4.2	आईबीबी सीमा सड़क	33.65	57.08 किमी. सड़क	
3.4.3	आईबीबी फ्लड लाइट	67.31	87.71 किमी. लंबाई	
3.5	भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य			
3.5.1	बाड़	119.22	24 किमी. लंबाई	
3.5.2	सीमा सड़क	75.00	659 किमी. लंबाई	
3.5.3	फ्लडलाइटिंग	25.00	224 किमी. लंबाई	

3.5.4	उच्च तकनीकी निगरानी उपकरण	50.00	पंजाब और गुजरात में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जानी है	
3.7.4	आईबीबी एवं आईपीबी के साथ बीओपी	235.58	26	
3.7.8	तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) (#)	175.88	131 तटीय थानों, 60 जेटियों का निर्माण, 131 चौपहिया वाहनों, 242 दुपहिया वाहनों एवं 225 नावों की खरीद	चौपहिया, दुपहिया और नोकाओं आदि की खरीद से तटीय पुलिस थानों की क्षमता बढ़ेगी
3.8.1	सीमा सुरक्षा बलों द्वारा बीओपी का निर्माण	210.70	बीओपी आदि के जवानों के लिए 560 ऐलीमेंट, बैरक का निर्माण, जमीन की लागत, सौर स्ट्रीट लाइट	
4.	पुलिस अवसंरचना			
4.1	सीएपीएफ अवसंरचना			
4.1.1	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान	216.04	मैदान गढ़ी में सीएपीएफ चिकित्सा विज्ञान संस्थान, सुपर स्पेशल्टी अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और स्कूल ऑफ परामेडिक्स की स्थापना	यह स्कीम सीएपीएफ के सेवारत और सेवा निवृत्त कार्मिकों और उनके परिवारों को मध्यम और तृतीय स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी
4.1.2	आवासीय भवन	1644.42	20500 आवासों का निर्माण	यह स्कीम 2019-20 तक विद्यमान 11.63% से 14.00% तक के संतोषजनक आवास प्रदान करेगी
4.1.3	कार्यालय भवन	1878.23	304 भवन + 144 बैरक	ये स्कीमें सीएपीएफ संस्थाओं को कार्यालय परिसर उपलब्ध कराएंगी
	अन्य संगठन			
4.2	कार्यालय भवन (आईबी)	88.20	20 परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया जाना है	यह स्कीम कार्यालय भवन के लिए लगभग 42000.75 वर्गमीटर और आवास के लिए 451 फ्लैट उपलब्ध कराएगी
4.3	एनआईए के लिए 7 आवासीय भवनों के लिए भूमि का अधिग्रहण और निर्माण	60.00	कार्यालय भवन के लिए 40420 वर्गमीटर क्षेत्रफल और 616 फ्लैटों के लिए 58750 वर्गमीटर क्षेत्रफल	यह स्कीम एनआईए के लिए कार्यालय एवं आवास उपलब्ध कराएगी
4.4	नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के कार्यालय भवन का निर्माण	80.54	विस्तृत आसूचना सूचना प्रणाली तथा आसूचना एवं चेतावनी तैयार करने की प्रणाली प्रदान करने के लिए। 38441.15 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्माण कार्य पूरा करना	एनएटीजीआईडी आईटी रूपरेखा परियोजना से डाटा प्रदान करने वाले 21 संगठनों से कार्यवाही योग्य आसूचना तैयार करने के लिए पदनामित (इस समय 10) आसूचना और आसूचना एजेंसियां कार्य कर सकेंगी।
4.5	बीपीआर एंड डी स्कीमें	52.01	चालू निर्माण कार्य पूरा किया जाना है	इस स्कीम से प्रतिवर्ष लगभग 3800 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में मदद मिलेगी
4.6	राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	20.06	कार्यालय और आवासीय भवन के चालू निर्माण	इस अकादमियों की प्रशिक्षण

			कार्य के लिए	क्षमताएं आपीएस अधिकारियों और अन्य पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए बढ़ायी जाएगी
4.7	पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी	11.51	कार्यालय और आवासीय भवन के चालू निर्माण कार्य के लिए	
4.8	राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान	12.98	कार्यालय भवन के चालू निर्माण कार्य के लिए	इससे प्रशिक्षण क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार तथा अत्याधुनिक न्यायिक प्रयोगशालाओं आदि में मदद मिलेगी।
4.9	केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला	10.50	कार्यालय भवन के चालू निर्माण कार्य के लिए	
4.10	केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई)	0.50	कार्यालय भवन के चालू निर्माण कार्य के लिए	
4.11	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	40.00	कार्यालय भवन के चालू निर्माण कार्य के लिए	कार्यालय सह-आवासीय भवन का निर्माण वर्ष 2020 तक पूरा हो जाएगा
5	कार्यालय और आवासीय भवनों के लिए दिल्ली पुलिस भवन कार्यक्रम	460.95	चालू निर्माण परियोजनाओं का निर्माण कार्य, 8 परियोजनाओं अर्थात् थानों पुलिस चौकियों, जिला लाइनों, महिलाओं के लिए आत्म रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उन्नत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, महिला छात्रावास, बटालियन कार्यालयों आदि के लिए भूमि की खरीद	लक्षित मकानों एवं बैरकों का कार्य पूरा हो जाने से आवास और कार्यालय परिसरों की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।
6	नेपाल पुलिस अकादमी को सहायता	11.78	i) जलशोधन संयंत्र, ii) आंतरिक सड़कों, iii) कार्यालय परिसर, iv) आवास ब्लॉक, v) मैस, vi) कक्षाओं, vii) सम्मेलन कक्ष/सिंडिकेट रूम का निर्माण	इस स्कीम के कार्यान्वयन से भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे तथा नेपाल पुलिस की प्रशिक्षण क्षमता सुधरेगी
7	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	8.00	स्वापक और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए राज्यों को अनुदान	इससे राज्य सरकारें स्वापक और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार का कारगर मुकाबला करने की अपनी क्षमता सुधारेंगी
8	महिला सुरक्षा योजना			
8.1	महिला सुरक्षा स्कीमें - दिल्ली पुलिस	19.75	स्कूलों/कॉलेजों में आत्म रक्षा प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण एवं शिविरों के आयोजन के लिए महिला पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के लिए अनिवार्य मदों एवं उपकरणों का प्रावधान।	इससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों के परिणामों के बारे में जनता में जागरूकता भी बढ़ेगी और इससे महिलाओं में विश्वास आदि भी और अधिक बढ़ेगा।
8.2	राष्ट्र व्यापी आपात प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस)	25.00	36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य आपात प्रतिक्रिया प्रणाली की स्थापना और नेशनल डाटा केन्द्र की स्थापना तथा पूरे भारत के लिए 112 नंबर की शुरुआत	इस स्कीम से देश में आपात प्रतिक्रिया प्रणाली बेहतर होगी।
8.3	महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध सायबर अपराध की रोकथाम	37.00	सीसीपीडब्ल्यूसी ऑनलाइन पोर्टल शुरू करना	इससे महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध सायबर अपराध रोकने और राष्ट्रीय सायबर न्यायिक प्रयोगशाला स्थापित करके ऐसे अपराधों के प्रशमन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर क्षमता

				निर्माण के सुदृढ़ीकरण और आम जनता में जागरूकता लाने में मदद मिलेगी
	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
9	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (सुरक्षा संबंधी व्यय सहित)			
9.1	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 250 मजबूत थानों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस)	94.00	• सुरक्षा बलों के आवागमन से संबंधित महत्वूपर्ण अवसंरचना को पूरा करना • सुदूर क्षेत्रों में सुरक्षित शिविर स्थल और हेलीपेड • थानों की सुरक्षा बढ़ाना, जेलों का सुदृढ़ीकरण और • वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए राज्यों के विशेष बलों की प्रशिक्षण अवसंरचना, आवासीय अवसंरचना, हथियारों एवं वाहनों की आवश्यकताओं को पूरा करना।	यह स्कीम पुलिस प्रशासन को वामपंथी उग्रवाद की समस्या से अधिक कारगर ढंग से निपटने में तथा राज्यों से वामपंथी उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने में सहायता करेगी।
9.2	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)	200.00	वामपंथी उग्रवाद से उत्पन्न हिंसा में मारे गए नागरिकों/सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान, पुलिस का बीमा प्रीमियम, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण एवं प्रचालन आवश्यकताएं, एलडब्यूई के समर्पण करने वाले कैडर को प्रतिपूर्ति, गांव सुरक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना, एसपीओ को मानदेय और प्रचार सामग्री पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए	इस स्कीम से वामपंथी उग्रवाद से उत्पन्न हिंसा और सुरक्षा बलों/पुलिस कार्मिकों पर वामपंथी उग्रवादियों के हमलों में कमी होगी।
9.3	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति	182.00	इस स्कीम के परिणाम के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस स्थापनाओं का सुदृढ़ीकरण हुआ है।	इस स्कीम से पुलिस स्थापना के सुरक्षा बलों की लोजिस्टक आवश्यकताओं को पूरा करने में और आत्मसमर्पण कर चुके वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के माध्यम से भटके हुए युवाओं को उग्रवादी समूहों में शामिल होने से रोकने में सहायता मिलेगी।
9.4	जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस)	502.00	इसमें सिपाही दल का परिवहन, सुरक्षा बलों के लिए लोजिस्टिक सहायता, एसपीओ का मानदेय, आईआर बटालियन, जम्मू और कश्मीर पुलिस के लिए नागरिक कार्य योजना, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास के निर्माण जैसी अवसंरचना का सृजन एवं उन्नयन शामिल है ताकि वे सरकारी और निजी भवनों आदि को खाली कर सकें।	यह स्कीम राज्य में आतंकवाद से लड़ने के लिए जम्मू और कश्मीर के पुलिस बल की लोजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगी।

9.5	सुरक्षा संबंधी व्यय (आरएंडआर)	200.00	इसमें जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों के लिए राहत, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज पर किया गया व्यय, आतंकवादी हमलों में मारे गए नागरिकों/सुरक्षा कार्मिकों के परिजनों के लिए राहत, आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादियों का पुनर्वास आदि शामिल है।	यह स्कीम उन कश्मीर प्रवासियों जिन्हें आतंकवाद अवधि के दौरान घाटी से विस्थापित दिया गया था, के लिए राहत एवं पुनर्वास के लिए सहायता करेगी।
9.6	क्राइम एंड क्रिमनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस)	13.79	लगभग 16000 थानों को हार्डवेअर एवं सोफ्टवेअर उपलब्ध कराना, सिस्टम एवं राष्ट्रीय डाटा सेंटर का प्रचालन एवं अनुरक्षण	सीसीटीएनएस परियोजना से आपराधिक आंकड़ों के केन्द्रीय भंडार और एकीकृत जांच फार्मों आदि के इलेक्ट्रिक पंजीकरण द्वारा संपूर्ण भारत में आपराधिक सूचना एवं न्याय प्रदायगी तंत्र को लाभ होने की संभावना है।
9.7	पुलिस अवसंरचना के उन्नयन के लिए विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों हेतु राज्यों को सहायता	100.00	i) गुजरात विधि विज्ञान विश्वविद्यालय का उन्नयन (कुल परिव्यय 300 करोड़ रुपए); ii) जयपुर में 'सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी, काउंटर टैररिज्म एंड एन्टी इन्सर्जेंसी' की स्थापना - (केन्द्र का कुल हिस्सा 165.00 करोड़ रुपए); iii) अमरावती, आंध्र प्रदेश में हाईटेक स्टेट एसएफएल की स्थापना (कुल केन्द्रीय परिव्यय 152 करोड़ रुपए); iv) पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस अवसंरचना, प्रशिक्षण संस्थानों, जांच सुविधाओं आदि के उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं/कार्यक्रम (कुल केन्द्रीय हिस्सा 90.00 करोड़ रुपए)	यह स्कीम पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए विशेष परियोजना/कार्यक्रम हेतु राज्यों को सहायता देने के लिए है।
9.8	वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1000.00	राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित कार्य शुरू किए जाने के लिए 28.57 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्रति जिला की दर से 3 वर्ष तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को अग्रिम धनराशि प्रदान की जाएगी।	यह स्कीम 7 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों में स्कूल भवनों, आंगवाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जलापूर्ति, ग्राम संड़कों, स्कूलों में फर्नीचर आदि जैसी सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करेगी। किसी विकास स्कीम के अंतर्गत न शामिल आपाद स्वरूप के महत्वपूर्ण अंतर को पूरा किया जाएगा।
9.9	ई-कारावास का कार्यान्वयन	14.50	ई-कारावास परियोजना का विकास, आईसीजेएस-ई-कारावास में सम्मिलित किया जाना है और ई-कारावास परियोजना में कुछ	इस परियोजना का उद्देश्य एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कैदियों का डाटा (आरोप सिद्ध, अंडर

			सामान्य सुविधाएं प्रदान की जानी है। 10-15 राज्यों के कारावास शामिल किए जाने की संभावना है।	ट्रायल कैदियों, निरोध-मुक्त कैदी आदि) की उपलब्धता एवं डिजिटीकरण सहित देश में सभी कारावासों का कंप्यूटीकरण करना है और यह केन्द्र और राज्य सरकारों के निर्दिष्ट अधिकारियों के लिए उपलब्ध होगा।
9.10	एसआरई जम्मू एवं कश्मीर - सुरक्षा माहौल	25.00	चिकित्सा शिविरों, सफाई अभियानों, खेलकूदों के आयोजन, बच्चों को अध्ययन सामग्री के वितरण, स्कूल भवनों, सड़कों, पूलों की छोटी-मोटी मरम्मत जैसे विभिन्न कल्याण एवं विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।	इस स्कीम से मल्टी-मीडिया के माध्यम से लोगों में सरकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा जिससे देश में स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। यह स्कीम आम जनता में सशस्त्र बलों की छवि को बढ़ावा देने में मदद करेगी तथा स्थानीय जनता को विश्वास में लेने में भी मदद करेगी जब उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवाद/आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है।
9.11	सिविक कार्य योजना एवं मीडिया योजना-एलडब्ल्यूई	27.50		
9.12	एलडब्ल्यूई प्रबंधन के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	22.50	एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में अवसंरचना मजबूत होगी।	सीएपीएफ सुरक्षा कार्मिकों की प्रचालन क्षमता और कल्याण में वृद्धि होगी।
10	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	770.97	सीमा क्षेत्रों और गांवों का विकास	यह स्कीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष विकास जरूरतों को पूरा करेगी और सीमा पर बसी आबादी में सुरक्षा और समृद्धि की भावना को बढ़ावा देगी।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 56: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम**			
मेट्रो रेल परियोजनाएं				
1	शहरी परिवहन जिसमें मेट्रो परियोजनाएं, यूटी प्लानिंग स्कीम और क्षमता वर्धन शामिल हैं	• इक्विटी- 2341.00 करोड़ रुपए • अधीनस्थ ऋण(एसडी)- 1550.00 करोड़ रुपए • दी गई सहायता (पीटीए)- 10373.60 करोड़ रुपए • अनुदान- 50.00 करोड़ रुपए • अन्य-685.40 करोड़ रुपए कुल: 15000.00 करोड़ रुपए	1. वर्ष 2018-19 के दौरान जनता के लिए अनुमानत: 190 कि.मी. मेट्रो रेल नेटवर्क शुरू किए जाना प्रस्तावित है। कि.मी. में ब्योरा निम्नानुसार है- • दिल्ली मेट्रो: 114 • चेन्नै मेट्रो: 15.5 • बैंगलोर मेट्रो: 12.80 • अहमदाबाद मेट्रो: 6.3 • नागपुर मेट्रो: 11.7 • नोएडा-ग्रेटरनोएडा मेट्रो: 29.70 योग: 190 कि.मी.	• व्यक्तिगत मोटर वाहनों को छोड़ सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने से ट्रैफिक की भीड़-भाड़ और प्रदूषण में कमी • मेट्रो कॉरीडोर से यात्रियों के आने-जाने के समय में कमी • मोटर वाहनों की ईंधन खपत में कमी
क)	दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन		2. शेष 342 कि.मी. के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग आदि विभिन्न कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जिनका ब्योरा निम्नवत् है: • दिल्ली मेट्रो के चरण-3 के तहत अतिरिक्त कारीडोर का कार्य पूर्ण • चेन्नै मेट्रो के एलीवेटेड वायाडक्ट, स्टेशन और डिपो का कार्य पूर्ण • बंगलोर मेट्रो के सभी 4 विस्तारों में फेज-2 सिविल कार्य शुरू • अहमदाबाद मेट्रो में जांच ट्रैक का कार्य शुरू	
ख)	चेन्नै मेट्रो रेल कार्पोरेशन			
ग)	बंगलोर मेट्रो रेल कार्पोरेशन			
घ)	अहमदाबाद मेट्रो रेल कार्पोरेशन			
ड़)	नागपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन			
च)	मुम्बई मेट्रो रेल कार्पोरेशन			
छ)	कोच्चि मेट्रो रेल कार्पोरेशन			

ज)	लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन		• नागपुर मेट्रो में 2500 पायर्स, 400 गर्डर्स, 3 स्टेशन बिल्डिंग और एक डिपो का कार्य पूर्ण • नागपुर मेट्रो में वाया डक्ट निर्माण, रोलिंग स्टॉक की जांच और उसकी शुरूआत • मुम्बई मेट्रो में भूमिगत पैकेजेज का सिविल निमार्ण कार्य और ट्रैक वर्क, पावर सप्लाई और ओएचई सिस्टम्स, रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग तथा टेलीकम्युनिकेशंस व अन्य सिस्टम्स के कार्य • लखनऊ मेट्रो के भूमिगत पैकेज का कार्य पूर्ण • पुणे मेट्रो में सिविल निर्माण कार्य	
ख. केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम				
1.	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	2500.00	• ओडीएफ कस्बों की सं.-2000 • संचयी (2018-19 तक)-3494 ओडीएफ कस्बे • कंपोस्ट उत्पादन हेतु अपशिष्ट 7 लाख मीट्रिक टन • कंपोस्ट उत्पादन हेतु संचयी अपशिष्ट-20.11 लाख मीट्रिक टन • ऊर्जा उत्पादन हेतु अपशिष्ट-100 मेगावाट • ऊर्जा उत्पादन हेतु संचयी अपशिष्ट-188.42 मेगावाट • शतप्रतिशत घर-घर जाकर कलेक्शन के साथ वार्डों का प्रतिशत- 17%(14042 वार्ड्स) • शतप्रतिशत घर-घर जाकर कलेक्शन के साथ वार्डों का संचयी प्रतिशत- 80%(66082 वार्ड्स) •	• स्वच्छता में सुधार और अतिसार और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज की घटनाओं में कमी • 02 अक्तूबर, 2019 तक लक्ष्य • 4041 कस्बे खुले शौच से मुक्त • कुल कंपोस्ट उत्पादन-54 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष • ऊर्जा हेतु अपशिष्ट- 511 मेगावाट • कुल वार्ड्स- 82602 अर्थात शतप्रतिशत घर-घर जाकर कलेक्शन वाले शतप्रतिशत वार्ड्स
2.	स्मार्ट सिटी मिशन	6169.00	10 स्मार्ट शहरों में एसपीवी बनाना	100 स्मार्ट शहरों द्वारा अपनाई जा रही विशिष्ट विकास की तर्ज पर आधारित स्मार्ट शहरों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार
			स्मार्ट रोड, स्ट्रीट रिडिजाइन और स्मार्ट पार्किंग- 115 परियोजनाएं 60 शहरों में कार्यान्वित की जाएंगी	
			डिजिटल इंटरवेंशन सहित एकीकृत कमांड और कंट्रोल केन्द्र-60 परियोजनाएं 60 शहरों में कार्यान्वित की जाएंगी	
			विरासत स्थलों सहित सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास और उनका पुनरूद्धार-85 परियोजनाएं 60 शहरों में कार्यान्वित	

			की जाएंगी जलाशयों का पुनरूद्धार, रीवरफ्रंट का विकास- 61 परियोजनाएं 55 शहरों में कार्यान्वित की जाएंगी	
3.	पुनरूद्धार और शहरी बदलाव हेतु अटल मिशन	6000.00	• हरित स्थलों और पार्कों की 700 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण • जल आपूर्ति की 50 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण • सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट की 15 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण • स्टार्म वाटर ड्रिनेज की 15 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण • नॉन-मोटराइज्ड शहरी परिवहन की 45 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण • सभी 500 मिशन शहरों के लिए सुधार एजेंडा की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन ताकि 600 करोड़ रुपए के 10 प्रतिशत सुधार प्रोत्साहन हेतु विजेता की पहचान की जा सके • परियोजनाओं का कार्यान्वयन और 4,800 करोड़ रुपए की किस्त जारी करना • 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 500 मिशन शहरों में क्षमता वर्धन कार्यक्रम के तहत 5000 कार्मिकों (चयनित और आधिकारिक) को प्रशिक्षण	• सभी मिशन शहरों में 2020 तक पानी की आपूर्ति करना • मिशन शहरों में सीवरेज और सेप्टेज सुविधाओं में पर्याप्त सुधार • मिशन शहरों में शहरी इलाकों में बाढ़ की घटनाओं में कमी • हरित स्थलों में सुधार और पार्कों की व्यवस्था से मिशन शहरों में सुख-सुविधाओं में बढ़ोत्तरी
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [आईएसएसआर, एएचपी तथा बीएलसी घटक]	4514.92	• राज्यों द्वारा स्वीकृत 30 लाख घरों को केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति • राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 21 लाख घरों का कार्य पूर्ण • 75% घरों में लोग रह रहे हैं	• सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में शहरी गरीबों तक मिशन की पहुंच • पर्याप्त मूल सेवाओं और अवसंरचना सहित अपने स्वामित्व वाली पक्की आवास इकाईयां प्रदान करके स्लम के पुनर्वास सहित शहरी गरीब के जीवन स्तर में सुधार • संगत सतत विकास के लक्ष्य हासिल करना • महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए लोगों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान में सुधार

	प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत ऋण आधारित राजसहायता योजना	1900.00	• लगभग 1 लाख ईडब्ल्यूएस और एलआईजी तथा मध्यम आय वर्ग के लाभार्थियों को गृह ऋण राजसहायता का वितरण	• शहरी गरीबों, निम्न आय श्रेणी और मध्यम आय श्रेणी के लोगों के लिए संस्थागत ऋण सुविधा • आवास वित्त में आपूर्ति और मांग के बीच अंतर में काफी कमी • आवास वित्त में वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना
	प्रधानमंत्री आवास योजना क्षमता वर्धन आईईसी और प्रौद्योगिकी उप मिशन सहित एएण्डओई	59.00	• 30 कार्यशालाएं (राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/ राज्य/शहरी स्तर पर) • 3 नई प्रौद्योगिकियों के लिए एसओआर की तैयारी • विश्व निर्माण चुनौती जैसी प्रौद्यागिकी उप मिशन का वित्त पोषण	• राज्य और शहर स्तर पर जागरूकता/क्षमता निर्माण • कौशल विकास तथा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूगता बढ़ाना • मिशन की गतिविधियों को कार्यानवित करने के लिए शहरों/शहरों के क्लस्टर में विशेषज्ञों के तकनीकी पूल का सृजन • स्टेकहोल्डर के रूप में नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी • जल्दी से बनने वाले, कम कीमत वाले और स्थायी घरों के निर्माण के लिए वैश्विक विशेषज्ञता के साथ नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को मुख्य धारा में शामिल करना
5.	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	310.00	• 30,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन • 21,000 स्वयं सहायता समूहों को रिवोल्विंग फंड जारी करना • 25,000 शहरी गरीबों को सूक्ष्म उद्यम (व्यक्तिगत और समूह) स्थापित करने के लिए सहायता • 1,50,000 शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देना • 40 आश्रय स्थलों का संचालन • 100 शहरों में गली विक्रेता सर्वेक्षण पूरा करना • विगत की देयताओं के लिए 12 करोड़ रुपए	• आधार रेखा के मुकाबले एचएच आय में वृद्धि, बैंक ऋण तक अधिक पहुंच, स्वयं सहायता समूहों का वित्तीय समावेशन, आजीविका विविधीकरण • कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के माध्यम से रोजगार में वृद्धि

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 57: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें				
1.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (एकीकृत)	4213.00	• 4.5 लाख अध्यापकों और मुख्य अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण • आईसीटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए 1500 नए विद्यालय • 600 नए माध्यमिक विद्यालय • लड़कियों के 100 नए छात्रावास • आईईडीएसएस: विशेष जरूरतों वाले सभी बच्चों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है • व्यावसायिक शिक्षा: 1000 नए स्कूलों को शुरू किया जाना है	शिक्षा और शिक्षण परिणामों की गुणता में सुधार; माध्यमिक विद्यालयों में अधिक नामांकन; प्राथमिक स्तर के बाद विशेष रूप से लड़कियों और विशेष जरूरतों वालें बच्चों के लिए स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट; स्कूलों में व्यावसायिक कौशल की व्यवस्था
2.	मध्याह्न भोजन	10500.00	9.83 करोड़ बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन का प्रावधान	मध्याह्न भोजन स्कीम की बढ़ी हुई गुणता और व्याप्ति और पूरक भोजन के माध्यम से बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार
3	सर्व शिक्षा अभियान	26128.81	• स्कूलों की बेहतर उपलब्धता और पहुंच - 96.5% • मुफ्त किताबों और वर्दी सहित निशुल्क शिक्षा का प्रावधान - - 8.22 करोड़ पाठ्य पुस्तकों • योग्य शिक्षकों (स्थायी और संविदात्मक) की भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा - 100% • अभिनिर्धारित सीडब्लूएसएन और वंचित वर्ग (नामांकन एवं गुणात्मक शिक्षा) का समावेश - 75% • तैयार और अनुमोदित की गई राज्य योजना और जिला वार्षिक कार्य योजना - 100% • स्कूल के बुनियादी ढांचे का रखरखाव	बेहतर शिक्षण परिणाम, कक्षाओं में बेहतर छात्र-अध्यापक अनुपात, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की कम संख्या , उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अधिक दाखिले।

4.	साक्षर भारत	320.00	• 1 करोड़ गैर-साक्षरों को मूलभूत साक्षरता	गैर-साक्षरों को मूलभूत साक्षरता का अधिकाधिक प्रावधान
5.	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	480.00	• माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थानिक क्षमता का विस्तार करना -4.5 लाख • डाईट/सीटीई/आईएएसई/एससीईआरटी परियोजनाओं जिन्हें स्वीकृत तो किया गया है लेकिन पूरा नहीं किया गया है, को शीघ्रता से पूरा करने के लिए प्रधान अध्यापकों सहित शैक्षिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण - कुल प्रधान अध्यापकों का 25% • डाईट, सीटीई और स्वीकृत आईएएसई (और सुदृढ की गई एससीईआरटी) को इष्टतम रूप से कार्यात्मक और प्रचालात्मक बनाना- कुल 864 टीईआई • नई डाईट/सीटीई/आईएएसई/ एससीईआरटी परियोजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन - 1480	अध्यापक शिक्षा संस्थाओं (डाईट/सीटीई/आईएएसई/एससीईआरटी) के विभिन्न कार्यकलापों की समग्र गुणता में सुधार और उनकी कार्यप्रणाली को सुदृढ बनाना
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमें				
6.	राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम	299.74	कक्षा IX के मेधावी छात्रों (नए+नवीकरण) को लगभग 2.70 लाख छात्रवृत्तियां आबंटित करना और पिछले शैक्षिक वर्षों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों का नवीकरण	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों की माध्यमिक स्तर तक निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करना और उनके स्कूल छोड़ने की दर में कमी।
7.	माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिका छात्र को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना	255.90	गत वर्षों के बैकलॉग को कवर करने के लिए 8.50 लाख लड़कियां कवर करना	समाज के कमजोर वर्गों की लड़कियों के माध्यमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाना और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में कमी

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19
मांग सं. 58: उच्चतर शिक्षा और साक्षरता विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें				
1	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	1400.00	महत्वपूर्ण निर्गम/प्रदेय सेवाओं में शामिल है: • विश्वविद्यालयों के दो स्वायत्त महाविद्यालयों का उन्नयन, और महाविद्यालयों को जोड़कर दो विश्वविद्यालयों का सृजन • शैक्षिक प्रशासकों के नेतृत्व विकास द्वारा संकाय सुधार • 115 विश्वविद्यालयों और 350 महाविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान • 30 नए मॉडल डिग्री महाविद्यालय, और 35 डिग्री महाविद्यालयों का मॉडल डिग्री महाविद्यालयों में उन्नयन • नए व्यावसायिक महाविद्यालयों की स्थापना • अनुसंधान और साझा नवाचार एवं गुणता सुधार के लिए 20 राज्यों को अनुदान • अनुमोदित/वित्तपोषित की जाने वाली राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाएं-15 • पीएबी अनुमोदनों के अनुसार एसएचईसी को दिए जाने वाले अनुदान-2500 करोड़ रुपए • रूसा के वेब पोर्टल पर वास्तविक समय आधार पर निगरानी की जाने वाली रूसा द्वारा समर्थित संस्थाओं की सभी परियोजनाएं	अधिकाधिक पहुँच-देश भर में उच्चतर शिक्षा में छात्रों के नामांकन में वृद्धि-27.50% ; • अजा और अजजा में क्रमश: 22% और 20% नामांकन में वृद्धि; • बेहतर गुणात्मक शिक्षा - भर्ती किए जाने वाले अध्यापकों की संख्या में वृद्धि-20% ; • संकाय/अध्यापकों/प्रशासकों को दिया जाने वाला पेशेवर विकास प्रशिक्षण (आवश्यकता आधारित); • रूसा द्वारा समर्थित संस्थाओं से पीएचडी पूरी करने वाले छात्रों की संख्या -70000; • अधिकाधिक अनुसंधान एवं नवाचार सुविधाएं और पाठ्यक्रम • छात्रों/अध्यापकों द्वारा प्रति विश्वविद्यालय 75 पेपर पीयर रिव्यू जर्नल में प्रकाशित की जाएंगी; • रोजगार अवसरों में वृद्धि।
2	गारंटी फंड्स के लिए ब्याज राजसहायता और अंशदान	2150.00	• ऋण स्थगन अवधि अर्थात् पाठ्यक्रम की अवधि और एक वर्ष के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर पूर्ण ब्याज राजसहायता प्रदान करना-330000 छात्रों को इस ऋण का लाभ मिलेगा;	• सामर्थ्य को बढ़ाकर देश भर की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि

			• गारंटी दिए जाने वाले खातों की कुल संख्या- 1.65 लाख	
3	महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	340.00	• विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए विचार के जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या-82,000 छात्र; • वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जारी की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या-60,000 नई+73000 नवीनीकरण =133000 छात्रवृत्तियां; • छात्रवृत्तियों के लिए एआईसीटीई पोर्टल/काउंसिलिंग के माध्यम से जम्मू और कश्मीर से चयनित किए जाने वाले छात्र - 5000 नए + 8450 नवाचार =13450	• निम्न आय वालों परिवारों से उत्कृष्ट छात्रों जो उच्चतर शिक्षा अध्ययन सफलतापूर्वक प्राप्त कर रहे हैं, के नामांकन में सुधार; • जम्मू और कश्मीर से छात्रों की संख्या में वृद्धि जो राज्य के बाहर उच्चतर अध्ययन प्राप्त कर पाएंगे।
4	भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार कार्यक्रम	275.00	• निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले संस्थानों की संख्या -75%; • परियोजना में प्रतिभागिता के लिए समर्थ तंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने वाले प्रमुख राज्यों में करने वाले इंजीनियरी शिक्षा संस्थानों की संख्या-87; • नए रूपांकित अनुसंधान- हब संबंधी कार्यकलापों में भाग लेने वाले संबद्ध संस्थान -75; • सब्जेक्ट डोमेन, अध्यापन अथवा प्रतिभागी संस्थानों के प्रबंधन में प्रशिक्षित की जाने वाली संकाय-2500; • कार्यक्रम में संस्थाओं की प्रतिभागिता-175 • अंडरग्रेजुएट इंजीनियरी छात्रों की प्रतिभागी संस्थानों में प्रथम वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने की ट्रांजिशन दर- 55% प्रमुख राज्य, 75% गैर-प्रमुख राज्य;	• छात्र अधिगम परिणामों और नियोजनीयता में वृद्धि • पिछली परीक्षाओं में छात्रों के औसत अंकों में वृद्धि ; • अनुसंधान एवं संकाय को सुदृढ़ बनाकर इंजीनियरी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणता में वृद्धि करना • पीएचडी छात्रों की संख्या में वृद्धि; • फेकल्टी पोजिशन की संख्या को स्वीकृत संख्याबल तक बढ़ाना • विदेशी सहातयताप्राप्त परियोजनाओं/ परामर्शी कार्यों में वृद्धि करना • अनुसंधान प्रकाशनों में वृद्धि।
5	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए)	2750.00	• अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य अवसंरचना के लिए वित्तपोषित की जानी वाली शैक्षिक संस्थाएं -6 करोड़; • वितरित ऋण राशि - 1992 करोड़ रुपए	• अवसंरचना विकास के लिए प्रत्यक्ष सरकार निवेश में कटौती • केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं से उनकी रैंकिंग सुधरेगी।
6	ई-शोध-सिंधु	180.00	• ई-जर्नल और अन्य डाटाबेस को सब्सक्राइब किया जाएगा - 7980	• वर्तमान और अभिलेखीय पत्रिकाओं तथा प्रकाशकों

			• ई-शोध-सिंधु सेवाओं को सब्सक्राइब करने वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों की संख्या-2867	से विभिन्न विषयों में ग्रंथसूची, उद्धरण और तथ्यात्मक डेटाबेस के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों/सदस्यों आदि को पहुंच प्रदान करना
7	आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	150.00	• डीटीएच के लिए सृजित नई विषय-वस्तु में शामिल किए जाने वाले विषय -4800; • इंटरनेट/एनकेएन/वाई-फाई से जोड़े जाने वाले संस्थान-350; • एईसीटी परियोजनाओं से लाभ लेने के लिए संस्थानों की संख्या :- • एनकेएन / वाईफ़ाई-350 • ई-यंत्र -300 • एफओएसएसई -100 • वर्चुअल लैब्स -75	• डीटीएच के लिए उत्पादित ताजा सामग्री में वृद्धि ; • एनडीएल और उपयोग में संसाधनों में वृद्धि;
8	एनडीएल और उपयोग में संसाधनों में वृद्धि	120.00	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्कूलों की स्थापना-7; पाठ्यक्रम और अध्यापन के लिए उत्कृष्टता के केंद्रों की स्थापना जिसमें सीओएसएमई-6, टीएलसी-3 और एफडीसी -3 शामिल हैं; शिक्षा/उच्चतर शिक्षा अकादमी के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना।	इन-सर्विस शिक्षकों को योजना के तहत स्थापित सीओई और अन्य संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण/व्यावसायिक विकास कार्यक्रम करना होगा; शिक्षक शैक्षणिक और शिक्षण सीखने के तरीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे;
9	प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	125.00	वजीफे के लिए अभिनिर्धारित किए जाने वाले ग्रेजुएट और तकनीशियनों (डिप्लोमा धारक) की संख्या -50,000	ग्रेजुएट और तकनीशियनों को व्यावहारिक ज्ञान और कार्य के क्षेत्र में अपेक्षित कौशलों से सुसज्जित किया जाएगा।
10	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्टार्ट अप इंडिया इमिटेवेटिव	84.23	आईआईटी में 6 नए अनुसंधान पार्क और आईआईएस, बैंगलोर में 1 नया अनुसंधान पार्क स्थापित किया जाना है ।	उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत किया जाएगा, स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, अधिक पेटेंट पंजीकृत, सम्मानित और व्यावसायीकृत किए जाएंगे ।
11	इम्प्रिंट रिसर्च इनिशिएटिव का कार्यान्वयन (रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को प्रभावित करते हुए)	102.00	कार्यकलाप के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के लिए 142 अनुसंधान परियोजनाएं; इम्प्रिंट-II के तहत आमंत्रित किए जाने के लिए 400 नए प्रस्ताव	लोगों के लाभ के लिए प्रमुख संस्थानों में सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान और इंजीनियरिंग चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए अनुसंधान परियोजनाएं/पहल प्रारंभ की जाएंगी।
12	प्रधान मंत्री शोध फैलोशिप	75.00	प्रथम और दूसरे वर्ष के लिए 70,000 रुपए, तीसरे वर्ष के लिए 75,000/-रुपए और चौथे और पांचवे	आईआईटी में पीएचडी करने के लिए आईआईटी छात्रों को

			वर्ष के लिए 80,000/-रुपए की छात्रवृत्तियों के माध्यम से 10,000 शोध फैलोशिप की सहायता दी जानी है।	आकर्षित करना। भविष्य में सीएफटीआई के लिए गुणात्मक संकाय उपलबध कराना और शिक्षण स्टाफ की कमी पर ध्यान देना।
13	आभासी कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसीएस) की स्थापना	90.00	प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम-2500; ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत किए जाने वाले छात्र - 22 लाख	इससे माध्यमिक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नि: शुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने में शिक्षा के तीन शाश्वत सिद्धांतों अर्थात् पहुंच, समानता एवं गुणता को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
14	उच्चतर अविष्कार अभियान	95.00	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छह अभिनिर्धारित डोमेन क्षेत्रों अनुमोदित और प्रारंभ किए गए शोध -65 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाना है	नवाचार समाधानों को बढ़ावा और विस्तार
15	विश्वस्तरीय संस्थाएं	250.00	विश्वस्तरीय संस्थाएं बनने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए अभिनिर्धारित किए जाने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं की संख्या - 10; नियामक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अभिनिर्धारित किए जाने हेतु निजी संस्थाओं की संख्या - 10;	घरेलु छात्रों को एक वहनीय दर देश के अंदर विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना। चुनिंदा भारतीय संस्थाओं की विश्व रैंकिंग में में सुधार।
16	सामुदायिक महाविद्यालयों सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता	40.00	सामुदायिक महाविद्यालयों की स्थापना -74; 50 मेजबान संस्थाओं अर्थात् महाविद्यालयों/पॉलीटेक्निक की पहचान; 17 कौशल प्रशिक्षण क्षेत्रों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना; सामुदायिक कॉलेज योजना के क्रियान्वयन में अंतिम महत्वपूर्ण भूमिका वाले हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा- 5 उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ-साथ इन प्रमाणित कौशल विकास पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले छात्रों की संख्या - 4778;	इससे उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की नियोजनीयता बढ़ेगी।
17	एम टेक प्रोग्राम टीचिंग असिस्टेंटशिप	35.00	आईएटी/आईआईएससी में एम.टेक या समकक्ष कार्यक्रम में गैट परीक्षा के माध्यम से दाखिल शीर्ष 2000 छात्रों को 25,000 / - रूपए प्रतिमाह की बढ़ी हुई छात्रवृत्ति दी जाएगी।	एम.टेक में छात्रों के प्रतिधारण में वृद्धि होगी। एम.टेक छात्रों के पास शिक्षण अनुभव होगा। इससे भविष्य में उन्हें संकाय के रूप में तैयार करने में मदद मिलेगी।
18	राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल	32.00	नियोजित डिजाइन नवाचार केन्द्रों की संख्या - 3; नामांकित किए जाने वाले नए छात्र- 9900 50 पेटेंट फाइल किए जाएंगे और 200 अभिनव उत्पादों को वितरित किया जाएगा।	देश के ग्रामीण हिस्से के लिए समाज हेतु लागत किफायती समाधानों, उत्पादों के वितरण का प्रावधान; इससे देश में डिजाइन शिक्षा और नवाचार की पहुंच और बढ़े हुए मानकों में वृद्धि होगी। फाइल किए जाने वाले पेटेंट और वितरित किए जाने वाले उत्पादों में वृद्धि।
19	ग्लोबल इनिशिएटिव	30.00	मेजबान संस्थाओं के रूप में अभिनिर्धारित और	अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान /

	फॉर शैक्षणिक नेटवर्क (जीआईएएन)		अनुमोदित की जाने वाली उच्चतर शिक्षा संस्थाएं -190; व्याख्यान और पाठ्यक्रम देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले विदेशी विशेषज्ञ -500	उद्योग उन्मुखी अल्पकालिक अवधि पाठ्यक्रमों का विकास और अन्य लोगों के लाभ के लिए 100 पाठ्क्रमों को डिजीटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना। ज्ञान पाठ्यक्रमों भाग लेकर 10000 छात्र लाभान्वित होंगे।
20	प्रधान मंत्री बालिका छात्रावास	30.00	जम्मू-कश्मीर में सात बालिका छात्रावास का निर्माण अर्थात् जम्मू क्षेत्र में 3, कश्मीर क्षेत्र में 3 और लद्दाख क्षेत्र में 1	जम्मू-कश्मीर में संबंधित क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा में छात्राओं के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि।
21	उन्नत भारत अभियान	20.00	3000 उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अधिकतम 15000 गांवों से जोड़ा जाएगा; संस्थाओं में यूबीए प्रकोष्ठों की स्थापना-3000; अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के समह का अंगीकरण -6000 अध्ययन की जाने वाली ग्राम पंचायत योजनाएं और दिए जाने वाले इन्पुट; संस्थान के स्तर पर चयनित नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण -2500 ग्रामीण समस्याओं के लिए प्रदान किए जाने वाले 250 तकनीकी और 1000 सामाजिक पुनईजीनियरी समाधान; प्रत्येक तिमाही में एक बार संस्था/जिला/राज्य सरकार स्तर पर तैयार की जाने वाली निगरानी रिपोर्टों की संख्या -1250; ऑनलाइन यूबीए पार्टल पर पंजीकृत किए जाने वाले संस्थानों की संख्या -3,000 ग्रामीण भारत में समस्याओं के समाधान करने के लिए प्रदान किए जाने वाले व्यावहारिक एवं स्थाई समाधानों की संख्या -2500;	ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का संस्थानिक क्षमता निर्माण, प्रोद्योगिकी प्रयोग के माध्यम से ग्रामीण भारत में मुख्य समस्याओं पर ध्यान देना; जल एवं मृदा जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों, कृषि एवं संबंधित उत्पादन जैसे आर्थिक कार्यकलापों, अथवा आवास, सड़क, ऊर्जा जैसे शिल्प एवं कला, अवसंरचना के क्षेत्रों में हस्ताक्षेपों के तकनीकी डिजाइन को सुदृढ़ बनाना। इससे ज्ञान इन्पुट का योजना एवं कार्यान्वयन स्तरों में समावेश होगा।
22	फ्रंटियर एरिया में प्रशिक्षण और अनुसंधान	15.00	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के फ्रंटियर एरिया में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना -17; आयोजित की जाने वाली संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और आईईसी की संख्या- 20; राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप नई एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, बहुअयामी अनुवाद संबंधी अनुसंधान पर ध्यान दिया जाएगा।	इन केंद्रों से रिसर्च आउटपुट के अनुप्रयोगों, सहयोगी और प्रायोजित शोध, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशनों तथा सम्मेलनों, पेटेंट, नवाचारों, व्यावसायीकृत उत्पादों और मास्टर एवं पीएचडी नामांकनों में आर एंड डी कल्चर को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
23	उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईपीएस)	16.00	उच्चतर शिक्षा की लगभग 52,599 संस्थाओं के लिए पोर्टल आधारित सर्वेक्षण "उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण" करने के लिए सामान्य केंद्रीकृत पोर्टल (aishe.nic.in) का नियमित अद्यतीकरण; उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण का समन्वय करने के लिए प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय में एआईएसएचई प्रकोष्ठ और सभी राज्यों में एआईएसएचई इकाई की स्थापना-27 राज्यीय एआईएसएचई इकाइयां स्थापित की जानी है।	देशभर में शिक्षा क्षेत्र और क्षेत्रीय भिन्नताओं के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए सामयिकता एवं गुणता के साथ आवधिक रूप से शिक्षा संख्यिकी सृजित करने के लिए शासकीय सांख्यिकीय प्रणाली को यह सर्वेक्षण सुदृढ़ बनाएगा। मंत्रालयों और अन्य सामग्री उत्पादक एजेंसियों के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत

			उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रशिक्षित नोडल अधिकारियों के माध्यम से डाटा को समय पर अपलोड करने और उसकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संस्थाओं के साथ समन्वय। 20 प्रशिक्षण और 10 क्षमता निर्माण कार्यशलाएं आयोजित की जानी हैं।	किया जाएगा। छात्रों को केंद्रीयकृत पोर्टल से लाभ होगा जो उन्हें उच्चतर शिक्षा संस्थाओं संबंधी अध्यतन सूचना उपलब्ध करा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में नीति निर्माण में सहायता।
24	हिमालयी अध्ययनों के कैंद्रीय विश्वविद्यालय सहित बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान विश्वविद्याल यों (सीयूएचएस) की स्थापना, मानविकी में उत्कृष्टता केंद्रों और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों का सृजन	10.00	हिमालयी अध्ययनों के कैंद्रीय विश्वविद्यालय सहित बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान विश्वविद्याल यों (सीयूएचएस) की स्थापना, मानविकी में उत्कृष्टता केंद्रों और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों का सृजन	विश्वविद्यालयों में बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
25	राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी	10.00	राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं, स्कूल शिक्षा बोर्डों आदि सहित विभिन्न अकादमिक संस्थाओं को सुविधा प्रदान करना -600 संस्थाओं को पंजीकृत किया जाना है; विभिन्न अकादमिक संस्थाओं को डिजीटल रूप से अकादमिक अवार्ड (डिग्री, मार्कशीट,प्रमाणपत्र आदि) जारी करने और स्टोर करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफोर्म उपलब्ध कराएगा-2,50,000छात्रों/संस्थाओं को पंजीकृत किया जाना है, 1,50,000 अकादमिक पुरस्कारों को राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी में शामिल किया जाएगा। 250 सत्यापन संस्थाओं को राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी में पंजीकृत किया जाएगा।	इससे एक सुविधाजनक परिवेश सृजित होगा जिससे अकादमिक संस्थाएं अकादमिक पुरस्कार ऑनलाइन जारी कर सकेंगे और कागजी प्रमाणपत्रों, डिग्रियों आदि को जारी करने में कमी आएगी; इससे अकादमिक पुरस्कारों का ऑनलाइन सत्यापन और अधिप्रमाणन के लिए एक विश्वसनीय, सुविधाजनक तंत्र सुनिश्चित किया जा सकेगा जिससे अकादमिक पुरस्कारों की जालसाजी जैसी कपटपूर्ण पद्धतियों में कमी आएगी।
26	नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)	3.00	एनआईआरएफ रैंकिंग में संस्थानों की प्रतिभागिता को बढ़ाना	• रैंकिंग मापदंडों के संबंध में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के समग्र कार्यनिष्पादन में वृद्धि • छात्रों/भर्तिकर्ताओं को श्रेष्ठ संस्थाओं का चयन करने में सहायता
27	उच्चतर शिक्षा में निशक्त व्यक्तियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल	2.00	50 पोलोटेक्नीक निशक्त छात्रों को शामिल करने के लिए धनराशि का उपयोग करेंगे	निशक्त अनुकूल विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर और कक्षाओं, प्रयोगशालाओं आदि का सृजन
28	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर	1.30	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों के भरे जाने वाले पदों की संख्या -7; अनुसंधान कार्य के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु योग्य पाए गए पात्र राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों के चयन के लिए प्राप्त आवेदन (विषयवार)-7 से 20; स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर -6;	विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने के लिए अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 59: सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	अनुमानित निर्गम 2018-19	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	किसान और अरूण प्रभा चैनल सहित प्रसार भारती को सहायता अनुदान	315.70	• अखिल भारतीय रेडियों और दूरदर्शन के प्रसारण नेटर्वक का आधुनिकीकरण और संवर्धन • विषय वस्तु विकास • असैनिक अवसंरचना का संवर्धन	• श्रोताओं और दर्शकों की संख्या में वृद्धि • बेहतर दर्शक के लिए टेलीकास्ट और ब्रोडकास्ट की गुणता में सुधार लाना
2	संचार विकास और सूचना का प्रचार प्रसार	182.00	• रेडियो स्पोट - 88,521 डिस्पले 2 बाह्य प्रचार-10,400 लाख डिस्पले • मुद्रित प्रचार-18 नौकरियां • प्रदर्शनियां-11,205 दिन	सूचना के व्यवस्थित प्रसार के माध्यम से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना
3	जन संचार सहित मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम	39.83	• मीडिया हब का सृजन • आईआईएमसी परिसरों की अवसंरचना में सुधार • आरएनआई के रिकार्ड का डिजिटलाईजेशन, • प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का डिजिटीकरण	• विभिन्न क्षेत्रों में आईआईएमसी के परिसर हैं जो छात्रों को अधिक शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देते हैं । • डीएवीपी द्वारा किए गए सभी ऑनलाइन संचालनों के लिए समस्तरीय और ऊर्ध्व एकीकरण • मीडिया के साथ बेहतर संयोजकता को समर्थ करने के लिए संचार अवसंरचना उन्नयन • लोगों के बीच डीपीडी की गुणता प्रकाशनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
4	फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम	44.20	• सीबीएफसी- ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रणाली www.ecinepramaan.com और सीबीएफसी की नई बेवसाइट का संचालन और रखरखाव • संस्थानों में असैनिक अवसंरचना का उन्नयन	• विनियामक अवसंरचना को मजबूत बनाना • छात्रों में बेहतर फिल्म-निर्माण की जानकारी -
5	राष्ट्रीय फिल्म हैरिटेज मिशन	57.78	• 225000 फिल्मों की रील संग्रहण का निवारक संरक्षण और सशर्त मूल्यांकन • 1086 लैंडमार्क फीचर फिल्मों और 1152 लघु फिल्मों की 2के/4के पिक्चर और ध्वनि की बहाली • बहाल की गई सामग्री के लिए अत्याधुनिक अभिलेखीय संरक्षण सुविधाओं का निर्माण	• 1200 फीचर फिल्मों, 1660 लघु फिल्मों, 1140 फीचर फिल्मों के इंटर-निगेटिव, 1164 लघु फिल्मों का 2के डिजिटीकरण • भावी पीढ़ियों के लिए भारतीय सीनेमा की संमृद्ध विरासत को बनाए रखना, संरक्षण, डिजिटकरण और बहाली के लिए
6	डेवलपमेंट कम्यूनीकेशन और फिल्मिक कंटेट का प्रचार	60.74	• भारत और विदेश में फिल्म फेस्टिवल संगठन • लघु फिल्मों का निर्माण, 12 फिल्मों की डबिंग, 10 फिल्मों को शीर्षक प्रदान करना • 8 फीचर फिल्मों और उत्तर पूर्व सहित • विभिन्न फॉर्मेट में फिल्मों को उनके अधिकारों तथा अन्य फिल्म संबंधी सहायक सामग्री का प्रापण	• भारतीय सिनेमा की विरासत को सुरक्षित रखना, अनुसंधान और बढ़ावा देना और उसे प्रदर्शित करना • क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करते हुए उत्कृष्ट फिल्मों का प्रचार और निर्माण करना

निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 60: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	4900.00	सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के प्रत्येक सदस्य के वेतन (15000/- रुपए तक) के 1.16% की दर से अंशदान देती है जिससे सदस्यों और उनके परिवार को पेंशन का भुगतान किया जाता है।	सदस्यों और उनके परिवार को पेंशन प्रदान किया जाना। जीवन प्रमाण पत्र का डिजिटीकरण।
2.	असमों में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	35.00	सरकार परिवार पेंशन के लिए 1.16% की दर से अंशदान देती है।	बागान कारगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ
3.	असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का सृजन और आधार से जुड़ी पहचान संख्या का आबंटन	50.00	2019-2020 तक असंगठित कामगारों को आधार से जुड़ी 100% आईडी प्रदान करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आईटी अवसंरचना का विकास	असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना
4.	असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना	50.00	2.5 करोड़ लाभार्थी शामिल किए जाने हैं	असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किया जाना
5.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिसमें स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिक को सहायता की प्रतिपूर्ति शामिल है	120.00	(i) विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में 45000 कामकाजी बच्चों का नया नामांकन प्राप्त करना (ii) 45000 बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जाना है।	बालश्रम और बंधुआ श्रम के प्रचलन में कमी
6.	श्रम कल्याण स्कीम	62.00	(i) 20000 कामगारों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी (ii) 16 लाख कामगारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं दी जानी हैं (iii) बीड़ी/गैर कोयला खान/सिने कामगारों के 4 लाख बच्चों को वित्तीय सहायता दी जानी है।	बीड़ी/गैर कोयला खान/सिने कामगारों की रहन-सहन दशा में सुधार लाना; उन्हें और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान किया जाना और उनके बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार लाना।
7.	श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली	45.00	सीपीआई (आईडब्ल्यू) सीपीआई (एएल/आरएल), मकान किराया सूचकांक, मजदूरी दर डाटा, अर्थव्यवस्था के गैर-फॉर्म क्षेत्र के चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में परिवर्तन संबंधी डाटा, श्रमिकों के भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यदशा संबंधी डाटा	ग्रामीण/शहरी भारत में रोजगार, मूल्यों, मजदूरी दरों संबंधी अद्यतन डाटा की उपलब्धता
8.	डीजीएमएस (एसएसआईडी) की प्रणाली और अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाना	13.00	(i) दुर्घटना रिपोर्टों की संख्या जिनका विश्लेषण किया जाना है- 80 रिपोर्टें (ii) जारी की जाने वाली चेतावनियों और परिपत्रों (सभी घातक दुर्घटना विश्लेषण आदि पर आधारित) की संख्या -25 (iii) खानों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में जारी किए जाने वाले, महानिदेशक के तकनीकी अनुदेशों और तकनीकी	जागरूकता, जानकारी उन्नयन और जोखिम संबंधी सूचना के प्रसार के माध्यम से खानों में कार्यदशाओं में सुधार करना

			परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मानकों/प्रोटोकॉल की संख्या -12 (iv) सुरक्षा प्रबंधन योजना की तैयारी के सहायतार्थ आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -24 (v) राज्य सरकारों की सहायता से छोटी खानों में सुरक्षा जागरूकता के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या - 24	
9.	डीजीफसली को सुदृढ़ किया जाना और कारखानों, पत्तनों और गोदियों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य	11.00	(i) सीएलआई मुम्बई में एकीकृत ज्ञान केन्द्र के निर्माण की शुरूआत । (ii) प्रयोगशालाओं/एसएचई केन्द्रों का उन्नयन - 2 (iii) आरएलआई चेन्नै में वैबिनर केन्द्र स्थापित किया जाना । (iv) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय स्तर पर की संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं आयोजित किया जाना। (v) अधिकारियों की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण -15 (vi) पत्तनों में निरीक्षण - 1500 (vii) लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। (viii) आरएलआई, शिलोंग के भवन निर्माण की शुरूआत।	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और पेशेवर व्यक्तियों का कौशल विकास। देश के उत्तरी भाग में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना। सुरक्षा प्रणालियों और रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्कृष्ट केन्द्र विकसित करना। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आधुनिक परीक्षण सुविधाओं के साथ व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय श्रम संस्थान की उपलब्धता।
10.	न्यायनिर्णयन तंत्र का सुदृढ़ीकरण और लोक अदालतों का आयोजन	10.00	केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पन्न औद्योगिक विवादों पर केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के माध्यम से शीघ्र न्यायनिर्णयन। 2017-18 के दौरान 1225 नए मामलों की तुलना में 1822 मामलों का निपटान किया।	औद्योगिक संबंधों में सुधार और श्रम शिकायतों का समाधान।
11.	बेहतर समाधन, निवारक मध्यस्थता, श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र, मुख्य श्रम आयुक्त	32.11	दावा मामले-5770 निरीक्षण- 33830 प्रशिक्षण-140 औद्योगिक विवाद-8070	औद्योगिक संबंधों में सुधार। केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों का निवारण और निपटान
12.	दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड (पहले सीबीडब्ल्यूई)	90.00	भिन्न-भिन्न वर्गों के 3.63 लाख कामगारों को प्रशिक्षण दिया जाना है	कार्यबल में जागरूकता उत्पन्न करना; कार्यक्रमों का मूल्यांकन
13.	वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान	15.35	22 अनुसंधान और 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं	कार्यबल में जागरूकता उत्पन्न करना; कार्यक्रमों का मूल्यांकन
केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1.	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	1652.09	नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से 5 लाख नौकरियों का सृजन किया जाना है।	नई नौकरियों का सृजन
2.	राष्ट्रीय करियर सेवा	109.80	997 रोजगार कार्यालयों को जोड़ना, जिला स्तर पर 1000 रोजगार मेले, राष्ट्रीय	नियोक्ता और रोजगार तलाशने वालों को जोड़ना

			करियर सेवा के बारे में 1000 रोजगार अधिकारियों को प्रशिक्षण	
3.	रोजगार प्रोन्नयन स्कीम	13.90	भर्ती-3200, मूल्यांकन-31000, पुनर्वास-11500	दिव्यांगजनों का प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर केन्द्र (पहले सीजीसी)	22.00	व्यावसायिक मार्गदर्शन- 140000, प्रतिस्पर्धी मार्गदर्शन- 11000, विशेष प्रशिक्षण- 1300, कंप्यूटर प्रशिक्षण-3900	सीमान्त वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करना

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19
मांग सं. 61 - विधि एवं न्याय मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय के मुकाबले में प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम	630.00	वर्ष 2018-19 के दौरान 600 न्यायालय कक्ष और 350 आवासीय इकाईयों का निर्माण शुरू किया जाना है।	राज्यों में न्यायिक अवसंरचना की उपलब्धता का सुदृढ़ीकरण जिससे वे न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द और दक्ष निपाट करने में सक्षम हो सकें।
2.	ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-II.	480.00	• शेष 3477 न्यायालयों के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर • 709 नए न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण • 1738 अपेक्षित न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण • न्यायालय परिसरों के लिए तकनीकी अवसंरचना: 3,304 न्यायालय परिसरों में प्रक्रिया सर्वर, 2,916 न्यायालय परिसरों की साइट तैयार करना • क्लाउड संयोजकता : सभी 20,000 न्यायालयों का क्लाउड संरचना में स्थानांतरण किया जाएगा • सभी 3500 न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन संयोजकता राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड से जोड़ी जाएगी। • 41 न्यायालय परिसरों में सौर ऊर्जा • साफ्टवेयर विकास : सीआईएस 3.0 की शुरूआत	जैसा कि पिछले कॉलम में उल्लेख किया गया है।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 64 : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्र क्षेत्र की स्कीम			
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और बीएफएल	1800.64	i) 88,000 परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी ii) 7.04 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा iii) जागरूकता शिविर, प्रदर्शिनियां, बैंकरों की बैठकें और प्रचार आदि	i) सतत् और स्थायी रोजगार का सृजन ii) पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित पिछड़े राज्यों में योजना का प्रदर्शन iii) ग्रामीण युवाओं का प्रवासन रोकना
2.	संशोधित बाजार विकास सहायता और खादी प्लाजा स्थापित करना	306.00	1500 खादी संस्थाओं को लाभ मिलेगा	i) खादी और खादी से संबंधित उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में सुधार ii) कारीगरों की आय बढ़ेगी।
		15.00	5 खादी प्लाजा स्थापित किए जाएंगे	
3.	ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना	410.50	4100 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ पहुंचेगा	लाभार्थी इकाईयों की उत्पादकता और उत्पाद गुणता में सुधार के साथ-साथ कुल बिक्री में वृद्धि
4.	कार्य निष्पादन और ऋण मूल्यांकन योजना	5.00	1600 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का मूल्यांकन किया जाएगा	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उच्च स्वीकृत सीमा तक ऋण सुविधा प्राप्त होगी। इससे उनकी उत्पादता बढ़ेगी और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादनों/सेवाओं के क्रेताओं में विश्वास की भावना पैदा होगी
5.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम	279.00	i) 10 सीएफसी प्रारंभ किए जाएंगे ii) 200 सूक्ष्म, लघु उद्यमों को लाभ पहुंचाना iii) 8 नए/ उन्नत औद्योगिक संपदा iv) 160 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ पहुंचेगा	औद्योगिक क्लस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता 2 वर्ष की अवधि में इकाईयों के उत्पादन, कुल बिक्री और लाभप्रदता में सुधार से बढ़ेगी।

6.	पूर्व में औजार कक्ष और तकनीकी संस्थाओं के रूप में पहचाने जाने वाले प्रौद्योगिकी केन्द्र	100.00	i)1,81,500 को प्रशिक्षित किया जाएगा ii)38,500 इकाईयों को सहायता प्रदान की जाएगी	i) प्रशिक्षित व्यक्तियों के उच्चतर नियोज्य कौशल से रोजगार संभावनाएं बढ़ेंगी। ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापार और तकनीकी परामर्श से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता बढ़ेगी।
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
7.	नवाचार, ग्रामीण और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना	232.00	i) 100 आजीविका बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। ii) 20 तकनीकी बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे।	नवाचार, उद्यमिता और कृषि उद्योग के प्रोन्नयन में मदद हो सकेगी।
8.	प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता	30.00	i) 9 प्रशिक्षण संस्थाओं, 3 राज्य स्तरीय ईडीआई को सहायता प्रदान की जाएगी ii) 8,000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा	प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नत क्षमता और भौतिक अवसंरचना से बेहतर कौशल
9.	पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना	125.00	60 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे	i) क्लस्टरों की सततता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। ii) पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों के क्लस्टरों का संगठन बनाना। iii) पारंपरिक उद्योगों के कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत रोजगार योग्य अवसर iv) कारीगरों की मजदूरी में वृद्धि
10.	ऋण गारंटी योजना	700.00	i) 5,08,010 ऋण प्रस्तावों को सहायता प्रदान की जाएगी ii) 55,950 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी अनुमोदित की जाएगी	सूक्ष्म और लघु उद्यमों की ऋण तक पहुंच बढ़ेगी
11.	शून्य दोष शून्य दुष्प्रभाव योजना	200.00	500 इकाईयों का पुन: आकलन और पुन: मूल्यांकन	कई इकाईयों का पुन: आकलन और पुन: मूल्यांकन करना
12.	कॉयर उद्यमी योजना	10.00	• 480 इकाईयां स्थापित की जाएंगी	i) सतत् और स्थायी रोजगार सृजन ii) पूर्वोत्तर सहित पिछड़े राज्यों में योजना का बेहतर प्रदर्शन iii) ग्रामीण युवाओं के प्रवास को रोकना

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 65: खान मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**एनईआर साहित वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
1.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	8.25	सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों आदि से परियोजना के प्रस्तावों की गहन समीक्षा परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा समिति के विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई। उपयुक्त परियोजनाएं स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार समूह द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।	देश में खनन की संवहनीय विकास क्षमताओं में वृद्धि करना।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 66: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	**केन्द्र प्रायोजित स्कीमें**			
	व्यापक कार्यक्रम			
क.1.	**शैक्षिक अधिकारिता**			
1	अल्पसंख्यक प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति	980.00	30 लाख छात्र	स्कूल जाने वाली बालिकाओं की नामांकन दर में वृद्धि। कक्षा दसवीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं में वृद्धि।
2	अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति	692.00	5.00 लाख छात्र	स्कूल जाने वाली छात्राओं की नामांकन दर में वृद्धि। कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं में वृद्धि।
3	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता - सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति - स्नातक और स्नातकोत्तर	522.00	60,000 छात्र	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों-स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रोंओं की संख्या में वृद्धि। ऐसे पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले छात्रों की संख्या संख्या। ऐसे पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाली छात्राओं की संख्या।
4	अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजना	74.00	12000 छात्र	कोचिंग पूरी कर रहे छात्राओं की संख्या। मेडिकल/इंजीनियरिंग/एमबीए के लिए योग्य छात्रों की संख्या में वृद्धि। सरकारी नौकरियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि।
5	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता	8.00	2000 छात्र	यूपीएससी, एसएससी और राज्य पीएससी द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनीत अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि। यूपीएससी, एसएससी और राज्य पीएससी द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित छात्राओं की संख्या में वृद्धि।
6	विदेश में पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी	24.00	400 छात्र	विदेश में पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि विदेश में पढ़ाई पूरी करने वाले छात्राओं की

				संख्या में वृद्धि
7	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	153.00	1000 छात्र	पीएचडी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि पीएचडी प्राप्त करने वाले छात्राओं की संख्या में वृद्धि
क.2.	**कौशल विकास**			
8	सीखो और कमाओ - कौशल विकास पहल	250.00	1,30,000 अल्पसंख्यक युवा	वेतन रोजगार में अल्पसंख्यक युवा की संख्या में वृद्धि और इस प्रकार अल्पसंख्यक के कामगार भागीदारी दर को बढ़ाना
9	विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद)	30.00	3800 अल्पसंख्यक युवा और 600 कलाकारों को शामिल करते हुए 4 हुनर हाट आयोजित करना	अल्पसंख्यक युवा के प्रशिक्षण से पारंपरिक शिल्प/कला को सुरक्षित रखना और उन्हें स्वनियोजित बनाना
10	नई मंजिल - एकीकृत शैक्षिक और आजीविका पहल	140.00	30,160 स्कूल छोड़ने वाले छात्र	स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को शिक्षा प्रणाली में वापिस लाना और फिर उन्हें सेवा योग्य बनाना
क.3.	**अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम**			
11	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	4.00	--	पारसी समुदाय की जन्म दर में प्रतिशत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर)
12	अल्पसंख्यक महिलाओं की नेतृत्व विकास योजना	15.00	50,000 अल्पसंख्यक महिलाएं	संवेदनशील और सशक्त महिलाओं की संख्या में वृद्धि और विभिन्न स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें समर्थ बनाना
13	हमारी धरोहर - अल्पसंख्यकों संबंधी संस्कृति और विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए	6.00	2 प्रदर्शनियां	अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्कृति और विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पूरे किए गए कार्यकलापों की मद-वार संख्या
14	अल्पसंख्यकों के लिए अनुसंधान/अध्ययन, विकासात्मक योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन सहित प्रचार-प्रसार	55.00	10 अनुसंधान अध्ययन और 20 कार्यशालाएं	पूरे किए गए अनुसंधानअध्ययन/मूल्यांकन और निष्कर्ष/सिफारिश अध्ययन और मूल्यांकन
क.4	**स्वायत्त निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को अनुदान**			
15	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता अनुदान	125.01	गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लिए 30.00 करोड़ रु.	अनुदान प्राप्त करने के पश्चात मूल शैक्षिक अवसंरचना और सुविधाओं वाली संस्थाओं की संख्या में वृद्धि अतिरिक्त शैक्षिक अवसंरचना के कारण सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के नामांकन में वृद्धि
16	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की इक्विटी में अंशदान	165.02	1.22 लाख लाभार्थियों को ऋण के रुप में 550 करोड़ रूपए का समवितरण	आवधिक ऋण लाभार्थी जिन्होंने पिछले 5 वर्ष और 6 माह के ऋण आवधिक अवधि में पूरा ऋण चुका दिया है।

17	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम कार्यक्रम में कार्यान्वयन के लिए लगी हुई राज्य मार्गदर्शी एजेंसियों को सहायता अनुदान	2.00	20 राज्य मार्गदर्शी एजेंसियों को वितीय सहायता	वसूली दर में वृद्धि एनपीए में कमी
18	रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्ड को सुदृढ़ बनाना/वक्फ को जीआईए	20.10	--	राज्य-वार और मद-वार वक्फ संपत्ति के रिकॉर्ड के डिजीटाइजेशन में वृद्धि
	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
19	अल्पसंख्यकों का विकास: अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	1320.00		• एमएसडीपी के तहत निर्मित स्कूल भवनों/महाविद्यालयों/अतिरिक्त कक्षाओं/छात्रावासों/शौचालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों/पेयजल सुविधाओं/इंदिरा आवास योजना इकाईयों की संख्या में वृद्धि और इनमें से क्रियाशील/प्रयोग में आने वाले • साक्षरता दर में सुधार - समग्र और महिला, कार्य भागीदारी दर-समग्र और महिला और पक्की दीवारों और सुरक्षित पेयजल तथा बिजली

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 67: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
I.	ग्रिड-इन्टरैक्टिव एवं वितरित नवीकरणीय पावर ग्रिड			
1.	पवन ऊर्जा	750.00	4000 मेगावाट (यह धनराशि जीबीआई स्कीम जिसे 1 अप्रैल, 2017 से बंद कर दिया गया है, की पिछली देयताओं के लिए है)	कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाकर 17% करना।
2.	पन बिजली	207.00	250 मेगावाट (देश में लघु पन बिजली उत्पादन क्षमता की शुरूआत)	
3.	जैव-विद्युत (यह योजना, जैविक विद्युत और चीनी मिलों में खोई के सह-उत्पादन तथा ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अपशिष्ट को बढ़ावा देने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए है)	25.00	370 मेगावाट (देश में ऑफ ग्रिड सहित जैव-विद्युत उत्पादन क्षमता की शुरूआत)	
4.	सौर ऊर्जा	2045.25	1000 मेगावाट (देश में सोलर रूफटॉप से 1000 मेगावाट सहित सोलर विद्युत उत्पादन क्षमता की शुरूआत)	
5.	ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोर	600.00	8 नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न कार्यान्वयन राज्यों में कुल मिलकार 3000 सर्किट किमी को चालू करना	8 नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा को इधर-उधर बिखरे नवीकरणीय उत्पादन स्थानों से ग्रहण करने के लिए लगभग 8553 सर्किट किमी ग्रिड लाइन का सृजन
6.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	7.25	निम्नलिखित दो परियोजनाओं को बढ़ावा देना- 1. ग्रामीण उपयोगी प्रयोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने की यूएनडीपी/जीईएफ परियोजना: यूएनडीएएफ राज्यों में दूरदराज के गांवों में गरीबों की आजीविका ऊर्जा तक पहुंच से जुड़े	34 सौर पार्कों का ग्रिड के साथ एकीकरण

			कार्यकलाप। 2. आईजीईएन- भारत-जर्मनी द्विपक्षीय कार्यक्रम तक पहुंच: ग्रामीण उद्यमों को खुशहाल बनाने तथा उन्हें बिजली और बिजली उत्पाद/सेवाएं उपलब्ध कराने के लए अनुकूल माहौल तैयार करने और बाजार की बंदिशें हटाने से जुड़े कार्यकलाप इस परियोजना का हिस्सा हैं। बिजली को सौर ऊर्जा पार्क से ग्रहण करने के लिए सहभाजी अवसंरचना का सृजन	
7.	ब्याज भुगतान और बांड पर व्यय जारी करना	128.00	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आईआरईडीए द्वारा जारी किए जाने वाले बांड के लिए ब्याज का भुगतान	
II.	ऑफ-ग्रिड/वितरित नवीकरणीय ऊर्जा			
8.	सौर ऊर्जा (निम्नलिखित उपकरणों को बढ़ावा दिया जाएगा - सौर स्ट्रीट लाइट, सौर गृह प्रकाश प्रणाली, सौर लालटेन, सौर पम्प इत्यादि। इसके अतिरिक्त सीएसटी प्रणालियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा)	848.50	सौर पीवी -200 एमडब्ल्यूपी सीएसटी - 20 एमडब्ल्यूईक्यू	ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए वितरण के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा का विकेन्द्रीकृत उत्पादन
9.	लघु पन विद्युत (पन मिल्स/ माइक्रो हाइडल)	11.50	500 की संख्या में	
10.	जैव विद्युत	23.00	(चूंकि जैव-ईंधन विद्युत/ खोई सह-उत्पादन और ऊर्जा हेतु अपशिष्ट की दोनों योजनाओं को तर्कसंगत बनाया जा रहा है, इसलिए ऑफ ग्रिड और ग्रिड दोनों योजनाओं के तहत 370 मेगावाट का कुल लक्ष्य कॉलम 3 में बताया गया है)	
11.	पवन विद्युत	7.50	लघु पवन ऊर्जा और हाइब्रिड प्रणालियों का कार्यक्रम इस वित्तीय वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। बजट केवल लंबित देयताओं को पूरा करने के लिए है।	
12.	बायोगैस कार्यक्रम (परिवार/समुदाय/संस्थागत प्रयोगों के लिए फैमिली टाइप बायोगैस संयंत्र और ऑफ ग्रिड बायोगैस परियोजनाएं)	135.00	एक लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित करना	एक लाख परिवारों/समुदायों/संस्थाओं के लिए भोजन पकाने के वैकल्पिक ईंधन का समाधान उपलब्ध होगा।

13.	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों (सौर शहरों के ग्रीन भवनों आदि के साथ-साथ राज्यों को सहायता, नवीकरणीय अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, कुकस्टोव आदि)	11.00	उपयुक्त संरचना के सृजन के लिए राज्यों को सहायता देना	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना और घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच
III.	अनुसंधान और विकास			
14.	अनुसंधान और विकास	94.00	अनुसंधान और विकास परियोजनाएं सतत् स्वरूप की होती हैं। 2018-19 के बाद भी जारी रहने की संभावना है। 2021 तक प्रत्येक वर्ष में भिन्न-भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में लगभग 15 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।	• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को सस्ता, आसान, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना • इस क्षेत्र को लागत के मामले में प्रतिस्पर्धी बनाना • नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों को प्रतिस्पर्धी बनाना • स्वदेशी तौर पर डिजाइन तैयार की गई और बनाई गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों का बाजार हिस्सा बढ़ाना • नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए मानक और गुणवत्ता नियंत्रण
IV.	**सहायक कार्यक्रम**			
15	निगरानी/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन	0.30	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मूल्यांकन और अन्य अध्ययन करना	
16	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	55.00	निवेश प्रोत्साहन सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सौर संबंध को सहायता आईएसए और अन्य विकासशील देशों में प्रायोगिक परियोजना व प्रशिक्षण कायक्रमों को सहायता	
17	मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण	60.00	20,000 सूर्यमित्रों का प्रशिक्षण, 800 एनआरई फैलोशिप, और अन्य विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। 10 संस्थानों की प्रयोगशालाओं का उन्नयन।	20,000 सूर्यमित्रों का प्रशिक्षण, 800 एनआरई फैलोशिप, और अन्य विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। 10 संस्थानों की प्रयोगशालाओं का उन्नयन।
18	नवीन और नवाचारी परियोजनाएं	0.20	नवाचार और उद्यमिता के लिए नवाचार, इन्क्यूबेशन और उद्यमिता पहल केन्द्र को सहायता/उनकी स्थापना	
19	सूचना, शिक्षा और संचार	15.00	नवीकरणीय अनुप्रयोगों का निरूपण, जनता और शैक्षिक संस्थानों को सूचना	लोगों में जागरूगता बढ़ाना
20	सूचना प्रौद्योगिकी/ई-शासन और अन्य पहल	0.10	कार्यालयों में ई-शासन अवसंरचना के सृजन और इसके संचालन तथा रखरखाव के लिए	

निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19				
मांग सं. 68 - पंचायती राज मंत्रालय				
				(करोड़ रुपए)
क्र. सं.	**स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कार्य शोध	3.00	•पीएसी द्वारा विषयों का अभिनिर्धारण और परियोजनाओं की संख्या। • अभिनिर्धारित विषयों पर अध्ययनों को मंजूरी। •चालू अध्ययनों को पूरा किया जाना।	• प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित हैं। • अध्ययनों का निर्णय करना। • चालू अध्ययनों को अंतिम रूप दिया जाना।
2	अंतर्राष्ट्रीय योगदान	0.**20**	इस स्कीम के अंतर्गत प्रदेय सेवाओं की मात्रा निर्धारित नहीं की जाती।	विकेन्द्रीयकरण, अंतरण और स्थानीय गवर्नेंस में दूसरे राष्ट्रमंडल देशों के साथ विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान में योगदान देना और जानकारी बढ़ाना।
3	मीडिया और प्रचार	15.00	• राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 का आयोजन • साझा तिमाही समाचार पत्रिका "ग्रामोदय संकल्प" • सामाजिक मीडिया हस्तक्षेप	• मत्रालयों एवं पंचायतों के अन्य मुख्य हितधारकों के बीच संवाद के लिए एक राष्ट्रीय मंच की व्यवस्था करना। • सुनिश्चित किया जाना कि पंचायतों के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के पास अपने कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त और यथोचित जागरूकता और जानकारी है। • दोनों ओर से संवाद के लिए एक मंच की व्यवस्था करना। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जमीनी स्तर पर की गई अग्रणी पहलों के बारे में नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों में पंचायती राज जागरूकता से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र, स्पष्ट, नियमित और गंभीर चर्चा के लिए मंच।
4	क्षमता निर्माण/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	720.80	• क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण • पंचायती राज संस्था प्रणाली की कार्यप्रणाली की क्षमता और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि • राज्यों में जीपी अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाना	• सुनिश्चित किया जाना कि पंचायतों के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के पास अपने कार्य करने के लिए उपयुक्त जानकारी और कौशल है।

			• प्रशिक्षण के लिए संस्थागत अवसंरचना सुदृढ़ किया जाना (राज्य पंचायत संसाधन केंद्र और जिला पंचायत संसाधन केंद्र) • उत्तम पद्धतियों के लिए मॉडल पंचायत विकास • ई-सामर्थ्य के लिए पंचायतों को तकनीकी और प्रौद्योगिकी आधारित सहायता • सहभागी और समाविष्ट ढंग से जीपीडीपी तैयार की गईं	• पंचायत द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए जीपी अवसंरचना। • नई पुनर्गठित स्कीम में प्रस्तावित कार्यक्रम। इस कार्य में नया निर्माण, मरम्मत और सामान्य सेवा केंद्रों के लिए अतिरिक्त हॉल शामिल। • सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण संस्थान कार्य करने लगा है और प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया है। • पंचायतों में उत्तम पद्धतियों के मॉडल तैयार करना • पंचायतों को ई-समर्थ बनाया जाना • भलीभांति परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग
5.	पंचायत को प्रोत्साहन	46.00	प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायतों को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के तहत पंचायतों को पंचायत पुरस्कार दिया जाना।	चूंकि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को आयोजित पंचायती राज दिवस पर दिए जाते हैं, पुरस्कार विजेताओं के चयन की प्रक्रिया इस तारीख से पहले पूरी करनी होती है। उद्देश्य पंचायतों के कार्य निष्पादन में सुधार लाना और स्थानीय स्तर पर समग्र रूप से अच्छी गवर्नेंस का परितंत्र तैयार करना है।
6.	ई-पंचायत संबंधी मिशन मोड परियोजना	20.00	(i) पीईएस अनुप्रयोजनों का उन्नत वर्जन (राज्यों के सभी अनुरोधों को शामिल करके) और देश में सभी पंचायतों में उन्हें लागू करना (ii) देश में सभी लाभार्थी-उन्मुख ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों के लिए मानक स्थल कोड निर्देशिका (एलजीडी) को अद्यतन करना और देश में अन्य ई-गवर्नेंस अनुप्रयोजनों/निर्देशिकाओं के साथ इसकी मैपिंग (iii) प्लान प्लस पर 2018-19 के लिए सभी जीपीडीपी अपलोड करना और संगत राज्य-विशिष्ट अनुप्रयोजनों के साथ एकीकरण (iv) प्रियासॉफ्ट पर सभी पीआरआई के खातों का ब्यौरा अपलोड करना और संगत राज्य-विशिष्ट अनुप्रयोजनों के साथ एकीकरण (v) पीईएस अनुप्रयोजनों पर मास्टर प्रशिक्षकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना	पंचायतों की पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार पंचायत स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों से समग्र डाटा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, एकीकृत डैशबोर्ड विकसित करना

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 72: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
1.	पहल	16477.80	सभी एलपीजी सब्सिडी लाभार्थियों को आधार समर्थित भुगतान व्यवस्था (एईपीएस) से जोड़ा जाना है।	उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी के सीधे अंतरण से दक्षता आएगी और चोरी से बचा जा सकेगा।
2.	डीबीटीके	96.00	डीबीटी प्लेटफार्म के माध्यम से राजसहायता प्राप्त करने वाले मिट्टी के तेल के सभी उपभोक्ताओं को एईपीएस पर लाना है।	उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी के सीधे अंतरण से दक्षता आएगी और चोरी से बचा जा सकेगा।
3.	उज्ज्वला (बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन)	3200.00	ग्रामीण बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों के लिए 2 करोड़ एलपीजी कनेक्शन	गरीब परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ समाधान उपलब्ध कराना
4.	आईएसपीआरएल-I (कच्चे तेल की भराई)	700.00	सामरिक पेट्रोलियम भंडारों की स्थापना के लिए मंगलौर और पादुर ग़ारों में कच्चे तेल की भराई	आयात के आधार पर 14 दिनों के लिए कच्चे तेल का सामरिक भंडार स्थापित करना।
5.	आईएसपीआरएल -II (निर्माण)	1.00	चन्डीखोल और पादुर ग़ारों का निर्माण	भंडारण क्षमता बढ़ाना
6.	जेएचबीडीपीएल (नई स्कीम)	1674.00	गैस ट्रंक पाइप लाइनों का निर्माण: 400 किमी	उद्योगों सहित गैस की आपूर्ति के लिए शामिल किए जाने वाले शहर इस प्रकार हैं: • पटना • वाराणसी • रांची • जमशेदपुर • कटक • भुवनेश्वर
7.	आईआईपीई, विशाखापट्टनम्	32.00	विशाखापट्टनम में आईआईपीई की स्थापना	स्थायी परिसर के अंतर्गत दो विषयों अर्थात् बीई (पेट्रोलियम इंजीनियरी) और बीई (कैमिकल इंजीनियरी) के लिए 2016-17 और 2017-18 में नामांकित 178 छात्र। दिनांक 8.01.2018 को भारत की राजपत्र में अधिसूचित आईआईपीई अधिनियम

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 73: योजना मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
1	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग सहित अटल नवाचार मिशन	200.00	• 2017-18 में चयनित की गई नई अनुदाग्राही संस्थाओं को अनुदान सहायता: **क.** एटीएल दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन के तहत 2017-18 में चुने गए 1500 स्कूलों में 600 नई टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना। **ख.** 2017-18 में चयनित 21 स्थापित उष्मायान केन्द्रों जो अटल उष्मायान केन्द्र (एआईसी) के ईआईसी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन कर रही हैं, को सहायता **ग.** 2017-18 में चयनित 11 स्थापित उष्मायान केन्द्रों जो ईआईसी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन कर रही हैं, को सहायता • 2016-17 और 2017-18 में चयनित की जाने वाली अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान की उत्तरवर्ती अंश: **क.** 700 एटीएल **ख.** 12 एआईसी **ग.** 2 ईआईसी (2सरा अंश) **घ.** 6 ईआईसी (3सरा अंश) • 18 नए अटल न्यू इंडिया चैलेंज/अटल ग्रांड चैलेंज की लांचिंग	देश में नवाचार और उद्यमिता इको-सिस्टम का त्वरित परिवर्तन
2	अनुसंधान एवं अध्ययन	3.23	इस वित्त वर्ष के दौरान 25 शोध अध्ययनों, 15 संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, 3 शोध कार्यों के प्रकाशन और 2 नीति अध्येतावृत्तियों को अनुमोदन प्रदान किए जाने की संभावना है।	देश के विकास उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अनुसंधान एवं अध्ययनों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना
3	संयुक्त राष्ट्र - नीति आयोग सामरिक भागीदार परियोजना	0.10	संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रूपरेखा 2018-2022 के तहत नियोजित कार्यकलापों से परिचित कराने के लिए एक कार्यशाला	संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति

4	योजना निरूपण और मूल्यांकन एवं समीक्षा	30.00	• राज्य विशिष्ट विषयों के संबंध में राज्यों के साथ शासी निकाय, परामर्श बैठक जैसी विभिन्न बैठकें आयोजित करना। • नीति आयोग के विजन दस्तावेज को तैयार करने के लिए राज्यों के लिए सहायता संबंधी अध्ययन जैसे विभिन्न कार्यकलाप प्रारंभ करना। • राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाएं, पेशेवर सेवाएं भाड़े पर लेने, एसडीजी, बायो गैस, बायो ईंधन के संबंध में हितधारकों के साथ परामर्श आदि • विशिष्ट और समयबद्ध कार्यों के लिए, जिनके लिए नीति आयोग के पास सामान्य विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, उच्च गुणता की सेवाएं प्रदान करने के लिए सीमित अवधि हेतु परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों की सेवाओं को भाड़े पर लेना। • अवसरंचना में पीपीपी को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और सांविधिक निकायों से प्राप्त सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के रियायती करार/साध्यता रिपोर्ट की समीक्षा और विधीक्षा के लिए विधिक/तकनीकी परामर्शदाता शुल्क • पब्लिक डोमेन में सूचकांक का विकास और निर्गमन • वेब पोर्टल और इसकी अभीष्ट विशेषताओं का विकास • विनाशकारी प्रौद्योगिकियां के प्रयोग का जोखिम मूल्यांकन और बाधाओं पर नियंत्रण पाना • परिवहन क्षेत्र में नीति/स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुसंधान एवं अध्ययन करना। • अवधारना विकास योजनाएं और विस्तृत मास्टर योजनाएं (शेष 9 रिपोर्टें) • (क) एमआईएस डाटाबेस का कार्यान्वयन (ख) विभिन्न आईटी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन (ग) भारत सम्मेलन में मध्यस्थता और प्रवर्तन (घ) मेथनॉल इकॉनोमी संबंधी विभिन्न कार्य बल पर व्यय और (ड.) नीति आयोग के लिए सर्वोत्तम सरकारी पद्धतियों के लिए डिजीटल हब	• (i) मार्च, 2018 तक राज्यों/हितधारकों से डाटा (ii) अप्रैल, 2018 तक सूचकांक तैयार करना और निर्गमन • (i) फरवरी, 2018 के अंत तक आरपीएफ जारी करना (ii) अप्रैल 2018 तक परामर्शी सेवाओं को अंतिम रूप देना और संविदा पर हस्ताक्षर करना (iii) नवंबर 2018 तक परियोजना का बीटी वर्जन और (iv) फरवरी 2018 तक सार्वजनिक प्रयोग के लिए खोले जाने के लिए पोर्टल • उच्च प्रभाव क्षेत्रों में विनाशकारी प्रौद्योगिकियों की सीडिंग • नीति निर्माण • द्वीपों के समग्र विकास के लिए रोडमेप • (i) एमआईएस डाटाबेस के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी जनशक्ति सहायता प्रदान करना (ii) आईटी कार्यक्रम के लिए तकनीकी जनशक्ति सहायता प्रदान करना (iii) दिनांक 16.2.2017 को आयोजित राष्ट्रीय पहल सम्मेलन की फोटो एल्बम तैयार करने पर व्यय (iv) गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आतिथ्य, बैठक फीस एवं टीए/डीए प्रदान करना (v) नॉलेज गवर्नमेंट बेसट प्रेक्टिस के अध्ययन, डिजाइन, विकास एवं अनुरक्षण के लिए।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 74 : विद्युत मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (क्षमता विस्तार मेगावाट में)	482.00	330 मेगावाट क्षमता की किशनगंगा एचईपी के आरंभन और आरंभन-पश्चात् के कार्य (कुल क्षमता 330 मेगावाट)। संयंत्र के चालू करने के बाद शेष निर्माण कार्य और नीमू बाजगो, (45 मेगावाट) की देयताओं का भुगतान	1706 मेगा यूनिट का उत्पादन जो उत्तरी ग्रिड को दी जाएगी जिसमें से 13% बिजली (स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% सहित) जम्मू कश्मीर के लिए नि:शुल्क होगी।
2.	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन- (क्षमता विस्तार मेगावाट में) विष्णुगढ़ पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट)	52.00	1. विष्णुगढ़ पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट) के नदी मार्ग परिवर्तन के बाद बांध के बाएं पार्श्व (शेष हिस्सा) के लिए खुदाई 2. विष्णुगढ़ पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट) की इनटेक सुरंग में खुला अस्तर कार्य	1. विष्णुगढ़ पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट) के नदी मार्ग परिवर्तन के बाद बांध के बाएं पार्श्व (शेष हिस्सा) के लिए खुदाई के काम को पूरा करना। 2. विष्णुगढ़ पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट) की इनटेक सुरंग में खुला अस्तर कार्य को पूरा करना।
3.	नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (क्षमता विस्तार मेगावाट में)	267.45	पारे-एचईपी (110 मेगावाट) के आरंभन और आरंभन-पश्चात् के शेष कार्य और तुरियल एचईपी (60 मेगावाट) के आरंभन और आरंभन-पश्चात् के शेष कार्य	पारे एचईपी से 506 मेगा यूनिट बिजली तैयार करना, तुरियल एचईपी से 250 मेगायूनिट बिजली का उत्पादन जिसे एनई/राष्ट्रीय ग्रिड में दिया जाएगा।
4.	जम्मू एवं कश्मीर पीएमडीपी- 2015 के तहत पाकुलदुल जलविद्युत परियोजना	100.00	1. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना को लागू करना। 2. सिविल, एचएम और ईएम कार्य।	सिविल कार्यों के लिए संविदा सौंपना और सिविक कार्य शुरू करना।
5.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	3800.00	• विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण: गांवों की संख्या 100000 • नई 11 केवी लाइनों सहित फीडर पृथक्करण- 100000 सर्किट किमी • सबस्टेशनों (नए और क्षमतावृद्धि वाले) का आरंभन: 600	गुणतापूर्ण और भरोसेमंद बिजली तक पहुंच। आपूर्ति में सुधार होगा। लोगों के जीवन की गुणता बढ़ेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि जैसी आवश्यक सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकेगी। फीडर पृथक्करण से किसानों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसेमंद विद्युत सेवाओं से आर्थिक गतिविधियां भी सुगम होंगीं और इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष

				रोजगार पैदा होगा।
6.	सौभाग्य (सहज बिजली हर घर योजना)	3700.00	परिवारों को बिजली कनेक्शन: 175 लाख परिवार	ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्शन
7.	एकीकृत विद्युत विकास योजना	3985.00	आईपीडीएस काम निम्निलिखित ढंग से पूरा करना- 33/11 केवी सब स्टेशन- संख्या 250 एचटी/एलटी लाइनें- 6000 किमी एरियल बंच केबिलें- 5000 किमी भूमिगत केबिलें- 1500 किमी वितरण ट्रांसफॉर्मर- 10000 शहरी जनगणना नगरों में आईपीडीएस के तहत सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप- नगरों की संख्या-350 टीपीआईईए-आईटी द्वारा पुरानी परियोजनाओं को पूरा किए जाने के बारे में भाग क (आईटी) का सत्यापन- 450 नगर भाग क को पूरा किए जाने के तहत एससीएडीए- नगरों की संख्या- 26	i. आईपीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों के तहत प्रगति से भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, शहरी क्षेत्रों के लोगों के जीवन की गुणता सुधरने के साथ-साथ उद्योगों को भी बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा। ii. आईटी चरण-। एससीएडीए कार्यों में प्रगति से बिजली केन्द्रों में कार्य प्रवाह व्यवस्थित होगा और बिजली चले जाने की स्थिति से भी बेहतर ढंग से निपटा जा सकेगा। iii. आईपीडीएस चरण-।। कार्यों में प्रगति से अपेक्षाकृत छोटे शहरी केन्द्रों में सूचना प्रौद्योगिकी सबलीकरण के हस्तक्षेपों में बढ़ोत्तरी होगी।
8.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	103.37	मानक एवं लेबिलिंग, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, की स्कीमों का कार्यान्वयन और कृषि, नगरपालिका और एसएमई के क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता और मांग प्रबंधन के लिए एसडीए का सुदृढ़ीकरण	2018-19 के दौरान 15.00 अरब यूनिट ऊर्जा की बचत का लक्ष्य।
9.	ऊर्जा संरक्षण	55.00	(i) ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, चित्रकला प्रतियोगिता और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, (ii) राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन की योजनाओं, बचत लैंप योजना और अति-दक्ष उपकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन	राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर पर 2-2 कार्यशालाएं। 3.00 अरब यूनिट ऊर्जा की बचत।
10.	कारगिल होते हुए श्रीनगर से लेह तक 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन	500.00	परियोजना सितम्बर, 18 तक पूरी हो जाएगी और इससे लद्दाख क्षेत्र को उत्तरी ग्रिड से कनेक्टिविटी मिल जाएगी।	परियोजना सितम्बर, 18 तक पूरी हो जाएगी और इससे लद्दाख क्षेत्र को उत्तरी ग्रिड से कनेक्टिविटी मिल जाएगी।
11.	अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार	282.50	• 100 प्रतिशत पैकेज सौंप दिया जाएगा। • कुल सिविल एवं विद्युत-यांत्रिक कार्यों में से 40 प्रतिशत काम पूरा कर लिया जाएगा।	• 100 प्रतिशत पैकेज सौंप दिया जाएगा। • कुल सिविल एवं विद्युत-यांत्रिक कार्यों में से 30 प्रतिशत काम पूरा कर लिया जाएगा।
12.	अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में	300.00	• 100 प्रतिशत पैकेज सौंप दिया जाएगा।	• 100 प्रतिशत पैकेज सौंप दिया जाएगा।

	ट्रांसमिशन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण		• कुल सिविल एवं विद्युत-यांत्रिक कार्यों में से 55 प्रतिशत काम पूरा कर लिया जाएगा।	• कुल सिविल एवं विद्युत-यांत्रिक कार्यों में से 30 प्रतिशत काम पूरा कर लिया जाएगा।
13.	विद्युत व्यवस्था विकास निधि जिसे पीएसडीएफ निधि से पूरा किया जाना है।	544.00	• 101 परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव • संस्वीकृति 85 परियोजनाओं के लिए जारी कर दी गई और 54 परियोजनाओं के लिए अवार्ड पूरे किए जाने हैं। • शेष 31 परियोजना अवार्ड सितम्बर, 18 तक सौंप दिए जाएंगे।	31 परियोजनाओं के लिए काम सितम्बर, 18 तक सौंप दिए जाएंगे।
14.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलुरू	150.00	i. कैपिसीटर्स और उनकी एप्लिकेशनों के लिए अनुसंधान एवं परीक्षण सुविधाओं का विस्तार। ii. हाई वोल्टेज परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन एवं विस्तार iii. परीक्षण का सामना करने और उपयोग काल के विस्तार के लिए एचपीएल बंगलुरू में जनरेटर की मरम्मत iv. वितरण ट्रांसफॉर्मरों के परीक्षण के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधाओं का पुनरुद्धार v. एसटीडीएस-सीपीआरआई भोपाल में पूरक और नमूना जांच सुविधाओं सहित ऑनलाइन जनरेटर आधारित परीक्षण सुविधाओं का विस्तार vi. ट्रांसफार्मर तेल के परीक्षण के लिए विद्यमान परीक्षण सुविधा का विस्तार और सीपीआरआई की अन्य इकाइयों में परीक्षण सुविधाओं की स्थापना	नवीनतम मानकों के अनुसार परीक्षण की सुविधा देने वाले वैद्युत उपस्कर के लिए परीक्षण सुविधाओं में बढ़ोत्तरी से विद्युत प्रणाली नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ेगी। उपस्कर को बरबाद न करने वाली परीक्षण सुविधा के उन्नयन से ताप विद्युत गृहों में परामर्शी गतिविधियां बढ़ेंगीं।
15.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई), फरीदाबाद	100.55	विद्यमान प्रशिक्षण सुविधाओं का नवीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं विस्तार और अलप्पुझा, केरल, तथा शिवपुरी, (म. प्र.) में नए संस्थानों की स्थापना।	विद्यमान प्रशिक्षण सुविधाओं का नवीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं विस्तार और अलप्पुझा, केरल तथा शिवपुरी, (म. प्र.) में नए संस्थानों की स्थापना से विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों के प्रशिक्षण की क्षमता और परामर्शी सेवाओं में बढ़ोत्तरी होगी।
16.	स्मार्ट ग्रिड	5.50	स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं का कार्यान्वयन- 1	बेहतर विश्वसनीयता और एटीएंडसी क्षति में कमी (स्मार्ट मीटरिंग प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स में)।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 80: रेल मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**	
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम				
1	नई लाइनें	28490.00	1000 रुट किमी (आरकिमी)	**चालू किए जाने वाले खंडों में शामिल हैं:**	
				अलीराजपुर-जोबट	24
				बथनाहा-नेपाल कस्टम यार्ड	8
				बिहारशरीफ- बड़बीघा	25.8
				बुकरू-शिवपुर	19
				धनसिरी-सुखोवी	16
				गंगावटी-करतगी	28
				झालरपाटन-अकलेरा	40
				खड़सिया से धर्मजयगढ़	74
				खुंटला से डीडवाना	45.45
				कोडरमा से झारही	15.4
				ओबुलापरिपल्ले से वेंकटचलम	95
				सिधवार से शांकी	26.4
				तांगनी से धमालगांव और वाई-कनेक्शन	17.25
2	गेज परिवर्तन	4016.00	1000 रुट किमी (आरकिमी)	भंडारकुंड से भीमलगोंडी	20
				दभोई से चांदोड़	18
				डूंगरपुर से रायगढ़	70.73
				जयपुर से गोविंदगढ़	40
				जयनगर से जनकपुर से कुरथा	34
				झंझारपुर से घोघरदीहा	20
				खंडवा बाईपास (अजंती से मथेला)	9
				नैनपुर से पलड़ी	30
				साबरमती से कलोल	20.64
				समनापुर से नैनपुर	60
				सनावड से अत्तार	25
				वडनगर से तरंगा हिल	24.4
3	दोहरीकरण	17359.00	2100 रुट किमी (आरकिमी)	अजमेर से मंगलियावास	27.43
				अंबागांव से कोटपार रोड	7.61
				बबलाड से गुलबर्गा	5.42
				बांगुरग्राम से हरिपुर	38
				भलवनी से जेउर	7.73
				भुआ से उरई से सरसोकी	19.82
				भुलोन से मोतीपुरा चौकी	9.78
				बिनकड़कट्टी से हुलकोटी	7.62
				बोलांगीर से देवगांव रोड	17.35
				बोरोटी से दुधानी	13.36
				चबरा से भुलौन	11.29
				चक्रधरपुर से सोनुआ	21.3

				चामराज से रामपरदा	23.86
				चंद्रेसल से दीगोड	8.16
				चारमाल से रैराखोल	15
				चारुमलकुसुमी से खडपा	6.99
				चित्तौड़गढ़ से निंबाहेड़ा	26.57
				देबपाल से गिदाम	10.99
				देबीपुर से पलसित	16.82
				देवगांव रोड से सैनतला (आईबीएस)	8.57
				देवारपल्ली से पेनुकोंडा	49
				धवलास से केम	8.56
				धुतरा से धरुआदीही	18.2
				दिगरू से तेरतेलिया से खेतड़ी से बराहू से जागीरोड	23.51
				दीगोड से श्री कल्याणपुरा	5.99
				दुधानी से कुलाली	9.83
				डुंगरीपल्ली से खलियापल्ली	12.77
				गडग से बिनकड़कट्टी	4.98
				गंगापुर रोड से हुंसीहडगिल	6.58
				हरलापुर से कांगीनहल	9.83
				हटिया से गोविंदपुर	41.2
				हुब्बली दक्षिण से सवनूर	51
				हुलकोटी से अन्नीगेरी	10.06
				हूंसीहडगिल से सवलगी	7.05
				जलगांव से भाडली	11.51
				जमगा से बेलपहाड़	33
				जेउर से पोफलाज	8.63
				जुजूमुरा से चारमाल	16.92
				ककलूर से कावरगांव	12.13
				कालुंगा से राजगंगपुर	16.4
				कल्याण से टीटवाला	10.84
				कांगिनहल से गडग	8.32
				कराडी से अम्मासांद्रा	16
				केम से भलवानी	8.33
				कसोली से चाबरा	8.16
				खडपा से धानापुर	6.64
				खखरेची से वधरवा	8.38
				खलियापली से लोइसिंगा (आईबीएच)	5.1
				खनयान से बांदेल	15.93
				कोप्पल से जीनीगेरा से मुनीराबाद	21.83
				कोटा से सगरिया	2.71
				कोटपुर रोड से चारुमलकुसूमी	7.71
				कुरदूवाडी से धवलास	9.72
				लखीसराय से करोटा पटनेर से शेखपुरा	25.32
				मिरखल से लिंबागांव	30.84
				मोहिनुद्दीननगर से बचवारा	19.95
				नागरकोइल से कन्याकुमारी	15.51
				नैहाटी से कल्याणी से चकदाह	24.14

				पड़ौना से ऐत से भुआ और पीटीएससीसे नंदखास	42.62
				पोफलाज से वाशिंबे	9.97
				पीटीएससी से चिरगांव से नंदखास	18.57
				पुणे से फुरसूंगी	16.51
				रानी से भीनवालिया	29.94
				रतिखेड़ा से अशोकनगर	7.73
				रेउटी से बलिया	26.15
				रॉबर्टसन से किरोड़ीमल नगर	18
				सालेगांव से चारबतिया	9.86
				सालपुरा से केसोली	7.45
				संबलपुर से हीराकुड	7.25
				सवलगी से बबलाड	7.58
				शादोरागांव से रतिखेड़ा	7.63
				शादोरागांव से पीलीघटा	9.5
				श्री कल्याणपुरा से भोनरा	7.32
				सोगरिया से चंद्रेसल	5.44
				सुखपुर से हलवद से खखरेची	33.95
				तोलाहुंसे से हरिहर	23
				तुमकुरु से गुब्बी	18
				वडसिंगे से कुरदूवाडी	8.11
				वाशिंबे से पारेवाडी	7.09
4	विद्युतीकरण परियोजनाएं	6302.00	6000 रुट किमी (आरकिमी)	मिरज से पंढरपुर	138
				जसई से उरन	10
				पेन से रोहा	67
				पनवेल से पेन से थल	75
				जसई से जेएनपीटी	9
				भीगवान से वाशिंबे और गुलबर्गा से अकलकोट	60
				सीकरपाई से लेल्लीगुम्मा	16
				दमनजोड़ी से ककीरीगुमा	27
				बालांगीर से टीटलागढ़	65
				बोइंदा से रैराखोल से संबलपुर	118
				चोपन से सिंगरौली	73
				कोडरमा से दुरैतनगर	52
				वारिसालीगंज से तिलैया	35
				मुजफ्फरपुर से पीपरा से चनपटिया	144
				बिहार शरीफ से दनियावन	38
				फतुहा से इस्लामपुर	43
				आरा से विक्रमगंज	57
				समस्तीपुर से नया नगर	40
				गिरिडीह से दुरैतनगर	52
				रक्सौल से वैरगनिया	53
				मानसी से सहरसा से दाउरा मधेपुरा	63
				कटवा से अजीमगंज	70
				किओल से पाटम से पिपेंटी	152
				सागरदिघी से अजीमगंज	19
				चुनार से चोपन	100

				ईदगाह से अछनेरा से मथुरा	87
				बांदीकुई से भरतपुर	97
				हरपालपुरसे खैरार	107
				भांडई से उडी	113
				शिकोहाबाद से भोगांव	58
				गोरखपुर से कप्तानगंज से वाल्मीकीनगर	96
				औनरीहार से जौनपुर	60
				कप्तानगंज से थावे	100
				मनकापुर से कटरा से अयोध्या	38
				कासगंज से बरेली	105
				मथुरा से कासगंज	103
				जाफराबाद से अकबरपुर से टांडा	101
				उन्नाव से मलावन	66
				टपरी से शामली	64
				पानीपत से जींद	70
				गढ़ी हरसरु से फरुखनगर	12
				नरवाना से जियोंग	44
				बरेली से पुरवाखेड़ा	50
				गजरौला से हलदौर	53
				अमृतसर से छीना	50
				रेवाड़ी से पहाड़सर	150
				अजमेर से गूरिया	94
				भीलवाड़ा से मावली जंक्शन	120
				अलवर से बांदीकुई	95
				जयपुर से फुलेरा	66
				भटिंडा से हिसार	186
				सादूलपुर से शीतलनगर हाल्ट	139
				जयपुर से सवाई माधोपुर	131
				रानी से पालनपुर	166
				नालगोंडा से लिंगमगुंटा	129
				पड्डपल्ली से लीगमपेट	83
				गुंटकल से कल्लुरू	40
				घनसोर से नागरवाड़ा	62
				छिंदवाड़ा से जूरतारा	97
				तोरी से लोहरदगा	44
				इरोड से करूर से तिरुचिरापल्ली और डिंडीगुल से करूर	215
				तिरुचिरापल्ली से तंजावूर से तिरुवरूर	104
				मिरज से बेलगावी	137
				सतना से कटनी	98
				जालिंदरी से बेरच जंक्शन	117
				कटनी से डुबरीकलां	127
				अहमदाबाद से वीरमगांव से सुरेन्द्र नगर	133
				मेहसाणा से वीरमगांव	64
				समख्याली से वधरवा	49
				सुरेन्द्र नगर से ढोला	120
				समख्याली से चिरई	30
				रतलाम से बड़नगर	50

				राजकोट से मोतीखावडी	120
				वांकनेर से पीपली यार्ड	50
5	रॉलिंग स्टॉक लोकोमोटिव्स	32006.91			
	डीजल		122		
	विद्युत		573		
	डिब्बे		5160		
	ट्रेक मशीन		52		
6	सिगनल एवं टेलीकॉम (केवल मुख्य मदें)	2025			
	प्रतिस्थापन कार्य		300 स्टेशन		
	ट्रैक सर्किटिंग		300 स्थान		
	एलईडी सिगनल		200 स्टेशन		
	ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग (एबीएस)		200 रुट किमी (आरकिमी)		
	एक्सल काउंटर से ब्लॉक जांच		250 ब्लॉक सेक्शन		
	ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस)		150 रुट किमी (आरकिमी)	पूर्वी रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे पर 150 रुट किमी	
	डाटा लॉगर		200 स्टेशन		
	एलसी गेट की इंटरलॉकिंग		250 एलसी गेट		
7	ट्रेक नवीकरण	11540	3900 किमी		

स्कीमों के लिए निर्गम/परिणाम रूपरेखा - 2018-19

मांग सं. 81: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1	भारतमाला	29663.13	चरण-I के अंतर्गत इस कार्यक्रम की कुल लंबाई 34,800 कि.मी. है। इस कार्यक्रम को 2021-22 तक पूरा करने का लक्ष्य है। **सम्मिलित एनएचडीपी** कुल लंबाई-55943 कि.मी. पूरी की गई (31.12.2017) संचित लंबाई 33500 कि.मी. कार्यक्रम की शेष लंबाई भारतमाला चरण-I में शामिल है **लक्ष्य 2018-19- 4500 कि.मी.**	(i) गतिशीलता, सुरक्षा और सुविधा के साथ सड़क संपर्क प्रदान करना (ii) 2022 तक एक लेन/मध्यम लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई घटकर कुल लंबाई के 10% से कम होगी
2	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (विश्व बैंक/जेआईसीए/एशियाई विकास बैंक)	1200.00	(i) विश्व बैंक वित्तपोषित एनएचआईआईपी 1120 कि.मी. को 2020-21 तक पूरा करने का लक्ष्य है (ii) जीआईसीए वित्तपोषित परियोजनाएं-495 कि.मी., 2020-21 तक पूरा करने का लक्ष्य है	

			(iii) एशियाई विकास बैंक वित्तपोषित परियोजनाएं-128 कि.मी., पूरा करने का लक्ष्य 2018-19 (iv) पूरी की गई कुल लंबाई (31.12.2017)- 746 कि.मी. **लक्ष्य 2018-19 - 200 कि.मी.**	
3	विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर सहित एलडब्ल्यूई	2,940.00	विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर सहित एलडब्ल्यूई कार्यक्रम की कुल लंबाई - 6045 कि.मी., पूरी की गई कुल लंबाई (31.12.2017) - 4885 कि.मी., एलडब्ल्यूई कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य 2019-20 लक्ष्य 2018-19 - 500 कि.मी.	सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और भारत की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पिछड़े, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को संपर्क प्रदान करना
3.1	टीएसपी सहित एलडब्ल्यूई	600.00	400 किमी	
3.2	टीएसपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	2080.00	क्र.सं. ख-1 में शामिल	
3.3	विजयवाड़ा-रांची	200.00	विजयवाड़ा-रांची कोरिडोर पूरा करने का लक्ष्य 2018-19 लक्ष्य 2018-19 - 100 कि.मी.	
4	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए परिव्यय	6210.00	कुल लंबाई **(चरण-क 4099 कि.मी. और अरुणाचल प्रदेश पैकेज 2319 कि.मी.) =** 6418 कि.मी. इस कार्यक्रम को 2023-24 तक पूरा करने का लक्ष्य है और 31.03.2020 तक कुल पूरा करने का लक्ष्य 3700 कि.मी. (58**%**) है। पूरी की गई (31.12.2017) कुल लंबाई 2485 कि.मी.। **चरण-ख** कुल लंबाई-3723 कि.मी., केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनमोदित है। **लक्ष्य 2018-19 - 950 कि.मी.**	देश के पूर्वोत्तर भाग में सड़क संपर्क, जिला मुख्यालय संपर्क और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों/अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए सड़क संपर्क का विकास।
4.1	अरुणाचल पैकेज सहित एसएआरडीपी	5710.00		
4.2	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रारा (ओ)	500.00		
ख.	**अन्य**			
1	मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित रा.रा. (मूल) + वीजीएफ सहित एसएल रा.रा./अन्य उच्च यातायात रा.रा. के उन्नयन सहित किसी कार्यक्रम में शामिल न की गई 28899 किमी सड़कों (31.03.2017 के अनुसार) का विकास	18506.42	कुल लम्बाई-30524 किमी (=28899 किमी + 1625 किमी रा.रा. (मूल) + वीजीएफ स्कीम के तहत), रा.रा. (मूल) + वीजीएफ स्कीमें 2019-20 तक पूरी कर ली जाएगी। पूरा करने का लक्ष्य (31.03.2020) 19150 किमी (63%) **लक्ष्य 2018-19 - 4850 किमी.**	

2	सेतुभारतम (निर्गम-पुल/आरओबी)	ख (1) के अंतर्गत रारा (मूल) में से	कुल 1,708 (1,500 पुल, 208 आरओबी/आरयूबी) कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2021-22 31.03.2020 तक पूरा करने का लक्ष्य 850 (50%) है। **लक्ष्य 2018-19 - 50**	राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी प्रमुख पूलों का पूनर्निर्माण/पुनरुद्धार/ मरम्मत और विद्यमान सभी लेवल क्रॉसिंग का प्रतिस्थापन ताके संरचना सुरक्षा बढ़ाई जा सके और यातायात का आवागमन निर्बाध रूप से हो सके।
3.	चार धाम	ख (1) के अंतर्गत रारा (मूल) में से	अनेकों पैकेजों के लिए डीपीआर का काम चल रहा है, 4200 करोड़ रुपए के 24 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए जा चुके हैं और इनके लिए निविदाओं का काम विभिन्न चरणों में है। कार्यक्रम के तहत कुल लम्बाई - 889 किमी, कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2019-20 **लक्ष्य 2018-19** - 80 कि.मी. (ख (1) में सम्मिलित)	गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए सभी मौसमों में सड़क संपर्क प्रदान करना तथा जून, 2013 में बादल फटने, भूस्खलन आदि से हुई क्षति की मरम्मत।
ग.	**सड़क पक्ष की अन्य योजनाएं**			
1.	आर्थिक महत्व एवं अन्तर राज्य सड़क संपर्क (ईएसएंडआईसी)	898.70	इस स्कीम के लिए निधि का निर्धारण सीआरएफ अधिनियम, 2000 के अनुसार आर्थिक महत्व एवं अन्तर राज्यीय संपर्क की सड़कों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को किया जाता है। इसका निर्गम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है।	
2.	शोध एवं विकास, गुणता आश्वासन	90.88	यह प्रावधान, केन्द्र सरकार द्वारा गुणता आश्वासन प्रणाली, निर्माण कार्यों की निगरानी, शोध एवं विकास कार्यों की स्थापना के लिए किया गया है। इसका निर्गम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है।	
3.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य प्रभार	7.00	इस निधि का प्रयोग मंत्रालय के कार्यकरण का डिजिटीकरण किए जाने और कम्प्यूटर उपकरणों की खरीद के लिए किया जाता है।	
4.	पीबीएफएफ (राज्यों द्वारा पथकर)	13.96	इसमें पथकर का संग्रहण राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा, उन्हें सौंपे गए रारा खंडों पर किया जाता है। इस निधि का आगे आबंटन रारा के विकास के लिए राज्यों को किया जाता है। इसका निर्गम और परिणाम क्रमांक बी(1) के अंतर्गत शामिल है।	
5.	सीआरएफ (राज्यीय सड़कें)	8007.42	यह निधि राज्य योजना के लिए है और सीआरएफ अधिनियम, 2000 के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निर्धारित है। यह निधि राज्यीय सड़कों के विकास के लिए सहायता-अनुदान के रूप में जारी की जाती है। इसमें निर्गम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है।	
6.	अनुरक्षण एवं मरम्मत	3020.69	इस निधि का प्रयोग विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए किया जाता है। इस निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क गुणता सुधार, बाढ़ क्षति मरम्मत, विशेष मरम्मत, आदि के लिए किया जाता है लेकिन ऐसा करते हुए इन कार्यों की आवश्यकताओं, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। ये अनुरक्षण कार्य योजना निर्माण कार्यों से भिन्न होते हैं और इनका निर्गम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है।	
7.1	प्रचार-प्रसार + विज्ञापन अन्य प्रशासनिक व्यय	80.00	1. टी.वी., रेडियों पर सड़क सुरक्षा संदेश प्रसारित करके/प्रचारित करके, सिनेमा हॉल, एसएसएम, सम्मेलनों, विडियों, रेडियों झलकी आदि तैयार करके आम जनता में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए।	वित्त वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी आई है और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूता बढ़ी है।

7.7			2. सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान। 3. सड़क सुरक्षा पुरस्कार।	
7.2	एनएचएआरएसएस - राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा परियोजना	5.00	1. जम्मू एवं कश्मीर और आंध्र प्रदेश राज्यों की शेष धनराशि जारी करने के लिए लगभग 1.00 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताओं का भुगतान। 2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को एम्बुलेंस/क्रेनें प्रदान करना।	
7.3	इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर)- पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन अनुदान सहायता सामान्य	100.00	1. 11वीं और 12वीं योजना के दौरान स्वीकृत आईडीटीआर के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी करना। 2. नए आईडीटीआर, क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केन्द्र, जिला चालक प्रशिक्षण केन्द्र को स्वीकृति। 3. असंगठित क्षेत्र के लगभग 30000 भारी मोटर वाहन चालकों के लिए दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण को स्वीकृति। 4. राज्य परिवहन विभागों के कर्मचारियों के लिए लगभग 50 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।	1. अधिकाधिक सुरक्षा और दक्षता के लिए वाहन मानकों एवं ड्राइविंग कौशल में सुधार। 2. चालकों की संख्या बढ़ाना जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सके।
7.4	निरीक्षण एवं प्रमाणन (आई एंड सी) केन्द्र	20.00	1. 12वीं योजना के दौरान स्वीकृत आई एंड सी केन्द्र के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी करना। 2. 5 नए आई एंड सी केन्द्रों को स्वीकृति 3. 11वीं योजना के दौरान स्वीकृत आई एंड सी केन्द्र के प्रचालन प्रभार।	
7.5	राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क- अन्य प्रभार- सड़क सुरक्षा	4.00	1. लेखापरीक्षा के लिए भाड़े पर ली गई एजेंसियों को धनराशि जारी करना, सड़क सुरक्षा समिति की नियुक्ति के सर्वोच्चय न्यायालय के निर्देश का लागू करना। 2. परिवहन पक्ष द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए मंत्रालय द्वारा नियुक्त एजेंसियों को भुगतान	
7.6	आई एंड सी केन्द्र के लिए मशीनरी एवं उपकरण	15.00	1. प्रतिबद्ध देयताएः- **i)** उत्तर प्रदेश - 3.50 करोड़ रुपए **ii)** तेलंगाना - 3.50 करोड़ रुपए 2. 12वीं योजना के दौरान स्वीकृत आई एंड सी केन्द्र के लिए उपकरणों की खरीद	
7.7	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंधन बोर्ड का	1.00	1. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंधन बोर्ड का गठन से संबंधित प्रावधान मोटरयान	

	गठन		(संशोधन) विधेयक 2017 में है। एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।	
8	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में बस टर्मिनलों का विकास	5.00	(i) मानक परियोजना दस्तावेज तैयार करने के लिए ड्राफ्ट मेनुअल को अनुमोदन (ii) हितधारक कार्यशाला (iii) मानक परियोजना दस्तावेज तैयार करने के लिए अंतिम मेनुअल (iv) परियोजना विकास परामर्शदाताओं का पैनल बनाया जाना (v) सॉफ्टवेयर सिमुलेशन मेनेजमेंट टूल किट के साथ टर्मिनल डिजाइन के लिए विशेष रूप तैयार मैनु संचालित समाधान (vi) 3 डी विजुअल इंटरप्रिटेशन डिजाइन एलीमेंट प्रस्तुत करना	(i) यात्रियों के लिए सुख-सविधाओं परिवहन में सुधार (ii) बस अड्डों पर मूलभूत सुविधाओं में सुधार। (iii) परिवहन के विभिन्न माध्यमों से यात्रियो/माल के निर्वाद परिवहन को बढ़ावा देना
9	सुचारू परिवहन व्यवस्था योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन का सुदृढ़ीकरण	25.00	1. वाहन खोज यंत्र लगाकर राज्य परिवहन उपक्रमों में बेड़ा प्रबंधन में सुधार 2. सार्वजनिक परिवहन में सीसीटीवी कैमरा लगाकर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना	(i) सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना (ii) सार्वजनिक परिवहन में डिजिटीकरण को बढ़ावा देना
10	राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क - मोटरवाहन पंजीकरण	60.00	1. सामान्य प्रयोक्ता प्रबंधन और वाहन एवं सारथी का प्रमाणन 2. अनुप्रयोग में नागरिकों और व्यापार की भूमिका। आरटीओ जाने की आवश्यकता कम से कम करना। 3. ई-भुगतान के अधिक से अधिक विकल्प, एसएमएस सूचना, ओपन एटीआई, अन्य पक्ष द्वारा एकीकरण आदि 4. बड़ी हुई सूचना सेवाः डेशबोर्ड, एमआईएस, चार्ट और ग्राफ	ई-भुगतान, एसएमएस, सूचना के जरिए डिजिटीकरण को बढ़ावा देना परिवहन क्षेत्र में वाहन 4.0 और सारथी 4.0 के उन्नत रूपभेद के माध्यम से ओपन एपीआई।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 82: ग्रामीण विकास विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम			
1	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	21000.00	• 49 लाख मकानों का निर्माण। • प्रशिक्षित राज मजदूर 80,000	• आवास वंचित परिवारों की संख्या में कटौती। • अन्य समान्य कार्यक्रमों के जरिए मकान रहित परिवारों के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान; और • ग्रामीण निर्माण में रोजगार सृजन।
2	दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम)	5750.00	• अजा,अजजा एवं अल्प संख्यक समूहों के कुल 50% एचएच को लाया जाना है। • 70 लाख परिवारों को एनआरएलएम के तहत एसएचजी के तहत लाना है। • डीडीयू- जीकेवाई के तहत 2 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाना है। • 1.75 लाख एसएचजी को समुदाय निवेश निधि उपलब्ध कराई जानी है। • एसएचजी द्वारा 40 हजार करोड़ रूपये के बैंक क्रेडिट का उपयोग किया जाएगा।	• आधार रेखा के ऊपर एचएच आय बढ़ाना। • बैंक क्रेडिट के लिए स्वंय सहायता समूहों की अधिक से अधिक पहुंच। • एसएचजी का वित्तीय समावेशन। • डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से प्रशिक्षण और रोजगार।
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	55000.00	• 220 करोड़ व्यक्ति दिवस तैयार किए जाने हैं • 10 लाख परिसम्पतियों का सृजन • मनरेगा के तहत 60 लाख नए कार्यों का पंजीकरण किया जाना है	• अध्ययन के तहत मजदूरी रोजगार तलाशने वाले व्यक्तियों के लिए मजदूरी रोजगार। • स्थायी समुदाय परिसम्पत्तियों के सृजन के जरिए आजीविका सुरक्षा। • मनरेगा के तहत सिंचाई सामर्थ्य तैयार करना • महिला, अ.जा/अ.ज.जा. की भागीदारी।
4	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	9975.00	• 3.09 करोड़ लाभार्थियों को सहायता	• लाभार्थियों का आधार से जुड़ा डिजिटीकृत डाटाबेस • योग्य लाभार्थियों का वित्तीय समावेशन • सुरक्षा नेट में सुधार
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	19000.00	• 59,150 किमी सड़कों का निर्माण	• बारहमासी सड़क संपर्क के जरिए पात्र बस्तियों की संख्या में वृद्धि।
6	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन	1200.00	• प्रथम100 रर्बन में 6 लाख परिवारों को पूर्ण क्रियाशील व्यक्तिगत	• न्यूनतम 40% बस्तियों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल। • 40% एचएच में अलग-अलग शौचालय।

			शौचालय प्रदान किया जाना है • प्रथम 100 रर्बन क्लस्टरों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 100% व्याप्ति • प्रथम 100 रर्बन क्लस्टरों में 6 लाख परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जाना है।	• जीरो वेस्ट क्लस्टर। • खुले में शौच मुक्त क्लस्टर • शून्य अपशिष्ट क्लस्टर • क्लस्टरों में एलपीजी कनेक्शन।
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
7	कपार्ट को सहायता	24.00	विकास प्रयासों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् विकास।
8	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान (एनआईआरडी एवं पीआर)	75.00	• प्रशिक्षण कार्यक्रम: 1513 • किए जाने वाले अनुसंधान अध्ययन: 30	• ग्रामीण विकास कार्यकर्त्ताओं का क्षमता निर्माण। • विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का शोध एवं मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन। • ग्रामीण विकास विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना।
9	ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधन सहायता और जिला नियोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	254.40	जिला योजना का सुदृढ़ीकरण	• अधिक से अधिक तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता, जागरूकता और अनुसंधान एवं विकास स्कीमों की कारगर निगरानी।
10	बीपीएल जनगणना/ सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011	75.70	डाटाबेस रखना	• साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करते हुए सभी प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन में एसईसीसी डाटा का प्रयोग। • लाभार्थियों तक उचित रूप से लाभ पहुंचाना। • लाभार्थियों के चयन में किसी के छूट जाने और शामिल हो जाने की गलती का निराकरण।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 83: भूमि संसाधन विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्र प्रायोजित स्कीम			
1	पीएमकेएसवाई - जलसंभर विकास घटक (तत्कालीन आईडब्ल्यूएमपी)	2146.00	1.86 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल को सिंचाई के अंतर्गत लाना है।	• अधिकाधिक कृषि उपज • किसानों की आय में वृद्धि
2	ईएपी-विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जलसंभर प्रबंधन परियोजना "नीरांचल"	105.00	परियोजना प्रबंधन इकाईयों का सुदृढ़ीकरण और 9 राज्यों को तकनीकी इनपुट सहायता प्रदान करना।	त्वरित परियोजना डिलीवरी
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
3	डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकी कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) - केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	250.00	• देश के 100 जिलों के भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरणः परिमेय मापदंड- गांवों की संख्या जिनमें अधिकार अभिलेख का कंप्यूटीकरण किया गया। • देश के 100 जिलों के रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरणः परिमेय मापदंड- जिले में एसआरओ की संख्या और ऐसे एसआरओ की संख्या जिनका कंप्यूटरीकरण किया गया। • 100 जिलों में पंजीकरण के साथ भूमि अभिलेखों का एकीकरणः परिमेय मापदंड- राजस्व कार्यालयों के साथ एकीकृत एसआरओ की संख्या	100 जिलों में एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 84: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण	1124.43	1. 150 नए और 680 कार्यरत संस्थानों में एस एंड टी अवसंरचना को मजबूत करना ताकि अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिल सके। 2. योग एवं ध्यान के लिए संज्ञानात्मक विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 90 अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता। 3. 5 नीति अनुसंधान केन्द्रों का पोषण, लगभग 800 वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को प्रशिक्षण। मूल विज्ञान शोध एवं सामाजिक लाभों के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों को लगभग 450 परियोजनाओं के लिए सहायता। 4. आईएनएसपीआईआरई (इस्पायर) पुरस्कार के लिए कक्षा VI से X तक के लगभग 1 लाख छात्रों का नामांकन किया जाना है। विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु 10,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी हैं। पीएचडी करने के लिए लगभग 1000 इन्सपायर अध्येतावृत्तियां दी जानी हैं। पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान करने के लिए संकाय सदस्यों को इन्सपायर अवार्ड के लिए लगभग 300 वैज्ञानिकों को सहायता दी जानी है। 5. राज्य एस एंड टी परिषदों के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता दी जानी है।	बढ़ा हुआ अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना आधार और अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए मानव संसाधन।
2.	अनुसंधान एवं विकास	609.00	1. द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एस एंड टी सहयोग के जरिए लगभग 300 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और वैज्ञानिकों के 1000 पारस्परिक दौरों के लिए सहायता दी जाएगी। 2. राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशन के तहत नई और जारी परियोजनाओं सहित लगभग 200 परियोजनाओं को सहायता दी जानी है। 3. राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण 12 वृहद विज्ञान परियोजनाओं को सहायता जारी रखी जानी है। 4. जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, ज्ञान नेटवर्क और विषयाधारित कार्यबलों पर कार्य करना। 5. सुपर कंप्यूटिंग मिशन के कार्यान्वयन के लिए परिकल्पित कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। 6 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे।	अनुसंधान प्रकाशनों और पेटेंटों की मात्रा और गुणता के संबंध में भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार।
3.	नवाचार प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रयोग	720.00	1. विभिन्न प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों के विकास हेतु लगभग 110 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता दी जानी है, स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल के लिए 2 और जल प्रौद्योगिकी के लिए 5015परियोजनाएं। 0 2. जियोस्पेशियल डाटा बेस के सृजन और जीआईएस एप्लीकेशन के संबंध में परियोजनाएं शुरू करना। 3. औषधों तथा औषध भेषजविज्ञान में अनुसंधान करने के लिए सुविधाओं की स्थापना।	देश में अधिकाधिक एस एंड टी ज्ञान आधार, सम्पत्ति सृजन तथा सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में विज्ञान की प्रासंगिकता।

			4. 70 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटरों और स्टार्टअप संबंधी - अन्य कार्यों के लिए सहायता जारी रखना। 5. ट्रांसलेशनल अनुसंधान के 5 तकनीकी अनुसंधान केन्द्रों का पोषण करना। 6. विज्ञान संचार क्रियाकलापों के माध्यम से लगभग 25 लाख व्यक्तियों से संपर्क करना। 7. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 28 संगठनों, सामाजिक जरूरतों, निशक्त एवं वृद्ध:जनों के लिए 65 परियोजनाओं, अजा एवं अजजा समुदाय के लाभ के लिए 50 परियोजनाओं को मौलिक सहायता देना।	प्रकाशित पत्रिकाओं, दायर पेटेंटों और वाणिज्यिीकृत उत्पादों में वृद्धि।
4.	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	900.00	विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान हेतु लगभग 1500 बाह्य अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता और विभिन्न प्रकार की 2000 अध्येतावृत्तियों को सहायता।	वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणता एवं संख्या बढ़ाना
5.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड	100.00	प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के लिए भारतीय उद्योगों को सहायता	स्वदेशी प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 85: जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1.	जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास	1350.00	➢ मूलभूत एवं प्रायोगिक अनुसंधान के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान, पादपजीनोम जीव विज्ञान, प्रयुक्त जैव प्रसंस्करण, चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी, डीएन फिंगरप्रिंट आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास करने के लिए अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/संगठनों का निरंतर एक्स्ट्राम्यूराल अनुसंधान वित्त पोषण ➢ नई आरएण्डडी सुविधाओं के निर्माण और विद्यमान आरएण्डडी सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अवसंरचना सहायता। ➢ स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान पर केन्द्रित राष्ट्रीय "मिशन इनोवेशन" का संचालन। ➢ अगले 5 वर्षों में पांच बायोफार्मा-स्यूटिकल्स सौंपने के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में एक मिशन। ➢ हॉट स्पॉट और राष्ट्रीय कोरलरीफ मैपिंग मिशन के लिए व्यापक मानचित्रण की दिशा में अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से नई पहल शुरू की जा रही है। ➢ डीबीटी "क्रॉप जेनेटिक ऐनहांसमेंट नेटवर्क" स्थापित करेंगे और अन्य मिशन। ➢ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पशुधन वाले ब्रिल रोग मुक्त गांवों का व्यापक स्तर पर प्रदर्शन। ➢ बॉयोटेक-किसान किसान केन्द्रीत मिशन शुरू किया जाएगा। ➢ सिकल सेल प्रबंधन मिशन। ➢ जैव-प्रौद्योगिकी के बहु-विषयक क्षेत्र में 65 स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना। ➢ नया एचआरडी कार्यक्रम- दोहरी उपाधि कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू और विज्ञापित किए जाएंगे। ➢ 6 माह के औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए 700 जैव-प्रौद्योगिकी छात्रों का चयन करना और 100 छात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र से। ➢ महिला वैज्ञानिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और लगभग	➢ संबंधित वैज्ञानिक क्षेत्र में उच्च गुणता के प्रकाशन पेटेंट, प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान का सृजन होगा और मानव जाति को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान होगा। ➢ अभिनिर्धारित संस्थानों द्वारा विकसित अनुसंधान एवं विकास उत्पाद और सेवाएं उद्योगों के लिए हस्तांतरण और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होंगी। ➢ स्वास्थ्य मिशन अगले 3 वर्षों में 5 बायो फार्मास्यूटिकल्स प्रदान करेगा। ➢ कृषकों और कृषि वैज्ञानिको को लाभ मिलेगा। ➢ सिकल सेल के प्रबंधन के लिए उपाय। ➢ बच्चों में रक्ताल्पता प्रबंधन के लिए आयरन फोर्टिफाइड प्री-मिक्सड राइस का स्वदेशी निर्माण। ➢ नगरपालिका ठोस और तरल अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कार्यात्मक प्रौद्योगिकी। ➢ नए शौचालय डिजाइन के साथ बायो-डाइजेस्टर। ➢ दुधारू पशुओं से अधिक दूध का उत्पादन। ➢ प्रशिक्षित जनशक्ति। ➢ महाविद्यालयों में बेहतर गुणता की जीव विज्ञान शिक्षा रोजगार योग्य तकनीकी जनशक्ति तैयार करना। ➢ विदेशों से वैज्ञानिक लौटेंगे और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास में योगदान देंगे।

			50 महिला वैज्ञानिकों को उनका पहला शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा। ➢ नए उत्कृष्टता केन्द्रों के लिए सहायता जारी रखना और उनका निर्माण ➢ वैज्ञानिकों के लिए पुनः प्रवेश एवं अनुसंधान एवं अध्येयतावृत्तियों के लिए सहायता।	
2.	औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास	249.24	➢ प्रतिवर्ष लगभग 300-500 नए स्टार्टअप का पोषण करके क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या बढ़ाना ताकि 2020 तक लगभग 2000 स्टार्टअप हों। ➢ भारत में अनुसंधान संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में 2 नए बायोक्लस्टर, 15 नए बायो-इंक्यूबेटर, 15 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय और 4 बायो-कनेक्ट कार्यालय की स्थापना ➢ बायोटेक इक्विटी फंड 50 करोड़ रुपए - राष्ट्रीय इक्विटी फंड के साथ भागीदारी में बीआईआरएसी ऐस फंड परिचालित होगा और युवा बायोटेक स्टार्टअप को निवेश के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। ➢ बीआईआरएसी क्षेत्रीय उद्यमिता केन्द्रों के माध्यम से जैव उद्यमिता का विस्तार। बीआईआरसी को आवश्यक ज्ञान और अपेक्षित कौशल प्रदान करना है ताकि प्रगतिशील विचारों को सफल कार्यों में परिवर्तित किया जा सके। जैव प्रौद्योगिकी विभाग अगले 3 वर्षों में 3 मिनी-बीआईआरसी के क्षेत्रीय केन्द्र- स्थापित करेगा । ➢ अवसंरचना का सृजन और सुविधाओं द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के अनुसार अनुसंधान किया जाएगा और प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने, प्रकाशन, पेटेंट, ज्ञान और प्रौद्योगिकी में परिणाम प्राप्त किए जाएंगे।	➢ बढ़ी हुई जैव-अर्थव्यवस्था ➢ लोक वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास से उत्पन्न जैव-प्रौद्योगिकियों का सामाजिक लाभ के लिए उपयोग ➢ प्रशिक्षित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे ➢ युवा स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता। ➢ उच्च प्रभाव दैनिकी, पेटेंट में प्रशिक्षित जनशक्ति और प्रकाशन तथा उपलब्धता।

स्कीमों के लिए निर्गमपरिणाम रूपरेखा- 2018-19

मांग सं. 86: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र . .सं	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गमप्रदेय सेवाएं/	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1.	औद्योगिक अनुसंधान और विकास	26.50	• व्यक्तियों की 25 नई नवाचार परियोजनाओं को सहायता; • 6 नई प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन परियोजनाएं; • स्थापित 7 सीआरटीडीएच को सहायता जारी रखना और 4 नए सीआरटीडीएच आरंभ करना; • अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए 20 नई कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों को सहायता दी जानी है; • प्रौद्योगिकीय क्षमता निर्माण और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित 5 नए प्रस्तावों को सहायता दी जानी है; • नवाचार और प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण संबंधी 6 नए अध्ययनों को सहायता दी जानी है।	• स्केल-अप/मार्केट सीडिंग/नए उद्ययम सृजन के लिए 10 नवाचारों का प्रदर्शन और 5 स्टार्ट-अप का सृजन; • व्यावसायीकरण के लिए 3 प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन; • सीआरटीडीएच में सुविधाओं के उपयोग के लिए 20 नए उद्यमों और सीआरटीडीएच के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं; • विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत लगभग 100 महिलाओं को श्रेष्ठतर प्रौद्योगिकीय कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे उनके उत्पादन और आय में वृद्धि होगी;
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता	15.00	• भारतीय रेल के लिए उत्पादों का विकास (एसएसडीएससी) और आधुनिक एसएसडीएससी • सीईएल में संयंत्र और उपस्कर का आधुनिकीकरण और उन्नयन; • 10 सराहनीय नवाचार पुरस्कार; • 24 एमएसएमई को आईपीआर सेवाएं प्रदान किया जाना; • 25 **लैब स्केल प्रौद्योगिकियों को व्यावसायिक स्तर तक ले जाने के लिए मूल्य संवर्धन**; • 25 प्रदर्शनियों, 3 उद्योग गोष्ठियों को आयोजित करना/उनमें भाग लेना; • बाधित विनिर्माण स्टार्ट-अप को इनक्यूबेशन केंद्रों में सीड फंडिंग ;	• रेलवे उत्पादों के प्रोटोटाइप्स को विकास हेतु तैयार किया जाना; • अग्निरोधक और अग्निशमन प्रणाली का आधुनिकीकरण; • सौर उद्यान का विकास • रोजगार अवसर प्रदान करते हुए आविष्कारकों को मान्यता और प्रोत्साहन; • आईपी फाइलिंग और आईपी और उसके संरक्षण के महत्व के संबंध में जागरूकता में वृद्धि; • प्रौद्योगिकी हस्तांतरणों में सरलता के परिणामस्वरूप स्टार्ट-अप्स/नए उद्यम ;

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं.: 87 - पोत परिवहन मंत्रालय

(**करोड़ रुपए**)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
महापत्तनों का विकास				
1	कैपीटल निकर्षण परियोजना - वीओसी पत्तन न्यास	67.71	कैपीटल एवं अनुरक्षण निकर्षण, संपर्क आदि सहित अवसंरचना विकास और पत्तन अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए सहायता	अपेक्षाकृत बड़े जलयानों के लिए अपेक्षाकृत अधिक गहरे डुबाव के लिए और परिणामस्वरूप कार्गो बढ़ाने के लिए।
2	कोचीन पत्तन न्यास- भूमिगत मार्ग/आरओबी का निर्माण	34.86	आईसीटीटी एवं सीएफएस से कंटेनरो की शीघ्र निकासी के लिए भूमिगत मार्ग, अस्थायी लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आईसीटीटी में रेल ऊपरी पुल जिसे सड़क यातायात की भीड़ से राहत मिले	कार्गो की शीघ्र निकासी के लिए सुविधा
3	वल्लारपदम -कोचीन पत्तन न्यास में आईसीटीटी के लिए रेल संपर्क			
4	तटीय सड़क संरक्षण कार्य - चेन्नै पत्तन न्यास	23.00	कार्य के शतप्रतिशत पूरा हो जाने के बाद तटीय सड़क के समीप समुद्र तट का क्षरण रूक जाएगा।	तटीय सड़क के समीप समुद्र तट के क्षरण से बचने के लिए
5	4 लेन का सड़क संपर्क (मुरगांव पत्तन न्यास)	35.00	4 लेन का सड़क संपर्क	यातायात को तेजी से निकालने और यात्रियों का तेजी आवगमन संभव होगा
6	स्वच्छता कार्य योजना	8.00	4 महापत्तनों अर्थात् कोचीन पत्तन, चेन्नै पत्तन, मुरगांव पत्तन और कोलकाता पत्तन में स्वच्छता कार्य	पत्तन के वातावरण में स्वच्छता
लघु पत्तनों का विकास				
1	अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य	140.00	अंडमान लक्षद्वीप में जैटियों, ब्रेकवाटर के निर्माण, टगों की खरीद, कार्गो हैंडलिंग उपकरणों के उन्नयन और नए निर्माण कार्यों के अध्ययन से संबंधित विभिन्न बंदरगाह निर्माण कार्य	लघु पत्तनों पर यातायात की मात्रा/कार्गो हैंडलिंग की क्षमता बढ़ाना
1	तेल प्रदूषण प्रशमन उपाय	10.00	तेल प्रदूषण से निपटने और प्रशमन उपायों के लिए प्रदूषण प्रतिक्रिया	तेल प्रदूषण से निपटने के लिए उपकरण/सामग्री

			उपकरण/सामग्री की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी	
2	पोत परिवहन मंत्रालय का विकास पक्ष	4.00	अनुसंधान एवं विकास कार्य	
नौवहन एवं पोत निर्माण				
1	गैर-सरकारी पीएसयू शिपयार्डों और निजी क्षेत्र के शिपयार्डों को सब्सिडी	30.00	जलयानों का निर्माण एवं डिलिवरी	अलग-अलग शिपयार्डों में जहाज निर्माण को प्रोत्साहन जिससे रोजगार का सृजन होगा
2	अनुसंधान एवं विकास (नौवहन क्षेत्र)	0.05	जहाज निर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु सहायता अनुदान	
अंतर्देशीय जल परिवहन				
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	360.00	अंतर्देशीय जलमार्ग से हैंडिल किए गए यातायात/कार्गो की मात्रा, क्षमता बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए अवसंरचना एवं अन्य सहायता	पूर्वोत्तर के लिए माल और लोगों का आसान परिवहन और बेहतर संपर्क
2.	पूर्वोत्तर में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	140.00		
3	बंग्लादेश को सहायता	8.00	बंग्लादेश सरकार के साथ पारगमन एवं व्यापार समझौते से उत्पन्न व्यय पूरा करने के लिए	अन्य देशों के साथ कार्य शुरू करना
केन्द्रीय क्षेत्र की अन्य स्कीमें				
1	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	10.75	महापत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान	
2.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का विकास	30.00	समुद्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री पर्यावरण, सामाजिक-आर्थिक आदि जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समुद्री अध्ययन एवं विस्तार कार्य को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आईआईटी द्वारा तैयार की जा रही है।	समुद्री क्षेत्र में शिक्षा एवं शोध की व्यवस्था करना
3	एचडीपीई	1.65	शेष कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए ऋण	एचडीपीई जो घाटे में चल रही है, का पुनर्गठन

4	अनुरक्षण निकर्षण सब्सिडी-कोलकाता पत्तन न्यास	155.01	हल्दिया और केडीएस चैनल के डुबाव को बनाए रखना	

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 88: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्र क्षेत्र की स्कीम			
	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना			
1	कौशल विकास (व्यापक स्कीम)	2134.31	(i) 1952.34 करोड़ रुपए की परिव्यय वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्कीम घटक के तहत 30 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है। (ii) 44.77 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की तकनीकी सहायता स्कीम के योजना घटक के तहत 5.15 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए 484 जिलों में 527 प्रधान मंत्री केन्द्र। (iii) ईएपी स्कीम घटक- आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक सहायता से मिशन मोड में कार्यान्वित की जाना है, इसका परिव्यय 130.18 करोड़ रुपए है। (iv) मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घटक के तहत संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर यूक्येरी एवं आस्ट्रेलिया के साथ कार्य किए जाएंगे, इसका परिव्यय 6.37 करोड़ रुपए है। (v) विश्व कौशल, भारत घटक, जिसका परिव्यय 21.31 करोड़ रुपए है, के तहत विश्व कौशल में चयन एवं कार्यक्रम भागीदारी के लिए राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।	**(i)** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्कीम घटक के तहत रोजगार क्षमता बढ़ाना। **(ii)** एनएसडीसी की तकनीकी सहायता स्कीम के योजना घटक के तहत आदर्श प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना। **(iii)** ईएपी के स्कीम घटक- आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) के तहत कौशल विकास और लाभप्रद रोजगार। **(iv)** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घटक के तहत बेहतरीन वैश्विक पद्धतियों से सीखना। **(v)** विश्व कौशल - भारत घटक के तहत, पूरे विश्व में भारत की कौशल संभावना दर्शाना/बढ़ाना
2	उद्यमित विकास (व्यापक स्कीम)	87.86	(i) प्रधान मंत्री युवा उद्यमिता अभियान के स्कीम घटक के तहत 67.86 करोड़ रुपए के परिव्यय से उद्यमिता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए 2.67 छात्रों को शामिल किया जाएगा। (ii) 5 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली स्कीम घटक- भावी उद्यमिता हेतु सहयोग एवं परामर्श के तहत एसएफसी नोट तैयार किया जा रहा है।	देश में युवाओं की उद्यमशील क्षमता में वृद्धि।

			(iii) राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार योजना घटक के तहत उद्यमियों और उनके ईको-सिस्टम निर्माताओं को पूरे देश में 24 पुरस्कार दिए जाएंगे और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का परिव्यय है। (iv) 5 करोड़ रुपए के परिव्यय में भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) में सामान्य सुविधा भवन का निर्माण।	
3	राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन कार्ड	24.75	20 लाख छात्रों का प्रमाणन	परीक्षा/मूल्यांकन और प्रमाणन में शामिल प्रक्रियाओं को सुसंगत और सौहार्दपूर्ण बनाना
4	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी	20.00	सरकारी और निजी क्षेत्र में कौशल विकास प्रयासों का समन्वय एवं सामंजस्य	कौशल प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त करना तथा सामाजिक, क्षेत्रीय, लिंग एवं आर्थिक अंतर को भरने का प्रयास करना।
5	बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान आदर्श/ आईटीआई	50.00	1208-19 में 10000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए 50 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।	युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी।
6	प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण (व्यापक स्कीम)	746.39	(i) 90 करोड़ रुपए के परिव्यय में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम के स्कीम घटक के तहत 45000 शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। (ii) 22 करोड़ रुपए के परिव्यय में मौजूदा आईटीआई को आदर्श आईटीआई में उन्नयन घटक के तहत 29 विद्यमान आईटीआई का आदर्श आईटीआई में उन्नयन। (iii) 30.50 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास और संरचना के विस्तार की स्कीम घटक के तहत 4 नई आईटीआई का उन्नयन और 2 मौजूदा आईटीआई में अवसंरचना की कमी को पूरा करना। (iv) 0.75 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन घटक के तहत पीपीपी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन की निगरानी। (v) 19.35 करोड़ रुपए के परिव्यय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों के लिए कौशल विकास घटक के तहत 5 नए आईटीआई और 6 एसडीसी। (vi) 48 करोड़ रुपए के परिव्यय से नए एटीआई/भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना घटक के तहत 12 जिलों में 4600 शिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए पीपीपी मोड में 12 एटीआई और भारतीय कौशल संस्थान।	**(i)** एनएपीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यबल की उपलब्धता। **(ii)** मौजूदा आईटीआई के आदर्श आईटीआई में उन्नयन और 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन घटक के तहत बेहतर प्रशिक्षण सुविधा। **(iii)** ईएसडीआई स्कीम घटक के तहत अतिरिक्त 400 प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधा। **(iv)** एलडब्ल्यूई स्कीम घटक के तहत आईटीआई में 500 अतिरिक्त प्रशिक्षुओं और एसडीसी में 600 प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि। **(v)** नए एटीआई/भारतीय कौशल संस्थान के स्थापना घटक के तहत अच्छे अनुदेशकों की उपलब्धता। **(vi)** ईओएम एण्ड यू स्कीम घटक के तहत कुशल कार्यबल एवं अनुदेशकों की उपलब्धता। (vii) एनआईएमआई स्कीम घटक के तहत 13156 आईटीआई और नई

			(vii) डीजीटी संस्थाओं के स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण एवं उन्नयन के स्कीम घटक के तहत 50000 अभ्यर्थियों/निर्देशकों को दीर्घकालिक / अल्पकालिक सीआईटीएस/एवीटीएस/अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्क्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण। (viii) 6 करोड़ रुपए के परिव्यय में राष्ट्रीय इन्स्ट्रक्शनल मीडिया इन्स्टीट्यूट स्कीम घटक के तहत 500 अनुदेश प्रशिक्षण सामग्री। (ix) 27 करोड़ रुपए के परिव्यय में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना स्कीम घटक के तहत 400 उत्कृष्टता केन्द्रों में प्रशिक्षण। (x) 2018-19 में 35.50 करोड़ रुपए के परिव्यय से ईएपी-स्ट्राइव (औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण) स्कीम घटक के तहत आईटीआई ईको-सिस्टम को पुनर्जिवित करना। इसमें 100 निजी आईटीआई सहित 500 आईटीआई की सेवा गुणता में सुधार शामिल है। (xi) नए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों की स्थापना घटक स्कीम के तहत मौजूदा 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों के अतिरिक्त भोपाल, मोहाली, गोहाटी में 3 नए क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित किए जा रहे हैं। (xii) 6 करोड़ रुपए के परिव्यय से आईटीआई के आईएसओ प्रमाणन घटक के तहत प्रशिक्षण का स्तर उठाने के लिए चुनिंदा आईटीआई का आईएसओ प्रमाणन किया जाएगा। (xiii) 2018-19 में 3.50 करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्तराखण्ड और हरियाणा में महिलाओं के लिए दो प्रशिक्षुता प्रशिक्षण संस्थान शुरू कर दिए गए हैं।	आईटीआई में बेहतर ई-शिक्षण विषय-वस्तु उपलब्ध होगी। (viii) वीटीआईपी घटक के तहत कुशल जनशक्ति की उपलब्धता। **(ix)** आरडीएटी घटक के तहत 70000 प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षण सुविधा **(x)** स्ट्राइव घटक के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रासंगिता और दक्षता में सुधार।
7	पालीटेक्निक्स स्कीम	190.00	(1)300 नए पालीटेक्निक्स की स्थापना (2)मौजूदा 500 पालीटेक्निक्स का उन्नयन (3)चयनित 500 पालीटेक्निक्स में महिला हॉस्टलों का निर्माण (4) पालीटेक्निक्स के जरिए सामुदायिक विकास	(1)प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि (2) सीडीटीपी स्कीम से दक्ष जन-शक्ति की उपलब्धता

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं.-89: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	कुल अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1.	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3000.00	60 लाख छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा	छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति ली है
2.	अनुसूचित जातियों को विशेष केन्द्रीय सहायता- उप योजना	1000.00	अनुसूचित जाति के 7.7 लाख लाभार्थी सहायता के पश्चात् आमदनी के कार्य कर सकेंगे	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने सहायता के पश्चात् आमदनी के कार्य शुरू किए
3.	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां	300.00	अनुसूचित जाति के 10000 छात्रों को नए/नवीकरण मामलों के लिए शोध/एमफिल/पीएचडी करने के लिए अध्येतावृत्ति मिलेगी	शोध/एमफिल/पीएचडी करने के लिए अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या बढ़ाना
4.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	137.39	अनुसूचित जाति के 1.25 लाख लाभार्थियों को रोजगार परक कार्यों के लिए सस्ते ऋण	अनुसूचित जाति के रोजगार परक कार्यों के लिए सस्ते ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
5.	नागरिक अधिकार निवारण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	403.72	दोनों अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों का कारगर कार्यान्वयन	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों की संख्या बढ़ाना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की संख्या में वृद्धि
6.	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	15.00	विदेशों में उच्चतर शिक्षा के लिए 100 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी	ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने उच्चतर शिक्षा विदेशों में पूरी की
7.	अनुसूचित जातियों के लिए उच्च शिक्षा	35.00	अनुसूचित जाति के 2050 छात्रों को राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थाओं सहित प्रतिष्ठित सरकारी व्यावसायिक संस्थाओं में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति	राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थाओं सहित प्रतिष्ठित सरकारी व्यावसायिक संस्थाओं में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या बढ़ाना
8.	अस्वच्छ पेशे में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	5.0	3 लाख छात्रों को कक्षा 1 से 10 तक अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्तियां	ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने कक्षा 1 से 10 तक अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्तियां लीं
9.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	125.0	30 लाख छात्रों को कक्षा 1 से 10 तक अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्तियां	ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने कक्षा 1 से 10 तक अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्तियां लीं
10.	अनुसूचित जातियों के लिए बालिका छात्रावास	155.45	इस स्कीम के अंतर्गत 5025 छात्राएं लाभांवित होंगी	अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रावास सुविधा का लाभ उठाने वाली छात्राओं की संख्या बढ़ाना

11.	अनुसूचित जाति के बालकों के लिए छात्रावास	5.00	इस स्कीम के अंतर्गत 310 छात्रों को लाभ होगा	अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रावास सुविधा का लाभ उठाने वाली छात्रों की संख्या बढ़ाना
12.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	70.00	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 140 गांव शामिल किए जाने हैं	आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने वाले गांवों की संख्या बढ़ाना
13.	अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग	30.00	प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए 3250 छात्रों को कोचिंग दी गई	प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए कोचिंग दिए गए छात्रों की संख्या बढ़ाना
14.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	30.00	19350 सफाई कर्मचारियों और झाड़ू लगाने वालों को एसएचजी बनाने के लिए सस्ते ऋण और सहयाता मिलेगी	सस्ते ऋण प्राप्त करने वाले सफाई कर्मचारियों और झाड़ू लगाने वालों की संख्या बढ़ाना।
15.	अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड	140.00	55 अजा उद्यमियों को अजा वर्ग में उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग दी जाएगी	अजा वर्ग में उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड दिए जाने वाले उद्यमियों की संख्या बढ़ाना।
16.	अनुसूचित जाति के लिए क्रेडिट वृद्धि गारंटी योजना	0.01	इस स्कीम के अंतर्गत 5 अजा उद्यमियों को क्रेडिट गारंटी का लाभ मिलेगा	इस स्कीम के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी का लाभ उठाने वाले अजा उद्यमियों की संख्या बढ़ाना।
17.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	20.00	75000 अजा लाभार्थियों को सस्ता ऋण मिलेगा	सस्ता ऋण प्राप्त करने वाले अजा लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
18.	हाथ से झाड़ू लगाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना	20.00	हाथ से झाड़ू लगाने वालों को एक-बारगी नकद सहायता कौशल प्रशिक्षण, राजगार सृजन कारक कार्यों के लिए सस्ते ऋण प्रदान किया जाना	हाथ से झाड़ू लगाने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना जिन्हें एक-बारगी नकद सहायता कौशल प्रशिक्षण, राजगार सृजन कारक कार्यों के लिए सस्ते ऋण प्राप्त किए।
19.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	1.00	चिकित्सा सहायता, अंतर-जातीय विवाह और कक्षा 10 एवं 12 के छात्रों को योग्यता पुरस्कार हेतु अजा/अजजा को प्रदान की गई सहायता	चिकित्सा सहायता, अंतर-जातीय विवाह और कक्षा 10 एवं 12 के छात्रों को योग्यता पुरस्कार हेतु अजा/अजजा की संख्या बढ़ाना।
20.	अजा के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	50.00	कौशल विकास के तहत 20000 लोगों के साथ-साथ इस स्कीम के तहत दिए गए अनुदान से 50000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे	इसी स्कीम के तहत दिए गए अनुदान से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना।
21.	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1100.00	40 लाख छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा	अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाना।
22.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	100.00	अन्य पिछड़े वर्गों के 1.35 लाख लाभार्थियों को आमदनी परक कार्यों के लिए सस्ते ऋण का लाभ मिलेगा	आमदनी परक कार्यों के लिए सस्ता ऋण प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
23.	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	232.00	25 लाख छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा	अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाना।

24.	अन्य वर्गों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अद्येतावृत्ति	110.00	1500 छात्रों को नए/नवीकरण मामलों के लिए शोध/एमफिल/ पीएचडी करने के लिए अध्येतावृत्ति मिलेगी	नए/नवीकरण मामलों के लिए शोध/एमफिल/ पीएचडी करने के लिए अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाना
25.	अन्य वर्गों के छात्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति	10.00	1200 छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा	विदेश में अध्ययन के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाना।
26.	अन्य वर्गों के छात्रों के लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहायता	30.00	अन्य वर्गों के 25275 लाभार्थियों को आमदनी परक कार्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा	आमदनी परक कार्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का लाभ उठाने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
27.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना (शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति)	103.00	2 लाख छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा	अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
28.	अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास	50.00	अपना अध्ययन पूरा करने के लिए 4500 छात्रों को छात्रावास सुविधा का लाभ मिलेगा	अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रावास सुविधा का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
29.	अनधिसूचित यायावरी जातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजना	10.00	अपना अध्ययन पूरा करने के लिए 24225 छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा	अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
30.	सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	3.00	जम्मू एवं कश्मीर राज्य में व्यापक राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना	पेंशन के माध्यम से विधवाओं, अनाथों, वरिष्ठ नागरिकों को राहत एवं पुनर्वास, युवा विधवाओं, बड़ी पुत्रियों के लिए विवाह सहायता, व्यावसायिक अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, विकलांगों/दिव्यांगों को सहायता (आतंकवाद से पीड़ित) सुनिश्चित करना।
31.	मादक पदार्थों के दुरूपयोग के संबंध में वर्तमान पद्धति एवं प्रवृत्ति के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण	7.00	सर्वेक्षण समय से पूरा करना	सभी राज्यों की हर संभव मीट्रिक्स के साथ समय से सर्वेक्षण पूरा किया।
32.	शराब की लत और मादक पदार्थों का दुरूपयोग रोकना	50.00	इस स्कीम के अंतर्गत 1,18000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे	इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ाना।
33.	शोध अध्ययन एवं प्रकाशन	5.00	आवश्यकता के आधार पर विभाग के कार्यक्रमों और स्कीमों का अन्य पक्षकार से मूल्यांकन करना	विभाग के कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्य निष्पादन और परिणाम का मूल्यांकन।
34.	सूचना एवं जन शिक्षा प्रकोष्ठ	65.00	विभाग के कार्यक्रमों और स्कीमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया कवरेज और विज्ञापन	विभाग के कार्यक्रमों और स्कीमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया कवरेज और विज्ञापन बढ़ाना।
35.	वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	60.00	आईपीओपी स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 52215 लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा	आईपीओपी स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
36.	शराब की लत और मादक पदार्थों का दुरूपयोग रोकने के संबंध में राष्ट्रीय नीति	155.50	इस स्कीम के अंतर्गत 27000 लाभार्थी (मादक पदार्थों के आदी) लाभान्वित होंगे	इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों (मादक पदार्थों के आदी) की संख्या बढ़ाना।

37.	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना	1.00	विधान पारित किया जाना है जिसके आधार पर स्कीम बनाई जाएगी	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण।
38.	भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	0.50	भिखारियों का कल्याण	भिखारियों का कल्याण

स्कीमों के लिए निर्गम-परिव्यय रूपरेखा 2018-19
मांग सं. 90 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	2	3	4	5
	केन्द्र प्रायोजित स्कीम			
1	फिटिंग उपस्करों की खरीद के लिए दिव्यांगजनों को सहायता	220.00	• विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए 35 तरह के सस्ते और उपलब्ध सहायक उपस्कर। • एडीआईपी के तहत 200 जिले शामिल • 2.85 लाख दिव्यांगजन लाभार्थियों को सहायक उपस्कर और उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। • 71, 250 महिला लाभार्थी • 45,600 एससी लाभार्थी • 42, 800 एसटी लाभार्थी • दिव्यांगजनों हेतु कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 विज्ञापन	i) सामान्य जिंदगी जीने के लिए विकलांगता के प्रभाव को कम करना ii) सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों में सभी वर्ग के लोगों की अधिकाधिक भागीदारी
2	राज्य इस्पाइनल इंजुरी केन्द्रों की स्थापना	5.00	i) इस्पाइनल इंजुरी का मुफ्त इलाज और प्रबंध-व्यवस्था करने के लिए कम से कम दो केन्द्रों की स्थापना ii) मौजूदा केन्द्रों को सहायता जारी रखना और प्रत्येक केन्द्र में 2500 बिस्तर मुहैया कराना	आर्थिक रूप से कमजोर स्पाइनल रोगियों की सेवा के लिए
3	भारतीय स्पाइनल इंजुरी केन्द्र, नई दिल्ली	2.00	समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के स्पाइनल इंजुरी से पीड़ित लोगों को स्पाइनल इंजुरी के उपचार और व्यवस्था पर परिपूरक व्यय करके प्रतिवर्ष उन्हें 1953 बिस्तरों का लाभ देना	आर्थिक रूप से कमजोर स्पाइनल रोगियों की सेवा के लिए
4	'ब्रेल प्रेसों की स्थापना, आधुनिकीकरण, क्षमता वर्धन हेतु सहायता' की केन्द्र क्षेत्र की स्कीम	10.00	i) राज्यों में 3 नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना ii) संघ शासित प्रदेशों में ब्रेल प्रेस की 2 छोटी इकाईयों की स्थापना iii) ब्रेल प्रेसों के लिए अनावर्ती अनुदान और पहले से स्थापित ब्रेल प्रेसों के लिए आवर्ती अनुदान के रूप में 10 करोड़ रुपए जारी करना।	दृष्टिबाधित स्कूली बच्चों की ब्रेल पुस्तकों सहित अन्य जरूरतों के लिए
5	दिव्यांग छात्रों के लिए दीन दयाल पुनर्वास स्कीम अध्येतावृत्ति	70.00	i) शमिल किए जाने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या - 700 ii) शमिल किए जाने वाले लाभार्थियों	

			की संख्या - 4200	
		75.66	शिक्षा के माध्यम से 30000 दिव्यांग छात्रों को सशक्त बनाना। अध्येतावृत्ति के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए दो या तीन विज्ञापन और अन्य कार्यकलाप।	
6	देश के 5 क्षेत्रों में मूक-वधिर लोगों के लिए एक कालेज की स्थापना	3.00	देश के पांच क्षेत्रों में प्रत्येक में मूक-वधिर कालेजों की क्षमता बढ़ाने के लिए अनुदान जारी करना	उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मूक-वधिरों के लिए प्रावधान
7	राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता	17.00	शीघ्र इंटरवेंशन करने वाले केन्द्रों,आवासीय स्वास्थ्य देखभाल करने वाले केन्द्रों को सहायता और दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य बीमा, 1,05,000 दिव्यांगजन लाभान्वित	
8	एसआईपीडीए (एआईसी, कौशल प्रशिक्षण), (क)जागरूकता बढ़ाना और प्रचार (ख)विकलांगता से जुड़ी प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दों पर अनुसंधान (ग) केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना और जागरूक बनाना (घ) दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहन देना	300.00		
8(क)	सुगम्य भारत अभियान		i) दिव्यांगों के लिए प्रमुख टीवी चैनलों में हरेक चैनल पर कम से कम एक कार्यक्रम ii) 600 सुगम्य सरकारी वेबसाइट्स iii) 600 पब्लिक बिल्डिंग सुगम्य बनाई जाएंगी iv) दिव्यांगजनों के लिए सुविधापूर्वक आने-जाने के लिए सुगम्य परिवहन प्रणाली v) दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी देना	

8(ख)	एसआईपीडीए स्कीम के तहत कौशल प्रशिक्षण		• 40000 लाभार्थियों को बेहतर व्यावसायिक प्रशिक्षण देना • 25000 लाभार्थियों को रोजगार पाने योग्य बनाना • 550 घरेलू प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना • प्रशिक्षण में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना • प्रशिक्षण और प्लेसमेंट प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी • सभी प्रशिक्षुकों को व्यक्तिगत सहायक उपस्करों का प्रावधान करना • महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देना	दिव्यांगजनों के रहन-सहन के स्तर को बढ़ाना। दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों में भागीदारी बढ़ाना।
8(ग)	*जागरूकता सृजन और प्रचार स्कीम (*2018-19 से एसआईपीडीए स्कीम में शामिल की जाएगी)	3.00	दिव्यांगजनों के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और जानकारी देने के लिए अनुदान जारी करना	
8(घ)	केन्द्र और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण और उन्हें जागरूक बनाना (*2018-19 से एसआईपीडीए स्कीम में शामिल की जाएगी)	2.00	i) 4000 प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ii) कम से कम 75 बैच पूरे किए जाएंगे। iii) 28 राज्यों को शामिल किया जाएगा।	

स्कीमों के लिए निर्गम-परिव्यय रूपरेखा 2018-19
मांग सं. 91: अंतरिक्ष विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	2	3	4	5
1.	अनुसंधान एवं विकास, प्रक्षेपण यानों एवं अंतरिक्ष यानों के लिए प्रौदयोगिकी डिजाइन और अंतरिक्ष व्यवस्था का उपयोग	6576.02	• 3 पृथ्वी प्रेक्षण अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के लिए तैयार है। • 4 पीएसवी उड़ाने • एक जीएसएलवी एमके-III उड़ान • एक जीएसएलवी।	• बेहतर क्षमताओं के साथ ईओ सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष अवसंरचना का विस्तार • स्वदेशी और वाणिज्य उपग्रहों के लिए प्रचालन संबंधी प्रक्षेपण सेवाएं सुनिश्चित करना • जीयो-सिंक्रोनस ट्रांसफर ओर्बिट में 4 टन श्रेणी के संचार उपग्रह के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भरता • जीयो-सिंक्रोनस ट्रांसफर ओर्बिट में 2.5-3 टन श्रेणी के संचार उपग्रह के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भरता
2.	ईओ, संचार, आपदा प्रबंधन आदि के लिए एप्लिकेशन डिजाइन एवं विकास	1746.25	• 9 ईओ/संचार पेलोड • 5 आपदा घटनाओं के लिए सूचना सहायता • राष्ट्रीय मिशन और प्रयोक्ता परियोजनाओं की सहायता के लिए 8500 नक्शे • 300000 मूल्य वर्धित उत्पाद प्रयोक्ताओं को बांटे गए	प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक आपदाओं, कृषि योजना, अवसंरचना योजना के इष्टतम प्रबंधन के बारे में सूचना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं तक पहुंच।
3.	अंतरिक्ष विज्ञान मिशन अंतर ग्रह अभियान चलाना	230.10	• भारतीय लूनर मिशन/चंद्रयान-II का कार्यान्वयन • आदित्य-एल1 मिशन के लिए 2 उप प्रणालियों की तैयारी • अंतरिक्ष विज्ञान मिशन के 35 प्रकाशन • उपयोग के लिए अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित डाटा 2टीबी जनता के लिए जारी किया जाना • इसरो के कार्यक्रम के माध्यम से एकेडैमिया समर्थित 250 अनुसंधान परियोजनाएं	ब्रह्माण बेहतर ढंग से समझने के लिए अंतरिक्ष अवसंरचना की डिजाइन एवं विकास के लिए स्वदेशी क्षमता का विकास
4.	दो संचार उपग्रह पूरे करना और उनका प्रक्षेपण	411.60	• इस वर्ष 2 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने है	दूरसंचार/टेलीविजन प्रसारण, आपदा संचार, दूर शिक्षा एवं दूर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विद्यमान सेवाओं का विस्तार और उनको सहायता

स्कीमों के लिए उत्पादन-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 92: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	क्षमता विकास स्कीम	208.00		
1.1	क्षमता विकास (मुख्य स्कीम)			
1.1	क्षमताविकास (मुख्य स्कीम)	192.93	• राष्ट्रीय लेखाओं, आर्थिक, मूल्य और सामाजिक क्षेत्र की सांख्यिकी की गुणता, व्यापकता और सामयिकता में सुधार करना • विशिष्ट अल्प/मध्यम कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों,जिनमें घरेलू और विदेश अध्ययन घटक शामिल है, के माध्यम से नीतियों के बेहतर निरूपण, मूल्यांकन के लिए डाटा संग्रहण,मिलान, मूल्यांकन और प्रचार के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक सांख्यिकी में प्रशिक्षित जनशक्ति का एक पूल तैयार करना। • प्रत्येक स्तर पर समय अंतराल को कम करने के लिए शासकीय सांख्यिकी के संग्रहण, प्रक्रमण, संकलन और प्रचार के लिए आईसीटी और ऑनलाइन प्रणाली का बढ़ा हुआ प्रयोग • समयोचित भरोसेमंद और विश्वसनीय सामाजिक-आर्थिक आकड़ों के लिए केंद्रीय और राज्य सांखियकी संगठनों के साथ बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित करना • अर्बन फ्रेम सर्वे के डिजीटाइजेशन द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक नमूने के सर्वे के लिए एनएसएसओं का सुदृढ़ीकरण, डाटा संग्रहण और संचार के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नए क्षेत्रिय कार्यालयों/डाटा संसाधन केंद्र खोलना; पूर्वोत्तर क्षेत्रों को सहायता अनुदान, आवधिक श्रम बल सर्वे का संचालन। • केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने सांख्यिकी कार्मिकोंके प्रशिक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक परामर्श देकर सहायता करना; डिजायनिंग और सर्वे और अनुसंधान करना और अपने	• राष्ट्रीय लेखा अनुमानों के संकलन में सुधार • कीमतों के उतार-चढ़ाव का पता लगाना जो व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था और जनता पर प्रभाव डालते है। • दक्ष संग्रहण के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता और बेहतर गुणता के साथ डाटा प्रबंधन • कम समय अंतराल में डाटा जारी करना और शासकीय आंकड़ों को अधिक स्पष्ट बनाना • औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न समूहों/संकेतकों के अनुमान की उपलब्धता • मुख्य सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के बारे में आंकड़ों की उपलब्धता और इससे लक्षित नीति के निरूपण में सहायता करना • पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एनएसएसओ की सर्वे क्षमताओं में वृद्धि • श्रम बाजार का मूल्यांकन करना और श्रम बल भागीदारी दर कार्य आबादी अनुपात और बेरोजगारी दर का अनुमान लगाना,उद्योग और

			सांख्यिकी संस्थानों और संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए। • मंत्रालय के डाटा उत्पादों के प्रचार के लिए विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफार्म का ईष्टतम उपयोग करना और मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न सांख्यिकी उत्पादों के बारे में हितधारकों के साथ बातचीत करना।	व्यवसाय द्वारा कामगारों का वितरण, कामगारों की औसत कमाई आदि।
1.2	**उप स्कीम सांख्यिकी :** सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता	15.00	• समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता • नए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना	संग्रहण, संकलन से संबंधित राज्य सांख्यिकी प्रणालियों को सुदृढ़ करना और राज्य और उप-राज्य स्तरों पर नीति बनाने के लिए विश्वसनीय अधिकारियों का प्रचार।
1.3	**उप-स्कीम**: आर्थिक जनगणना	0.07	7वें आर्थिक जनगणना से संबंधित प्रारंभिक कार्य	-
2	आईएसआई को सहायता अनुदान	279.42	सांख्यिकी के क्षेत्र में सर्वोत्तम शिक्षा हेतु शैक्षिक सुविधाओं के लिए धनराशि	आंकड़ा विश्लेषण के क्षेत्र में बेहतर विश्लेषणात्मक जानकारी उपलब्ध होने से अधिक ठोस राष्ट्रीय आंकड़े।
3.	संसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	3950.00	माननीय संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए जिला प्राधिकारियों को धनराशि जारी करना	स्थानीय जरूरतों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर स्थाई लोक परिसम्पतियों का सृजन

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 93: इस्पात मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा	15.00	(1) निम्नलिखित आरएण्डडी परियोजनाओं का कार्य पूरा करना: • मेकॉन लिमिटेड द्वारा परा बैगंनी कैमरा आधारित टारपीडो लेडल कार कंडिशन मानिटरिंग सिस्टम का विकास • एमएनआईटी जयपुर द्वारा राजस्थान के निम्न ग्रेड के कोयले द्वारा मिल स्केल में सीधी कटौती के जरिए लोहे का किफायती उत्पादन • एनएमएल जमसेदपुर द्वारा सिल्कोमैग्नीज के इस्तेमाल से उच्च मैग्नीज स्लैग का मेटलोथर्मिक ट्रीटमेंट करके निम्न कार्बन और निम्न फास्फोरस फेरोमैग्नीज का उत्पादन (2) नई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का अनुमोदन और उन पर कार्य करना	निम्नलिखित क्षेत्रों में जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को पूरा करके निम्न ग्रेड के लौह अयस्क के उपयोग, कोक के विनिर्माण के लिए कोयला मिश्रण की गुणता में सुधार, उत्पादकता एवं उत्पाद गुणता में विकास, नए उत्पादों के विकास, अपशिष्ट में चक्रण/पुनःप्रयोग के लिए प्रक्रिया/प्रौद्योगिकियों का विकासः • अच्छी गुणता के धातु विज्ञान संबंधी कोक का उत्पादन • निम्न ग्रेड के कोयले द्वारा मिल स्केल में सीधी कटौती • इंडक्शन फर्नेस में अच्छे इस्पात के उत्पादन के लिए अग्निरोधी लाइनिंग सामग्री • टारपीडो लेडल कार के लिए स्थिति निगरानी व्यवस्था। • निकिल-मुक्त नाइट्रोजन के लिए आस्टैनीटिक स्टेनलेस स्टील। • मॉडल आधारित ब्रेकआउट पूर्वानुमान प्रणाली। • उच्च गुणता के फैरो मैग्नीज का उत्पादन। • मिल स्केल और लीन ग्रेड कोयला से डीआरआई का उत्पादन। • जटिल शोधन वाले अयस्कों की रिडक्शन रोस्टिंग।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 94: वस्त्र मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम**			
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन स्कीम	90.00	बिजली करघा, सिल्क, जूट, हथकरघा, हस्तशिल्प और वस्त्र-परिधान जैसे सभी श्रेणी के वस्त्र क्षेत्रों का व्यापक विकास	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र का समग्र विकास
2.	एकीकृत कौशल विकास स्कीम	200.00	वस्त्र क्षेत्र में प्रशिक्षित और नियुक्त किए जा रहे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना	नियोजन योग्य कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ने से इस क्षेत्र में उच्च उत्पादकता की संभावना
3.	रेशम उत्पादन	500.61	50 नई परियोजनाएं शुरू की जानी है, 35 परियोजनाएं समाप्त की जा रही है। 240 प्रौद्योगिकीयों का प्रचार-प्रसार किया जाना है और 15770 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	सिल्क क्षेत्र में अधिक क्षमता निर्माण से उत्पादकता ज्यादा होगी और गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलेंगे
4.	सीएचसीडीएस 4.1 हथकरघा मेगा क्लस्टर	30.00	चल रही 09 हथकरघा मेगा क्लस्टर परियोजनाओं का समेकन।	क्लस्टर दृष्टिकोण लेकर और विपणन सहायता बढ़ने से हथकरघा क्षेत्र का विकास
	4.2 विपणन और सहायता सेवाएं	34.20	111 घरेलू कार्यक्रमों और 24 अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए सहायता	
5.	एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्कीम	30.00	एसआईटीपी के तहत स्वीकृत 47 चालू परियोजना टेक्सटाइल पार्क को पूरा करना	वस्त्र क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के सृजन के बाद उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी
6.	एकीकृत प्रसंस्करण विकास स्कीम	3.80	पर्यावरण संबंधी मानकों का पालन करने के लिए लगभग 4000 प्रसंस्करण इकाईयों को सहायता दी जाएगी।	इससे वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन करने वाला बनेगा
7.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम 7.1 धागा आपूर्ति स्कीम	150.00	5355 लाख कि.ग्रा. धागे की आपूर्ति की जाएगी	हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि तथा निर्यात में भी वृद्धि
	7.2 आरआरआर पैकेज और व्यापक हथकरघा विकास स्कीम	100.00	31 नए ब्लॉक स्तरीय समूह स्थापित किए जाएंगे और 2000 बुनकरों को लूम-उन्नयन के लिए शामिल किया जाएगा	
	7.3 व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास स्कीम	35.00	60 ब्लॉक क्लस्टर स्थापित किए जाने हैं	
8.	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम	2300.00	अधिक नियत पूंजी निवेश के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना	उच्चतर उत्पादकता के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन
9.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियोटेक्निकल टेक्सटाइल्स का प्रयोग	15.00	• जियोटेक्सटाइल्स से 40 कि.मी. सड़क का निर्माण • ढलानों को सुदृढ़ीकरण की 20	बेहतर बुनियादी सुविधा से वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर पूर्वोत्तर का विकास होगा।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 94: वस्त्र मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
1	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम**			
	बढ़ाने की स्कीम		परियोजनाएं चलाई जानी है • 25 जलाशय परियोजनाएं चलाई जानी है	
10.	राज्य शुल्क छूट	1663.85	निर्यातकों के लिए निर्यात प्रोत्साहन की स्थापना	भारत से कुल निर्यात बढ़ाने के लिए

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 95: पर्यटन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	**पर्यटन अवसंरचना**			
1.1	**स्वदेश दर्शन-** विशिष्ट विषयों पर टूरिस्ट सर्किट्स का एकीकृत विकास	1100.00	2014-15, 2015-16 और 2016-17 में संस्वीकृत 15 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण 13 नई परियोजनाओं का कार्य शुरू किया गया पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास दो विशेष पर्यटन क्षेत्रों का विकास	पर्यटकों के आगमन में वृद्धि राजस्व में वृद्धि चुनींदा क्षेत्रों के रोजगार सृजन में वृद्धि
1.2	**'प्रसाद'** तीर्थ स्थलों के पुनरूत्थान एवं आध्यात्मिक अभियान हेत राष्ट्रीय मिशन	150.00	• 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में स्वीकृत 11 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण • 10 और तीर्थ स्थलों में विकास कार्यकलाप चलाना • 3 विरासत स्थलों में विकास कार्यकलाप चलाना	
1.3	पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	70.00	• भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 5 स्मारकों में साउण्ड एण्ड लाइट शो जारी रखना/इस कार्य को पूरा करना • 4 बंदरगाहों में पर्यटन अवसंरचना सुविधाओं को जारी रखना/इस कार्य को पूरा करना • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक स्मारक का पुनरूत्थान करना • रेलवे स्टेशनों के चलाए जा रहे 25 संयुक्त विकास कार्यों को जारी रखना/यह कार्य पूरा करना • कोंकण रेलवे के तहत 3 रेलवे स्टेशनों पर पर्यटन सुविधाओं को जारी रखना/उनका सुधार कार्य पूरा करना • आईटीडीसी और अन्य केन्द्रीय एजेंसियों-3 द्वारा पर्यटन अवसरचना सुविधाएं मुहैया कराना	
2	**संवर्धन एवं प्रचार**			

2.1	आतिथ्य सत्कार सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	135.00	• महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करना • पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में टीवी अभियान चलाना • ऑनलाइन अभियान चलाना • आउटडोर अभियान चलाना • एसएमएस और अन्य ऐसे माध्यमों से बोर्डिंग पास, पानी और बिजली के बिलों के बारे में विज्ञापन जारी करना • भारत पर्व, पर्यावरण पर्व जैसे बढ़ावा देने वाले विभिन्न समारोहों का आयोजन/उनमें भागीदारी	• पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना • जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन क्षेत्र के लाभों के बारे में लोगों को जागृत करना • देश में घरेलू पर्यटकों की यात्राओं और विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ाना
2.2	बाजार विकास सहायता सहित विदेशों में प्रोत्साहन और प्रचार	454.24	1. विदेशी बाजारों में भारतीय पर्यटन उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि और भारत को पसंदीदा पर्यटक गंतव्यस्थल के रूप में बढ़ावा देना 2. अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स, टूर आपरेटर्स और प्रवासी होलसेलर्स, भारतीय मिशनों और अन्य संगठनों के साथ संयुक्त प्रोत्साहन प्रयास शुरू करना ताकि प्रोत्साहन कार्यकलापों के दायरे को व्यापक बनाया जा सके। 2. व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में प्रभावी, समन्वित और असरदार भागीदारी। 3. भारतीय पर्यटन के विभिन्न उत्पादों को दर्शाने के लिए विदेशों के महत्वपूर्ण बजारों में रोड़-शोज, इंडिया इवनिंग्स, गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन 4. भारतीय आहार और सांस्कृतिक मेलों तथा अन्य प्रोत्साहन समारोहों का आयोजन और उनमें भागीदारी। 5. विश्व पर्यटन दिवस, 2017 के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटित अतुल्य भारत अभियान 2.0 को शीघ्रता से आगे बढ़ाना 6. भारत को गोष्ठियों और सम्मेलनों के गंतव्यस्थलों के रूप में बनाने के लिए प्रोत्साहन देना तथा विदेशी बाजारों में अन्य पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देना जैसे ग्रामीण पर्यटन, मेडिकल व स्वास्थ्य पर्यटन, पर्यटन ट्रेन आदि। 7. आतिथ्य कार्यक्रमों पर जोर देना और इसके लिए मीडिया के लोगों, ट्रैवल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों को	विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ाना

			आमंत्रित कर उन्हें भारत की यात्राओं के बारे में परिचित करना ताकि उन्हें विभिन्न पर्यटन उत्पादों के संबंध में जानकारी मिल सके और वे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेकर उनकी कवरेज कर सकें। 8. यात्रा में छोटे सेवा प्रदाताओं को विपणन विकास सहायता सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा देने के कार्यकलाप चलाए गए जिनमें यात्रा मेलों/प्रदर्शिनियां में भागीदारी, प्रचार सामग्री का उत्पादान, बिक्री यात्राएं आदि शामिल किए गए। मे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध-धर्म सम्मेलन, 2018 आयोजित करना	
3	**प्रशिक्षण**			
3.1	आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/ एनसीएचएमसीटी/ को सहायता	85.00	2 नए संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करना आईएचएम/एफसीआई/आदि की चलाई जा रही 15 परियोजनाओं को धनराशि देना चलाई जा रही 4 परियोजनाओं का काम पूरा करना और उल्लिखित संस्थानों को चालू करना 3 संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उनकी मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करना	शतप्रतिशत रोजगार नियोजन/उद्यमिता

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 96 जनजातीय कार्य मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2018-19**	**परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
क.	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें**			
	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम			
1	**आदिवासी शिक्षा**			
1.1	**अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा**			
1.1.1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1586.00	18.55 लाख छात्र	• कक्षा दसवीं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि • कक्षा ग्यारह और कक्षा बारह के बीच स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी। • पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों की संख्या।
1.1.2	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	350.00	12.10 लाख छात्र	• छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या और उनमें से अगली कक्षा में प्रोन्नत छात्रों की संख्या • 10वीं कक्षा की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की 10वीं कक्षा पास करने की दर • कक्षा I से V, कक्षा I से VII और I से X के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी।
2	**वनबंधु कल्याण योजना**			
2.1	विशेषकर कमजोर आदिवासी समूहों का विकास	260.00	1.25 लाख	• मूलभूत सुविधाओं में सुधार। • साक्षरता दर में वृद्धि। • सफलतापूर्वक पूरी की गई और उनमें से पीवीटीजी द्वारा प्रयोग में लाई जा रही गतिविधियों की संख्या • स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार।
2.2	आदिवासी पर्व, अनुसंधान सूचना और जन-शिक्षा	25.00	उल्लिखित स्कीम में निर्दिष्ट कार्यकलाप	• जनजातीय विरासत को उभारकर दिखाने, प्रलेखन करने और योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
2.3	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	130.00	(i) शिक्षा क्षेत्र में 65057 लाभार्थी (ii) स्वास्थ्य क्षेत्र में 8,67,163 लाभार्थी	• आवासी स्कूल/गैर-आवासी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले और दी गई शिक्षा का लाभ उठा चुके छात्रों की शिक्षा पूरी करने की दर
2.4	निगरानी और मूल्यांकन	5.20	मंत्रालय की सभी स्कीमें	• पूरे किए गए मूल्यांकन/अनुसंधान अध्ययनों की संख्या। • अनुसंधान कार्यों की सिफारिश और मूल्यांकन के नतीजों के अनुसार शुरू की गई नीतिगत पहलें।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग संख्याः 97 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें				
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	6000.00 (नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण)	पिछले चरण से किसी अन्य परियोजना के बचे हुए कार्यों के साथ-साथ मिशन मोड के तहत अभिनिर्धारित 48 परियोजनाओं के लिए कार्य प्रगति पर रहेंगे (इन्हें 2019 में पूरा किए जाने की योजना है)	जून, 2019 तक अतिरिक्त 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता और दिसंबर, 2019 तक अतिरिक्त 34.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन। 15 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त कृषियोग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का उपयोग। फसलों की पैदावार और किसानों की आय में वृद्धि; भू-जल के भराव में वृद्धि और अन्य प्रयोगों के लिए बढ़ी हुई पानी की उपलब्धता के परिणाम।
2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी	2600.00	मिशन मोड में प्राथमिकता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एलटीआईएफ के तहत नबार्ड से ऋणों के ब्याज/मूलधन की अदायगी। 50 भूतल लघु सिंचाई/ जीर्णोद्धार और जलाशयों की मरम्मत स्कीम को पूरा करना; 0.20 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन।	एलटीआईएफ ऋणों के लिए ऋण सर्विसिंग। निम्नलिखित में सुनिश्चित सिंचाई के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि: (i) उपज (ii) किसानों की आय (iii) भू-जल की उपलब्धता (iv) अन्य उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता (v) जल के उपयोग की दक्षता।

3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम	527.00	(i) इस स्कीम के तहत 224 चालू परियोजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्यों, क्षरण-रोधी कार्यों, जल-निकासी विकास कार्यों और समुद्र-क्षरण रोधी कार्यों का निष्पादन। (ii) पीडीए द्वारा संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना के लिए निर्माण-पूर्व कार्य प्रारंभ करना। (iii) सनखोसी मार्ग परिवर्तन-सह-भंडारण योजना और कमला बांध परियोजना सहित सप्रकोषी उच्च बांध के लिए जेपीओ द्वारा डीपीआर तैयार किया जाना। (iv) जलीय पर्यवेक्षण जारी रखना और पड़ोसी देशों से बाढ़ एवं संबंधित डाटा संप्रेषण। (v) साझा/सीमा नदियों पर विकास कार्य (vi) संघ राज्य क्षेत्रों के क्षरण-रोधी और समुद्र क्षरण-रोधी कार्य। (vii) कोसी और गंट्क परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ़ संरक्षण कार्यों का रखरखाव	• बाढ़, नदीतट क्षरण, तटीय-क्षरण और चुनींदा नदी जलग्रहण क्षेत्रों में तलछट क्षरण के कारण क्षति में कमी। • अंतर्राष्ट्रीय नदियों में जल संसाधनों की क्षमता का आकलन • बाढ़ की बेहतर पूर्व-चेतावनी। • पंचेश्वर बहु-उद्देश्यीय परियोजना की डीपीआर से परियोजना के कार्यान्वयन और निर्माण -पूर्व कार्यों के लिए कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी।
4	सिंचाई गणना	50.00	(i) 6 वीं एमआई गणना और जलाशयों की गणना के लिए अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन (ii) 6 वीं एमआई गणना और जलाशयों की गणना के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन (iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 6 वीं एमआई गणना और जलाशयों की गणना और जलाशयों की गणना का फील्ड कार्य प्रारंभ करना।	• छठी एमआई जनगणना रिपोर्ट का कार्य पूरा करना और 2020-2021 तक प्रकाशन के लिए प्राथमिक/चरणबद्ध कार्य। • लघु सिंचाई क्षेत्र में सुविचारित आयोजना और नीति निरूपण।
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
5	पोलावरम बहु-उद्देश्यीय परियोजना	(नाबार्ड वित्तपोषण से)	(i) अर्थ कार्य 81.89% (ii) कंक्रीट 43% (iii) संरचनाएं 39% (iv) पूर्ण किए जा चुके नहर के निर्माण कार्यों की लंबाई (50.992 किमी)	• 2,91,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन, • 540 गांवों में 28.50 लाख की आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति, • कृष्णा नदी बेसिन को 80 टीएमसी पानी की उपलब्धता

6	फरक्का बांध परियोजना	195.00	फरक्का बांध और इससे जुड़े ढांचों का संचालन और रखरखाव	• भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में बेहतर नौगम्यता। • गंगा जल संधि, 1996 का अनुपालन
7	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम	124.00	(i) बांध सुरक्षा पुनर्वास कार्यों का समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण (ii) बांध सुरक्षा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण (iii) सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे के माध्यम से उत्तर और उत्तर-पूर्व भारत के भूकंपी खतरों के मानचित्रण के अध्ययन (iv) बांध सुरक्षा साफ्टवेयर 'धर्मा' के शेष माड्यूलों का विकास (v) बांध सुरक्षा पर 8 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, भुवनेश्वर में 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और 1 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी (vi) बांध सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर 54 दिशानिर्देशों को अंतिम रूप (vii) चल रहे डीआरआईपी कार्यों का तीसरे पक्ष द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण (viii) 50 बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजनाओं के लिए आप्लावन मानचित्र और बांध ब्रेक विश्लेषण। (ix) दामोदर घाटी निगम का ईएपी	• चुनिंदा मौजूदा बांधों और संबंधित साज-समानों की स्थायी तौर पर सुरक्षा और कार्यनिष्पादन में सुधार • जल संसाधन कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण • बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का मानकीकरण • दामोदर घाटी निगम को विश्व बैंक का ऋण
8	नदी तटों के सौंदर्य के लिए घाट निर्माण कार्य	50.00	(i) सात अतिरिक्त घाटों का निर्माण/आधुनिकीकरण (ii) पांच अतिरिक्त शवदाहगृहों का निर्माण/विकास	नदी के तटों पर स्वच्छता बनाए रखने और सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और गंगा नदी में अधजले शवों को फेंके जाने से रोकने के लिए दाह संस्कार रिवाजों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से सुविधाओं में सुधार

9	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	3020.00	(i) गैर-अनुपालक अत्यधिक प्रदूषणकारी उदयोगों की संख्या में कमी। (ii) स्थापित जल गुणता निगरानी	• गंगा नदी में औदयोगिक कचरा फेंका जाना नियंत्रित करके प्रदूषण में कमी। गंगा नदी में सीवेज कचरा सीधा फैंका

10	राष्ट्रीय गंगा योजना		स्टेशनों की संख्या में वृद्धि (मैनुअल और वास्तविक समय) (iii) 369 एमएलडी शोधन क्षमता के 20 नए मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना (i) 155 घाटों और 49 शवदाहगृहों का निर्माण (ii) प्रतिष्ठित प्रजातियों के संरक्षण के लिए खतरों की पहचान करने और लगभग 200 किमी के प्राकृतिक आवास की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक आधार रेखा सर्वेक्षण किया गया। (iii) गंगा में प्रतिष्ठित प्रजातियों की निगरानी और संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण। (iv) गंगा नदी के दो चयनित हिस्सों की जैव विविधता प्रोफाइल बनाना; (v) जलीय वन्यजीव, प्राकृतिक आवास स्थिति और स्थानिक जोखिम वाले नक्शे पर स्थानिक डाटाबेस। (vi) गंगा नदी के तट पर 10000 हेक्टेयर भूमि में वनीकरण (vii) आईईसी गतिविधियां (मेलों/व्यापक स्नान/प्रदर्शनियों/प्रतियोगिताओं/विज्ञापन/ सामाजिक मीडिया के उपयोग और सतत गतिविधि में)	जाना नियंत्रित करके गंगा नदी के संरक्षण, स्थिरीकरण और संरक्षण नदी तटों पर सफाई और सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे को बनाए रखना गंगा नदी में अधजले शवों का फेंका जाना रोकने के लिए अंतिम संस्कारों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प गंगा नदी की लुप्तप्राय जल प्रजातियों के लिए खतरों में कमी। आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जागरुकता और व्यवहार परिवर्तन सार्वजनिक भागीदारी के लिए सामाजिक पहुंच बढ़ाना और स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना

11	नदी बेसिन प्रबंधन	225.00	(i) राष्ट्रीय नदी विकास एजेंसी द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने की 8 परियोजनाओं और नदियों को जोड़ने की 4 परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट/पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट/जल संतुलन अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी से जुड़े कार्य। (ii) राष्ट्रीय नदी विकास एजेंसी द्वारा किन-बेतवा लिंक से संबंधित कार्य। (iii) पूर्वोत्तर राज्यों में 3 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए डीपीआर की तैयारी की निरंतर जांच सीडब्लयूसी द्वारा बेरिनियम एचई परियोजना की जांच प्रारंभ करना। (iv) सीडब्ल्यूसी द्वारा संकोष बेसिन में भूकंपीय अवलोकन अनुसंधान एवं अनुरक्षण कार्य जारी रखा जाएगा। (v) बाढ़ और क्षरण-रोधी कार्यों का निष्पादन; छह मास्टर प्लान और दो जल निकासी विकास योजनाओं की डीपीआर तैयार करना; ब्रह्मपुत्र नदी के गणितीय मॉडल अध्ययन का कार्य पूरा करना; और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा जियोबैग प्रौद्योगिकी द्वारा पांच बैंक संरक्षण परियोजनाओं का निष्पादन	• नदी परियोजनाओं को परस्पर जोड़ने का कार्य पूरा हो जाने से अधिक पानी के क्षेत्र से कम पानी वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाने में सहायता मिलेगा। • डीपीआर के तहत शामिल परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के बाद पनबिजली संसाधनों से बिजली का उत्पादन। • मजूली द्वीप और अन्य क्षेत्रों का बाढ़ और क्षरण से संरक्षण। • कृषि भूमि का सुधार और क्षेत्र को ड्रेनिज कंजेशन से मुक्त करना। • बाढ़ और तट संरक्षण कार्य
12	जल संसाधन विकास सूचना प्रणाली	211.27	(i) 275 मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों और 843 बेस स्टेशनों से बाढ़ के पूर्वानुमान प्रदान करना। (ii) 878 पुरानी साइटों पर हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन और डेटा संग्रह जारी करना। (iii) नए 720 स्टेशनों का संचालन। (iv) 572 साइटों पर जल गुणता की निगरानी (v) जल भंडारण के लिए 120 अतिरिक्त जलाशयों का निरीक्षण किया जा रहा है (vi) 458 बेस स्टेशनों पर रीयलटाइम डाटा अधिग्रहण प्रणाली की स्थापना	• बाढ़ के पूर्वानुमान के समय पर प्रसार • बाढ़ की घटनाओं और परिणामस्वरूप क्षति में कमी • जल संसाधन सूचना प्रणाली की बेहतर कवरेज • बाढ़ के कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान कम करना • सूविचारित योजना और नीति तैयार करने के लिए एक विश्वसनीय और सुदृढ डेटाबेस सृजित करना

13	भूमिगत जल संसाधन और नियमन	450.00	(i) जलवाही मानचित्र और प्रबंधन योजना तैयार करना- 3.00 लाख वर्ग मी (ii) 23125 कूपों के जरिए भूमिगत जल स्तर की निगरानी (iii) 15448 कूपों के जरिए भूमिगत जल गुणता की निगरानी (iv) एक्विएर मानचित्र और प्रबंधन योजना पर 70 सार्वजनिक वार्ता कार्यक्रमों का आयोजन	• देश में स्थायी भूमिगत जल संसाधन प्रबंधन। • भूमिगत जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए सूचना सृजन में वृद्धि का अधिक स्थानिक कवरेज • भूमिगत जल संसाधनों के इस्तेमाल के संबंध में संवेदनशीलता और जागरूकता लाना
14	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	250.00	(i) राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना (ii) 4370 हाइड्रो मेट उपकरणों की खरीद और स्थापना (iii) 3 बेसिनों के लिए नदी घाटी मूल्यांकन और आयोजना (iv) 6 बेसिनों के लिए आईडी मॉडलिंग पर आधारित बाढ़ पूर्वानुमान में सुधार	• बेहतर बाढ़ पूर्वानुमान और जल संसाधन मूल्यांकन एवं योजना के माध्यम से देश में बेहतर जल संसाधन प्रबंधन। • देश में हाइड्रो मेट और स्थानिक डेटा का बेहतर संग्रह, मिलान, भंडारण और प्रसार।
15	राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन	95.00	(i) 150 प्रकाशनों और 150 शोध पत्रों का प्रकाशन (ii) आरएंडडी पर ध्यान केंद्रित करते हुए 25 कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का आयोजन (iii) ग्यारह राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं को पूरा करना (iv) पच्चीस क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (v) पंद्रह आधारभूत अध्ययन और दो प्रदर्शन/बेंचमार्किंग/प्रायोगिक परियोजनाओं का समापन।	a. प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध पत्रों की संख्या में वृद्धि b. जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता पैदा करना c. उन्नत स्वदेशी विकसित तकनीक का उपयोग, बढ़ी हुई अधिकारी क्षमताएं और व्यापक शोध आधारित उपयोग। d. राज्यों द्वारा जल संबंधी बजट प्रक्रिया और जल संबंधी बजट की तैयारी करना। e. जल के संरक्षण और प्रदूषण की कमी के लिए आधुनिक और नई प्रौद्योगिकी का

16	एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम, राष्ट्रीय जल अकादमी, आरजीआई - भूमिगत जल, जल संसाधन मंत्रालय और आईईसी में मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण	62.77	(i) 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित 200 प्रशिक्षण कार्यक्रम। (ii) बच्चों/आदिवासी क्षेत्रों के लिए लक्षित 13 विशेष कार्यकलापों सहित विज्ञापन, बाहरी प्रचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान, प्रदर्शनियों में भाग लेने सहित 41 आउटरीच कार्यकलाप। (iii) 26 कार्यशालाएं/संगोष्ठी (iv) लगभग 200 अधिकारियों को प्रशिक्षण	अधिकाधिक जागरूकता; जल संसाधन योजना, विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में जल संसाधन पेशेवरों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) के ज्ञान और कौशलों का उन्नयन जिससे भारत में जल संसाधनों के सतत विकास और संरक्षण में योगदान होगा।
17	अवसंरचना विकास	87.76	(i) मंत्रालय-खास के कार्यालयों में करीब 15 कमरों/शौचालयों का नवीनीकरण। (ii) योजना के तहत यथा अनुमोदित सीडब्ल्यूसी (पांच स्थानों) और सीजीडब्ल्यूबी (छह स्थानों) की बिल्डिंग और सर्विस का निर्माण/नवीनीकरण जारी रखना (iii) मंत्रालय के तहत तीन संगठनों में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन। (iv) मंत्रालय के तहत छह संगठनों में ई-एचआरएमएस का कार्यान्वयन।	• कार्यों के पूरा होने पर बेहतर कामकाजी परिवेश • कार्य पूरे होने पर मासिक किराए पर बचत • ई-ऑफिस के कार्यान्वयन संबंधी फाइलों का शीघ्र निपटान • मानव संसाधनों की बेहतर निगरानी

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 98: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	आंगनवाड़ी सेवाएं	16334.88	1. आंगनवाड़ी केंद्र का परिचालन 2. सामान्य से कम वजन के बच्चों में कमी 3. आंगनवाबाड़ी केंद्रों को पेयजल सुविधा प्रदान करना 4. आंगनबाड़ी केंद्रों को शौचालय सुविधा प्रदान करना	1. शेष 45,084 आंगनबाड़ी केंद्रों का परिचालन 2. बच्चे (0 और 6 वर्ष के बीच) : सामान्य से कम वजन के बच्चों में कमी। आंगनबाड़ी सेवा लाभार्थियों का विवरण आरआरएस पर अनुरक्षित रखा जाएगा। 3. @ 20,000 आंगनवाड़ी केंद्र प्रतिवर्ष 4. @ 70,000 आंगनवाड़ी केंद्र प्रति वर्ष
2.	राष्ट्रीय पोषण मिशन - ईएपी घटक	71.30	1. आंगनबाड़ी केंद्रों का परिचालन 1. आईसीटी आरटीएम के भाग के रूप में चालू आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रतिशत 2. आंगनबाड़ी कर्मचारी और महिला निरीक्षक आवश्यक यंत्र, जैसे स्मार्ट फोन और टेबलेट रखेंगे और प्रगति की निगरानी करने के लिए आईसीटी आरटीएम मोबाइल ऐपलिकेशन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। 2. स्वास्थ्य और पोषण व्यवहार के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना 1. जन्म के 1 घंटेके अंदर 1% बच्चों को स्तनपोषित किया गया 2. पंजीकृत लाभार्थियों का प्रतिशत जिनका संस्थागत प्रसव हुआ	0-5 वर्ष के आयुवर्ग में बच्चों की बेहतर पोषणिक और स्वास्थ्य स्थिति मां को अपने स्वास्थ्य की और बच्चे के पोषण की देखभाल करने की क्षमता को बढ़ाना
3.	प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना	2400.00	देश के सभी जिलों को शामिल करते हुए अखिल-भारत कार्यान्वयन। लाभार्थियों की अनुमानित संख्या = 51,70,000	जन्म के समय कम वजन में 1% प्रतिवर्ष तक कमी 2019-20 (बेसलाइन एनएफएचएस 4 लेवल)

4.	नवयुवतियों के लिए स्कीम	500.00	यह स्कीम पूरे देश में 508 चयनित जिलों में लागू की जाएगी जिससे 11-14 वर्ष के वर्ग की स्कूल न जाने वाली 40.26 लाख नवयुवतियों को लाभ मिलेगा	नवयुवतियों की पोषणिक स्थिति में सुधार। स्कूल न जाने वाली लड़कियों को स्कूल प्रणाली में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिससे स्कूलों में लड़कियों का नामांकन और स्कूलों में बने रहने में सुधार आएगा।
5.	राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम	128.39	राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम 01.01.2017 से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्रियाशील शिशुसदनों को अधिकार में लेने का अनुरोध किया गया है। जैसा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शिशुसदनों को अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं क्रियाशील शिशुसदनों की वास्तविक संख्या अभी उपलब्ध नहीं है। वास्तविक तस्वीर शीघ्र बताई जाएगी।	

6.	बाल सुरक्षा सेवाएं	725.00	1. 24 अतिरिक्त जेजेबी गठित किए जाएंगे। 2. 19 अतिरिक्त सीडब्ल्यूसी गठित किए जाएंगे। 3. 365 अतिरिक्त एसएए की पहचान चरणबद्ध रूप में की जाएगी 4. राज्य बाल सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। 5. 26 अतिरिक्त जिला बाल सुरक्षा इकाईयों का गठन किया जाएगा 6. राज्य दत्तक -ग्रहण संसाधन एजेंसी - अतिरिक्त राज्य अंगीकरण संसाधन एजेंसी का गठन किया जाएगा। 7. घरों में लगभग 10% बच्चों को "आर्थिक संरक्षण" अर्थात् 2160 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा प्रदान किए जाने के तहत उन्हें अपने परिवारों के साथ रखकर समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाएगा। 8. इसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि सभी अनाथ, छोड़े हुए और आत्मसमर्पित बच्चों को अंगीकरण के माध्यम से स्नेहमय परिवारों के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। 9. अधिनियम के अनुसार अंगीकरण आदेश दो माह के अंदर सम्पन्न किया जाएगा। विलंब हटा दिया जाएगा। 10. हितधारकों के लिए लगभग एक जागरूकता उत्पत्ति कार्यक्रम प्रतिमाह संचालित किया जाएगा और सीडब्ल्यूसी/जेजेबी आदि के लंबित होने की निगरानी की जाएगी ताकि बच्चों को शीघ्र लाभ मिल सके।	

7.	महिला शक्ति केंद्र	267.30	• सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के तहत महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र स्थापित किए गए। • 220 जिलों में महिलाओं के लिए जिला स्तरीय केंद्र बनाए गए। • महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला शक्ति केंद्र अभिसारी सेवा प्रदान किए जाने के लिए 100 चयनित जिलों में 500 ब्लॉक (5 ब्लॉक प्रति जिला)	• महिला शक्ति केंद्र की जागरूकता और पहुंच कार्यों के माध्यम से चयनित ब्लॉक में 50% महिलाओं को शामिल किया जाएगा। • वहां पहुंचने वाली महिलाओं में से सेवाओं की मांग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत • ऐसी सेवाओं की मांग करने वाली कुल महिलाओं में से 70% महिलाओं को सरकारी स्कीम लाभ/सेवाएं उपलब्ध कराई गई।
8.	स्वाधार गृह	95.00	18000 लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा	कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को शिक्षा, जागरूकता और कौशल उन्नयन के माध्यम से उन्हें संरक्षण, भोजन कपड़े,भावनात्मक समर्थन की प्राथमिक आवश्यकताओं और सामाजिक और पुनर्वास परामर्श प्रदान करते हुए समाज में जीने का अवसर प्रदान करना।
9.	उज्ज्वला	50.00	6000 लाभार्थियों को शामिल किया जाना है	देह व्यापार की रोकथाम के तरीके से देह व्यापर में जबरन डाली गई महिलाओं को समाज में जीने के लिए अवसर और आत्म समर्थन प्रदान करना, देह व्यापार से जुड़े व्यक्तियों को बचाया जाना पीड़ित का पुन: एकीकरण और किसी विदेशी जिसे जबरन देह व्यापार में डाला गया है, को स्वदेश भेजा जाना सुनिश्चित करता है।

10.	कामकाजी महिला छात्रावास	60.00	4500 की क्षमता के साथ 45 नए कामकाजी महिला छात्रावास स्वीकृत किए जाना प्रस्तावित किया गया है।	कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों के लिए डे केयर सुविधा के साथ सुरक्षित और अनुकूल आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना।
11.	जेंडर बजट निर्धारण और अनुसंधान, प्रकाशन और नगरानी	8.28	I. लगभग 10 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजट निर्धारण पहल के माध्यम से जेंडर मामलों को मुख्य धारा से जोड़ना II. लगभग10 राज्य सरकारों में जेंडर बजट निर्धारण के माध्यम से जेंडर मामलों को मुख्यधारा से जोड़ना। मंत्रालय के अनुसंधान प्राथमिकताओं के अनुसार यह स्कीम मांग पर आधारित है और इसलिए, परिणाम निर्धारित नहीं किए जा सकते। सचिव की अध्यक्षता में अनुसंधान परामर्श समिति की बैठक केवल प्रस्तावों के पर्याप्त और उपयुक्त संख्या होने के बाद की जाएगी। प्रदेय वस्तुएं इस प्रकार है: • अनुसंधान अध्ययन : 2016-17 की 15 चालू परियोजनाएं 5 नई परियोजनाएं सेमिनार: 2 अनुसंधान अध्ययन और सेमिनारों की अधिक संख्या प्रदान किए जाने की संभावना है।	मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशलाएं/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जेंडर बजट निर्धारण पर केंद्रीय नोडल एजेंसी को नामित किया, मंत्रालय द्वारा आयोजित 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/पुनश्चर्या पाठयक्रम, जेंडर बजट निर्धारण पर राज्य नोडल अधिकारियों को नामित किया। सुसंगत अनुसंधान कार्यों या सेमिनारों/सम्मेलनों से एमडब्ल्यूसीडी की कार्यक्रमों का संशोधित नीति सुधार और बेहतर कार्यान्वयन होगा।
12.	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान	280.00	I. जेंडर रूप से नाजुक जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में 2 बिंदु प्रति वर्ष तक सुधार लाना। II. पांच वर्ष के तहत बाल मृत्यु दर में 2014 में 7 बिंदुओं से 1.5 बिंदु प्रतिवर्ष तक जेंडर अंतर को कम करना III. पिछली तिमाही एएनसी पंजीकरण में लगभग 1% प्रतिवर्ष की वृद्धि IV. माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन बढ़ाना V.चयनित जिलों में प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय उपलब्ध कराना	प्रदेय परिणाम वार्षिक आधार पर मापे जाते हैं।
13.	महिला हेल्पलाइन	28.80	36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन का समेकन	33 स्वीकृत महिला हेल्पलाइन में से 27 महिला हेल्पलाइन शुरू कर दी गई है।

14.	वन - स्टॉप केंद्र	105.10	• 186 स्वीकृत ओएससी का परिचालन • 186 स्वीकृत ओएससी के अतिरिक्त 50 जिलों में ओएससी का विस्तार	स्वीकृत किए गए 186 वन-स्टॉफ केन्द्रों में से 165 वन-स्टॉप केन्द्र काम करने लगे हैं।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 99: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/ युवा कार्यक्रम विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	255.00	• युवा क्लबों का विकास: 2397 • युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास: 2397 • क्लबों को खेल सामग्री: 25446 • ब्लॉक/जिला स्तरीय खेलों का आयोजन: 2867 • कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम: 5737 • लोक कला और संस्कृति/युवाकृति (जिला स्तरीय कार्यक्रम): 623 • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल दिवस मनाना: 16509 • जिला युवा संगोष्ठियां: 623 • महात्मा गांधी युवा स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम: 150 • युवा आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रमः 150 • उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार: 661 • विषय आधारित जागरूकता और सकारात्मकता पर शिक्षा कार्यक्रम : 1869 • स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि: 12460	• मौजूदा क्लबों को मजबूत बनाना और नए क्लब बनाना तथा क्लबों में नामित युवाओं की संख्या 2018-19 तक लगभग 25% तक बढ़ाई जाएगी। • सामुदायिक विकास पर जोर देते हुए वर्ष के दौरान 99000 युवाओं की नेतृत्व खूबियों का विकास • खेल गतिविधियों में लगाकर युवा विकास; 4.50 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। • वर्ष में 1.21 लाख युवाओं को उनकी आय में लगभग 20-25 % वृद्धि करके लाभान्वित किया जाना है। • 0.75 लाख युवाओं में लोक कला और संस्कृति तथा स्थानीय हस्तकला को बढ़ावा दिया जाएगा • कार्यक्रमों में 16.67 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाज में जागरूकता पैदा की जाएगी। • कुल 0.60 लाख युवाओं को कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा और अनुभव साझा करके अच्छी परिपाटियों को बढ़ावा दिया जाएगा • वर्ष में 627 जिलों में स्वच्छता एवं जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना • 209 गांवों को एक वर्ष में मॉडल गावों के रूप में विकसित करना • युवा क्लबों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यो को पुरस्कृत करके उत्कृष्टता को बढ़ावा देना
2.	राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)	80.00	• नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवकों का चयन, प्रशिक्षण और तैनाती: 12000	• राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवक ब्लॉक स्तर पर युवा क्लबों के जरिए विभिन्न कार्यकलाप चलाने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन की पहुंच बढ़ाने में एक शाखा के रूप में कार्य करेंगे।

3.	राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी)	20.00	• आसपास के युवाओं की संसद के कार्यक्रम - ब्लॉक स्तर: 11970 • विकास के लिए युवा - श्रमदान: 236 • राष्ट्रीय युवा विकास निधि: 3000	• समकालिक मुद्दों पर चर्चा/विचार-विमर्श करके 5 लाख युवाओं में नेतृत्व गुणों का विकास। • 1.24 करोड़ युवा क्लब के कार्यकर्ताओं को चर्चा में शामिल करके उनके नेतृत्व गुणों का विकास। • 29.64 लाख युवाओं को सामुदायिक परियोजनाओं (एनएसएस तथा एनवाईकेएस) में श्रमदान में शामिल करके उनमें नेतृत्व गुणों का विकास • वर्ष में 2500 युवाओं का अभिनव पहलों के माध्यम से विकास/सशक्तिकरण जिन्हें अन्य कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया।
4.	राष्ट्रीय युवा और नौजवान विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)	25.00	• तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार: 4 • राष्ट्रीय युवा पर्व: 1 • राष्ट्रीय युवा पुरस्कार: 35 • युवाओं और नौजवानों के विकास कार्यक्रमों के लिए संगठनों को सहायता: 200	• उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कृत करके साहसिक गतिविधियों को बढ़ाना। • मेजबान राज्यों में आम जनता के अलावा, देशभर के 5000 युवाओं में राष्ट्रीय अखण्डता की भावना को बढ़ावा देना। • युवाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कृत करके उन्हें सामुदायिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना। • मंत्रालय से सहायता प्राप्त संगठनों के विभिन्न कार्यक्रमों से कुल 2.00 लाख युवाओं/किशोरों को लाभ होना है।
5.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	20.00	• अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम: 11 • एनवाईकेएस/एनएसस को सुदृढ़ बनाने के लिए यूएनवी/यूएनडीपी परियोजना: इस परियोजना को 2018 के आगे और विस्तार	• वर्ष में 350 युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय संभावना का विकास • परियोजना के तहत लागू की गई बेहतर परिपाटियों का पूरे देश में अनुकरण करवाने के लिए इस संबंध में जानकारी का प्रसार।
6.	युवा होस्टल्स	1.70	• युवा होस्टल्स का दक्षतापूर्वक प्रबंधन: 2,20,000	• वर्ष में युवा होस्टलों में रियायती दरों पर ठहर कर कुल 211191 युवा लाभान्वित हुए।
7.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	5.00	• राज्यों को प्रतिबद्ध देयताओं की प्रतिपूर्ति	• यह राज्यों को पहले से हस्तांतरित कार्यक्रम के संबंध में पिछली प्रतिबद्ध देयता की प्रतिपूर्ति के लिए है।
8.	स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को सहायता	1.50	• स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को उनके कार्यक्रमों के लिए सहायता: 21000	• मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सहायता में से विभिन्न कार्यक्रमों से कुल 21000 युवा लाभान्वित होंगे
9.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम	166.00	• एनएसएस पुरस्कार: 52 • एनएसएस कार्यकलापों के लिए गांवों/झोपड़-पट्टियों को गोद लेना: 17000 • एनएसएस स्वयंसेवकों को रोजगार और क्रियाकलापों का नियमित निर्वहनः 37 लाख • गोद लिए गए गांवों/झोपड़-पट्टियों में विशेष शिविरः17000	• उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कृत करके स्वयंसेवकों को सामुदायिक सेवा में लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। • सामुदायिक कार्यो जैसे स्वास्थ्य/नेत्र/टीकाकरण शिविरों में भागीदारी (17500 कार्यक्रम), सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम/रैलियां/अभियान (37500 कार्यक्रम), श्रमदान (1.25 करोड़ स्वयंसेवी घंटे), रक्तदान (2.5 लाख यूनिट्स),

			• राष्ट्रीय एकता शिविर/पूर्वोत्तर युवा पर्व: 25 • साहसिक गतिविधियां: 1700 • गणतंत्र दिवस परेड शिविर: 200	पौधारोपण (27.5 करोड़ पौध) आदि के जरिए 38 लाख एनएसएस स्वयंसेवकों का व्यक्तिगत और चारित्रिक विकास। • देशभर में 1750 एनएसएस स्वयंसेवकों में राष्ट्रीय अखण्डता की भावना विकसित करना • 1750 स्वयंसेवकों में साहस की भावना विकसित करने के लिए उन्हें इन कार्यक्रमों में भागीदार बनाना • एनएसएस स्वयंसेवकों में राष्ट्रीय गर्व और अनुशासन की भावना विकसित करना।
10.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	23.00	• अकादमी कार्यक्रम: 180 • अन्य संस्थानों के साथ सहयोगात्मक कार्ययक्रम: 15 • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम: अन्य कार्यक्रम: 460 • राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां/कार्यशालाएं: 24 • अनुसंधान कार्यक्रम: 20 • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम: प्रशिक्षकों का प्रशिक्षणः 70	• युवा निर्माण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास। वर्ष में कुल 1,95000 छात्र उत्तीर्ण। • प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से संचालित अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से 445 युवाओं का विकास। • विभिन्न विषयों में क्षमता निर्माण करके 21323 युवाओं का विकास। • विभिन्न कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भागीदारी के जरिए 1200 युवाओं के ज्ञान एवं विशेषज्ञता का विकास। • 24 शोधार्थियों के जरिए युवा विकास में ज्ञान निकाय का विकास। • युवाओं के लिए कार्यरत कुल 2205 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अधिक कारगर विधि से युवा कार्य के लिए सक्षम बनाना।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2018-19

मांग सं. 99: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/विभागः खेल विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2018-19	परिव्यय 2018-19 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	खेल संस्थाओं में विकास (एक व्यापक स्कीम)			
1.1	भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)	429.56	- 5 नए स्वदेशी एवं मार्शल आर्ट केन्द्रों की स्थापना - नए एनएसटीसी केन्द्रों की स्थापना - 10 नए अखाड़ों की स्थापना - 26 नए सैन्य बाल कंपनी केन्द्रों की स्थापना - 12 नए साई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना - 10 नए विशेष क्षेत्र क्रीडा केन्द्रों की स्थापना - 100 नए एसटीएसी/एसएजी विस्तार केन्द्रों की स्थापना - 5 नए उत्कृष्टता वाले केन्द्रों की स्थापना - 10 नई राष्ट्रीय खेल अकादमियों की स्थापना - 4 नए सिंथेटिक एथलेटिक टर्फ्स और हॉकी के टर्फ्स बदला जाना - फुटबाल के 2 कृत्रिम मैदान तैयार किया जाना - 2 नए स्विमिंग पूलों का निर्माण - 1250 नए कोचों को किराए पर लिया जाना है	- साई क्रीड़ा संवर्द्धन योजनाओं के तहत वर्ष 2017-18 में लगभग 14,500 और 2018-19 के दौरान लगभग 16,000 खिलाड़ियों (लड़के/लड़कियां) की पहचान करना उन्हें पोषित करना। - बड़े खिलाडियों के लिए मौजूदा सुविधाओं के लिए मौजूदा सुविधाओं को ओलम्पिक स्तर की बुनियादी सुविधाओं के बराबर लाना - निचले स्तर पर कोचों की संख्या बढ़ाकर 313 तक करना; राज्य/राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों के लिए न्यूनतम अपेक्षित योग्यताएं और अनुभव रखने वाले अच्छे कोचों (इसके लिए तंत्र विकसित करना) को शामिल करना
1.2	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर	45.00	- 250 बी.पीएड उत्तीर्ण हुए - 120 एम. पीएड उत्तीर्ण हुए - 250 छात्र/प्रशिक्षु, डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करेंगे	- इन पेशेवरों के लिए शतप्रतिशत सुनिश्चित रोजगार
1.3	राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला	4.00	- मूत्र के 8000 नमूनों की जांच की जाएगी - खून के 320 नमूनों की जांच की जाएगी - 6 अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जाएंगे	- पारदर्शी जांच प्रक्रिय का विकास - राज्य स्तर से ऊपर के सभी खिलाड़ियों के लिए जागरूकता सत्रों में भागीदारी अनिवार्य बनाना और प्रमाणित तथा प्रतिबंधित स्वास्थ्य एवं प्रदर्शन वर्धन दवाओं के बारे में शतप्रतिशत जानकारी देना सुनिश्चित करना
1.4	राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी	10.00	- मूत्र और खून के 5500 नमूने एकत्र किए जाएंगे - शिक्षा/जागरूकता पैदा करने के 80 कार्यक्रम चलाए जाएंगे	

1.5	राष्ट्रीय खेल विकास और अनुसंधान (पूर्व राष्ट्रीय खेल विकास और अनुसंधान)	40.00	विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन करके भारतीय खेल विकास और अनुसंधान, राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला की स्थापना के लिए निर्णय लिया जा चुका है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए आबंटित किए जा चुके हैं। साथ ही चरणबद्ध तरीके से 6 विश्वविद्यालयों और 6 संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों को वित्तपोषित करने प्रस्ताव है और 3 विश्वविद्यालयों और 2 संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों के लिए वित्तपोषण कर दिया गया है जिसके लिए 10 करोड़ रुपए आवश्यक हैं।	तदनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए और 3 विश्वविद्यालयों तथा 2 मेडिकल कॉलेजों के वित्तपोषण का प्रस्ताव है और साथ ही राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में सुविधाओं का उन्नयन करना जिसके लिए 20 करोड़ रुपए आवश्यक होंगे।
1.6	राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान	30.00	एनआईएस, पटियाला में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।	एनआईएस, पटियाला में विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता होगी जिसके लिए 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। लगभग 400 कोच प्रत्येक वर्ष तैयार किए जाने का प्रस्ताव है।
1.7	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर	65.00	शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए बीपीईएस में 50 छात्रों और बी.एससी (खेल प्रशिक्षण) में 50 छात्रों का दाखिला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय सोसाइटी के बाहरी को अंतिम रूप देना	शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए बीपीईएस में 50 छात्रों और बी.एससी (खेल प्रशिक्षण) में 50 छात्रों का दाखिला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय सोसाइटी के बाहरी को अंतिम रूप देना
1.8	'वाडा' में अंशदान	1.00	'वाडा' का सदस्य देश होने के नाते भारत द्वारा अंशदान	'वाडा' का सदस्य देश होने के नाते भारत द्वारा अंशदान
2	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार (एक व्यापक स्कीम)			
2.1	अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष नकद पुरस्कार	11.00	500 खिलाड़ियों और कोचों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे	खेल संस्कृति को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना
2.2	पुरस्कार (अर्जुन, ध्यानचंद और द्रोणाचार्य)	2.00	खिलाडियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए 23 पुरस्कार; खिलाडियों को उनके सक्रिय खेल कैरियर के बाद भी खेलों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया जाना; और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रदर्शन में प्रशिक्षकों के योगदान को मान्यता देना।	सक्रिय और सेवानिवृत्त खिलाडियों में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना।

2.3	प्रतिभावान खिलाड़ियों को पेंशन	10.00	खिलाड़ियों के लिए पेंशन के **20** नए मामलों की स्वीकृति दी गई	योग्यता प्राप्त खिलाड़ियों के लिए भावी सुरक्षा सुनिश्चित करना
2.4	राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को सहायता	342.00	181 राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएंगे 60 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएंगे एनएसएफ में 44 विदेशी कोचों/विशेष कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले 3000 खिलाड़ी 250 कोचिंग केम्प आयोजित किए जाने हैं	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खेल को प्रोत्साहन प्रबंधनपद्धतियों को उन्नयन और व्यावसायीकरण
2.5	खेलों में मानव संसाधन विकास की स्कीम	5.00	6 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाएंगी विदेश में कम से कम 15 संगोष्ठियों आदि में भागीदारी देश में 10 संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी देश में कोचों के लिए 10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे 6 अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जाएंगी 2 प्रकाशन प्रकाशित किए जाएंगे विशेषीकृत अध्ययनों के लिए खेल विशेषज्ञों/कोचों/सहायता कर्मियों और मैच अधिकारियों को 15 अध्येतावृत्तियां दी जानी हैं। विभिन्न कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में 500 प्रतिभागी 15 मैच अधिकारियों/कोचों/सहायता कर्मियों को वित्तीय सहायता मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जानी है।	खेल विज्ञान एवं खेल चिकित्सा में मानव संसाधनों का विकास
2.6	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	2.00	120 खिलाड़ियों को सहायता खेल अवसंरचना के लिए 5 संस्थान/अकादमियां स्थापित की जाएंगी	एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए 120 योग्य खिलाड़ियों और 5 संस्थानों का चयन
2.7	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	2.00	खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देना। निश्चित संख्या नहीं दर्शायी जा सकती क्योंकि यह प्राप्त हुए आवेदनों पर निर्भर करता है।	खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देना।

3.	खेलो इंडिया : खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम			
3.1	खेलो इंडिया	520.09		
	i.खेल मैदान विकास		क. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्थापना जिनमें खेल मैदान की स्थापना की जानी है- 8 **ख**. अपने विकास, संवर्धन और संरक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मैदान/क्रीड़ा क्षेत्रों की व्याप्ति - 40 ग. खेल मैदानों की संख्या जहां बड़े गढ्ढों को भरा जाएगा- 5	इस पहल में निम्नलिखित की संख्या में वृद्धि होगी **i.** खेल प्रतिस्पर्धाओं, मैराथन आदि जैसे खेल कार्यकलापों में भाग लेने वाले व्यक्ति **ii.** जीवनशैली रोगों जैसे कारडियो वस्कुलर रोग, स्थूलता, किशोर मधुमेह आदि के रोगियों में एक स्पष्ट कमी आएगी।
	ii.समुदाय कोचिंग विकास		कोचों/पीईटी/प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की संख्या- 2000	प्रमाणित किए जा रहे कोचों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होगी और कोचों का डाटाबेस चाहे वह स्कीम के तहत विकसित अथवा प्रमाणित किया गया हो परिणाम को इंगित करेगा। इसी प्रकार, विकासात्मक स्तर पर बैंच स्ट्रेंथ भी एक फेवरेबल परिणाम को इंगित करेगा
	iii. राज्य स्तरीय खेलों इंडिया केन्द्र		सहायता प्राप्त केन्द्रों की संख्या- 13	देश के नए क्षेत्रों में बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता से मौजूदा केन्द्रों पर दबाव में कमी आएगी जिससे नए केन्द्रों की सफलता मिलेगी
	iv. वार्षिक खेल प्रतिस्पर्धाएं		प्रतिभागियों की संख्या- 10000	एकल आयोजित प्रतिस्पर्धा संरचना में अधिक से अधिक भागीदारी से अभिनिर्धारित खेल प्रतिभाओं की संख्या में काफी वृद्धि होगी जिससे प्रतिस्पर्धाओं में सफलता प्राप्त होगी। पिछले कुछ वर्षों में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि,प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त उत्कृष्टता के स्तर से काफी अधिक प्रगति भी देखने को मिलेगी।
	v. प्रतिभा खोज एवं विकास		अभिनिर्धारित प्रतिभाओं और सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या- 2000	कुछ वर्षों में प्राथमिकता प्राप्त खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने वाले खिलाडियों की बैंच स्ट्रेंथ संख्या में धीमी लेकिन महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी वृद्धि होगी
	vi.खेल अवसंरचना का सृजन/उन्नयन			

	क. विश्वविद्यालय उत्कृष्टता कार्यक्रम केन्द्र		स्थापित केन्द्रों की संख्या- 4	खेलों में उत्कृष्टता विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय ढ़ांचे से अधिक से अधिक खिलाड़ी उभरकर सामने आएंगे, इस प्रकार हमारा बैंच स्ट्रेंथ बढ़कर दूसरे, तीसरे और चौथ स्थान पर पहुंच जाएगा और इस प्रकार पहले स्थान वाले खिलाड़ी का प्रदर्शन कम होते ही हमारी टीमों को पर्याप्त बैक अप मिलेगा।
	ख. समुचित खेल अवसंरचना का सृजन		सृजित या समर्थित अवसंरचनाओं की संख्या-30	पूरे देश में उन्नत अवसंरचना के सृजन से अवसंरचना की बेहतर उपलब्धता दिखाई देगी। जहां ऐसी अवसंरचना उपलब्ध होगी वहां से अधिक संख्या में खिलाड़ी तैयार होंगे।
	vii. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/ राज्यीय खेल अकादमियों को सहायता		स्थापित/समर्थित अकादमियों की संख्या - 10	तैयार हो रहे नए एथलीटों की संख्या उत्कृष्ट स्तर पर उपलब्ध एथलीटों की संख्या में परिलक्षित होगी।
	viii. स्कूली बच्चों की शारीरिक फिटनेस		मापित बच्चों की संख्या- 5 करोड़	जीवन-शैली से जुड़ी बीमारियों, विशेष रूप से मोटापे और किशोरावस्था डाइबिटीज से पीड़ित स्कूली बच्चों की संख्या में भारी कमी आएगी।
	ix. महिला खेल		प्रतियोगिता में भागीदारों की संख्या- 3000	उत्कृष्ट स्तर प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या धीरे-धीरे और महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगी।
	x. शान्ति एवं विकास के लिए खेल		वर्ष भर में अनेक खेल गतिविधियां शुरू की जाएंगी।	उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों के बच्चे और युवा बड़ी संख्या में खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और ऐसा होने से ऐसे युवाओं द्वारा तोड़-फोड़ की गतिविधियों में हिस्सा लेने की घटनाओं में कमी आएगी।
	xi. . नि:शक्त जनों में खेलों को बढ़ावा देना			
			क. वर्गीकृत पैरा-एथलीटों की संख्या/भारतीय वगीकृत प्रशिक्षतों की संख्या- 2000/20 ख. समर्थित विशेषीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या - 2	खेलों में हिस्सा लेने वाले नि:शक्त जनों की संख्या बढ़ेगी। देश भर की खेल अवसंरचनाओं में अगम्यता के बारे में ऐसे लोगों से शिकायतें कम प्राप्त होंगी।
	xii. स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना		प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों की संख्या-3500	पारंपरिक और स्वदेशी खेल खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी जो कि ऐसे खेलों की प्रतियोगिताओं में भागीदारों की संख्या से प्रतिबिंबित होगी।
3.2	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	0.50	यह मद राष्ट्रमंडल खेलों के बचे हुए मुद्दों से संबंधित है।	यह मद राष्ट्रमंडल खेलों के बचे हुए मुद्दों से संबंधित है।

3.3	जम्मू एवं कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी	50.00	उन्नत किए गए स्टेडियम की संख्या- 2 बहु-उद्देश्यीय इनडोर कक्षों का निर्माण- अगले 2-3 वर्ष में 12	राज्य के युवाओं को यह अवसर उपलब्ध कराना कि वे खेल गतिविधियों में लग सकें।
3.4	हिमालयी क्षेत्र खेल समारोह योजना	5.00	हिमालयी क्षेत्र के देशों में और राज्यों में वार्षिक खेल गतिविधियां आयोजित करना।	खेल समारोह का आयोजन करके हिमालयी क्षेत्र के देशों और राज्यों में परस्पर रिश्तों का मजबूत बनाना।
3.5	संगोष्ठी समितियों, बैठकों आदि पर व्यय	1.00	युवा मामले और खेल मंत्रालय से जुड़े विषयों पर संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना। संख्या तय नहीं की जा सकती।	मंत्रालय की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए।